GENERAL STUDIES HINDI

www.gshindi.com

Presents Monthly Magazine : February

Other products :

The HINDU Analysis

GENERAL STUDIES HINDI

English Classes

8800141518

facebook.com/gsforhindi

WWW.GSHINDI.COM

- **Road Map to Mussoorie** – एक ऐसी रणनीति जिससे UPSC- Pre ही नहीं mains भी पास करे 6 महीनो में
- **Daily Mains Answer Writing**–सीखे उत्तर लिखने की विधि जो मुख्य परिक्षा में आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है
- **Monthly Magazine**–पूरे महीने की समसामयिक एक साथ
- **Current Affairs** – दिन प्रतिदिन घटनाओं का विश्लेषण
- **RSTV/LSTV**–विशेषज्ञों के वाद विवाद का सार
- **PIB + AIR**–अत्यंत महत्वपूर्ण
- **Online Test (12 tests for Rs. 1500)**–अपनी तैयारी को गुणवत्तापूर्ण टेस्ट्स द्वारा जाचें, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके.

GENERAL STUDIES HINDI

8800141518 facebook/gsforhindi

Monthly Magazine: February 2017

Topic	Page
Polity	2-9
Programme &Schemes	9-11
Geography, Environment& Ecology	11-18
Science and Technology	19-20
International Relation& International events	20-29
National Issues	29-33
Editorials	33-45
Security issues	45-49
Social issues	49-57
Economy	57-68
Governance/Ethics	68-72
Miscellaneous	72

GENERAL STUDIES HINDI

1. संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली पर सवाल

क्यों खबरों में यह :

- संसद की लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष केवी थॉमस ने एक बयान में कहा था कि नोटबंदी के मामले में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्ष्य के लिए तलब कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि समिति को ऐसा करने का अधिकार है। लोक लेखा समिति में मौजूद भाजपा नेताओं ने अध्यक्ष की इस अभिव्यक्ति का विरोध किया था। 'असंसदीय'
- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्र महाजन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी संसदीय समिति में साक्ष्य हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को नहीं बुलाया जा सकता।

क्या पहले कभी ऐसा हुआ

प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को साक्ष्य के लिए तलब करने की चर्चा पहली बार उस समय हुई थी जब भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष थे। कोयला घोटाले में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन . मनमोहन सिंह उपस्थित होने के लिए भी .सिंह को तलब किए जाने की संभावना व्यक्त की थी और डॉ तैयार थे, लेकिन संसदीय व्यवस्था के प्रावधानों के कारण यह चर्चा एक दो अभिव्यक्ति के बाद तिरोहित हो गई थी। लोकसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा था।

समितियों की संसद में महत्ता

- संसद की कार्यपद्धति में समितियों की अत्यधिक महत्ता है। संसद के दोनों सदनों में सभी विभागों के लिए बजट अनुमान पेश किया जाता है, लेकिन उसकी समीक्षा समितियों में होती है। संसद में कुछ ही विभागों के बजट की चर्चा होती है।

संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली

संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट है। समितियां विभिन्न मंत्रलयों के नीतिगत और वित्तीय फैसलों पर अमल की समीक्षा करती हैं। इसलिए समिति के सामने साक्ष्य के लिए अमल करने का जिन पर दायित्व है अर्थात नौकरशाही उसी के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। हालांकि कभीकभी कुछ विधेयकों-, कुछ संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाता है। संसद के इतिहास में ही नहीं राज्यों में भी कभी किसी मंत्री को समितियों में साक्ष्य देने या पक्ष रखने के लिए तलब नहीं किया गया है। विभिन्न दलों के सदस्य पार्टी लाइन से अलग हटकर औचित्य के आधार पर तर्क देते हैं।

समितियों की बैठक में कोई मंत्री नहीं आता, क्योंकि बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन का दायित्व नौकरशाही पर होता है। इसलिए विभागीय सचिव और उनके सहयोगी ही प्रावधानों के उपयोग के औचित्य के संदर्भ में जवाब देने के लिए बुलाए जाते हैं।

कुछ सवाल :

- इस समिति की कार्यवाही गोपनीय है। इसमें दिए गए मौखिक साक्ष्य या लिखित प्रतिवेदन को तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि समिति का प्रतिवेदन संसद के पटल पर न रखा जाए। ऐसा करना संसदीय अवमानना होगी।

- पिछले कुछ वर्षो से समिति की बैठक में चर्चा, झड़प, दाखिल किए गए दस्तावेज यहां तक कि सदस्यों की प्रतिक्रिया और उस पर टिप्पणियों का भी प्रकाशन समाचार पत्रों में होने लगा है। अभी पिछले दिनों एक समाचार पत्र ने पूरे एक पृष्ठ में रिजर्व बैंक द्वारा नोटबंदी के संदर्भ में लोक लेखा समिति को दिए गए प्रतिवेदन को प्रकाशित किया था।
- जिस प्रकार से संसद की मर्यादा का क्षरण करने की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है, उससे नियमावली में लिखित यह प्रावधान निर्थक हो गया है कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना या किसी सदस्य की अभिव्यक्ति में बाधक बनना सदन की अवमानना है
- अवमानना पर दंड का भी प्रावधान है, लेकिन अवमानना करने वालों को दंडित करने के बजाय सदन की कार्यवाही को स्थगित करना भर विकल्प बनकर रह गया है।
- संसदीय समितियों में सबसे महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति होती है जो सरकार के वित्तीय फैसलों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है। पहले अनिवार्य रूप से मुख्य विपक्षी दल का नेता इसका सभापति होता था फिर उसका प्रतिनिधि होने लगा है। सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है, लेकिन संसद के समान अब यह समिति भी राजनीतिक राग द्वेष- में टांग खिंचाई का अखाड़ा बनकर अपना औचित्य खोने की ओर बढ़ती जा रही है।
- संसदीय मर्यादा और उसके विशेषाधिकार में भले ही सर्वोच्च न्यायालय न हस्तक्षेप करे, लेकिन सांसद या विधायक जिस ढंग से अवहेलना की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं वह लोकतंत्र की इस सबसे बड़ी संस्था के प्रति लोगों में विपरीत भावनाओं को बढ़ाने का काम कर रही है।

संसद में पेश किया जाने वाला विधेयक समीक्षा के लिए समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है। समिति की समीक्षा और सुझाए गए संशोधनों को शामिल कर विधेयक पुन संसद में आता है। यदि इन समितियों को : लाभ का अखाड़ा बना दिया जाएगा-भी संसद के समान राजनीतिक हानि, तो शायद ही कोई विधेयक पारित हो सकेगा।

2. लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर

Why in news:

वर्ष 2016 के 'लोकतंत्र सूचकांक' में भारत वर्ष 2015 के 35वें स्थान से उछलकर 32वें स्थान पर आ गया है। यह सूचकांक द इकनॉमिस्ट समाचार पत्र की इकनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट) ईआईयू (तैयार करती है।

- इस दौरान दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश यानी अमेरिका को सभी मानकों पर पीछे छोड़ दिया
- अगर ब्रिक्स देशों से तुलना की जाए तो भारत का प्रदर्शन निखरकर सामने आता है। ब्राजील जो कि काफी कुछ भारत जैसा देश है वह 51वें स्थान के साथ ईआईयू की सूची में 'खामी वाले लोकतंत्र' की श्रेणी में आता है। वह केवल निवार्चन प्रक्रिया और बहुलता के मामले में ही भारत के समान है।
- रूस को इस सूची में 134वां और चीन को 136वां स्थान मिला। इन दोनों देशों को अधिनायकवादी देशों की सूची में शामिल किया गया है।
- भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनको इस सूची में स्थान मिला।
- केवल 19 देशों को ही पूर्ण लोकतंत्र माना गया।

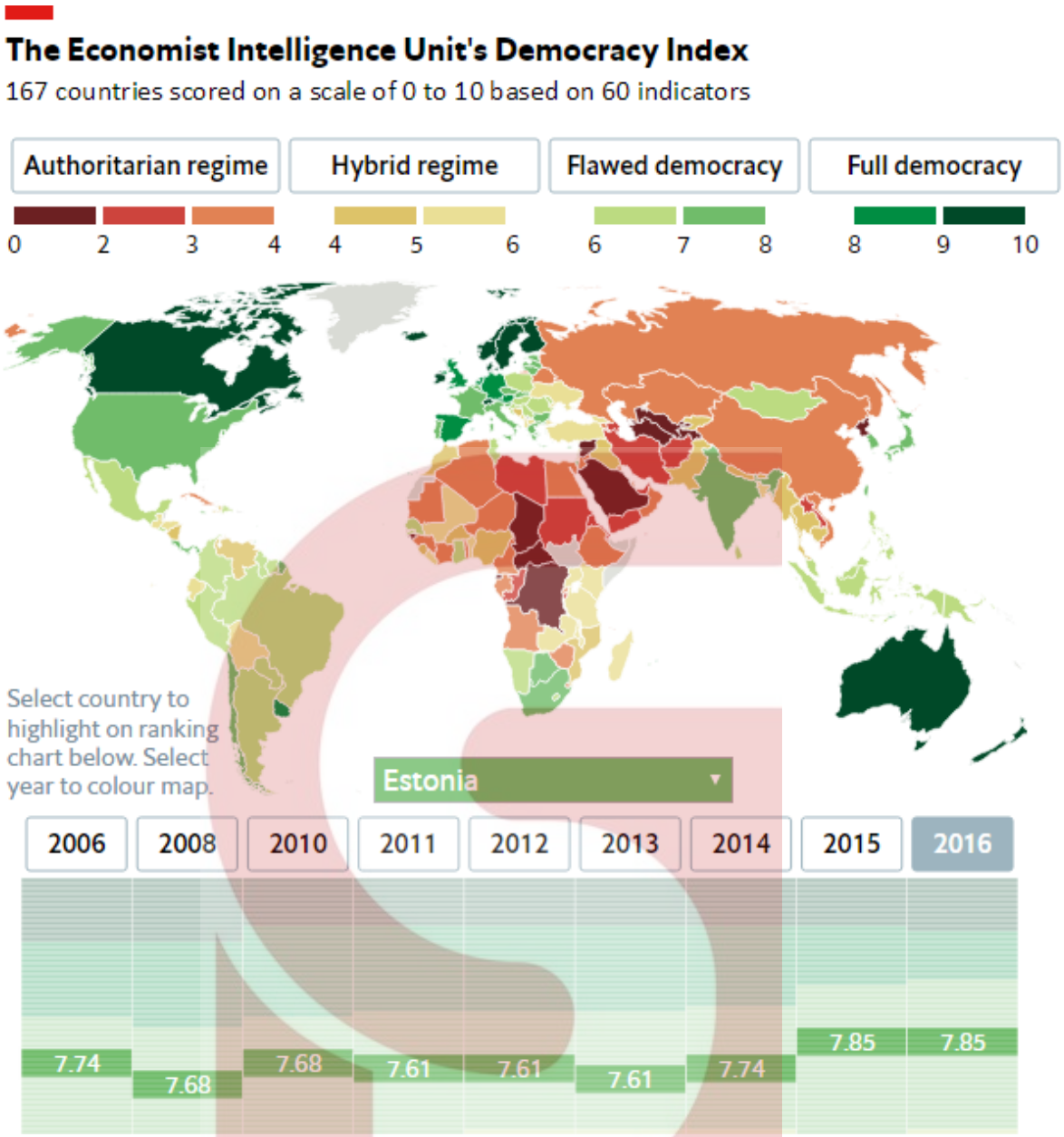

देश को गणतंत्र बने 68 साल और आजाद हुए 70वां साल चल रहा है। ऐसे में इन बातों का जश्न मनाया जाना चाहिए क्योंकि तमाम आर्थिक और सांस्कृतिक जटिलताओं के दरमियान और अधिनायकवादी औपनिवेशिक शासन के जबरदस्त ऐतिहासिक बोझ के साथ देश ने राजनीतिक लोकतंत्र बनने का यह सफर तय किया है।

3. कोचिंग के व्यवसायीकरण को रेगुलेट करने की जरूरत

In News

स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देश में भारी संख्या में खुले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए नियम कानून बनाने की मांग की थी। कोचिंग सेंटरों का मसला उठाने वाली यह जनहित याचिका 2013 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। याचिका में कहा गया था। कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटस से शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन होता है। आरोप लगाया गया था कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स

इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाने के भ्रामक विज्ञापन देकर छात्रों को गुमराह करते हैं।

View of Court

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते कोचिंग संस्थानों पर चिंता जताते हुए इस कोचिंग कारोबार को रेगुलेट करने की जरूरत पर बल दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश में सिर्फ प्रवेश परीक्षा ही आधार नहीं होनी चाहिए बल्कि बारहवीं के अंकों का भी महत्व होना चाहिए।

- कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को इन्हें रेगुलेट करने के लिए कोई नीति बनानी चाहिये ताकि शिक्षा का व्यवसायीकरण न हो।
- सरकार इन संस्थानों के कमर्शियल पार्ट को नियमित करने के लिए कदम उठाए। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में प्रवेश में सिर्फ प्रवेश परीक्षा ही आधार नहीं होना चाहिए। बारहवीं के नतीजे का भी महत्व होना चाहिये। जैसे 60 फीसद प्रवेश परीक्षा और 40 फीसद बारहवीं के नतीजे का महत्व होना चाहिये।
- पीठ ने कहा कि कोर्ट कोचिंग संस्थानों को पूरी तरह बंद करने का आदेश नहीं दे सकता लेकिन इन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है और केंद्र सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश बनाने चाहिये।

4. न्यायपालिका के आंतरिक संकट से विवाद का खतरा

#Bhaskar editorial

In news:

कोलकाता हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने अवमानना का नोटिस देकर लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था में अनुशासन कायम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है

- इस कदम से जातिगत विवाद उठने का खतरा है। न्यायमूर्ति कर्णन जब मद्रास हाईकोर्ट में थे तो उनकी अपने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल से ठनी रहती थी।
- कर्णन ने अवमानना की सुनवाई शुरू करने के साथ कौल को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने पर स्थगनादेश दिए जाने तक का प्रयास किया।
- न्यायमूर्ति कर्णन अपने न्यायमूर्ति कौल पर न सिर्फ काम में हस्तक्षेप का आरोप लगाते रहे हैं बल्कि यह भी कहते रहे हैं कि वे उन पर दलित होने के नाते जातिगत टिप्पणियां करते हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

भ्रष्टाचार का क्या यह नया मामला है ?

हमारी उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जातिगत गुटबाजी के आरोप नए नहीं हैं । उन्हें या तो दबा दिया जाता रहा है या फिर किसी तरह से किनारे करके निपटा लिया जाता रहा है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीडी दिनकरन ने भी दलित होने के नाते उपेक्षा का आरोप लगाया था। तब उनका तबादला सिक्किम हाईकोर्ट में कर दिया गया था और जब तक उनके खिलाफ राज्यसभा से महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो तब तक उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 1993 में न्यायमूर्ति वी .रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, जो कांग्रेस सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण गिर गया था।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद का समय

देश के आज़ाद होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से खटपट हो गई थी तब स्थिति को पटेल ने संभाला था। न्यायपालिका अगर खुद को अनुशासित नहीं करती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा खोती है और अगर वह कार्रवाई करती है तो एक जातिगत पूर्वग्रह का आरोप झेले बिना रह नहीं सकती। यह आरोप एक हद तक न्यायपालिका के भ्रष्टाचार और कार्यकुशलता पर सवाल उठा रही कार्यपालिका को अनुकूल भी लगेगा।

विवेक की दरकार

इससे उच्च न्यायपालिका में जाति और लिंग के आधार पर प्रतिनिधित्व का सवाल उठेगा साथ ही वह संवैधानिक सवाल तो अपनी जगह है ही कि अगर न्यायमूर्ति सीएस कर्णन अदालती अवमानना के दोषी पाए गए तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा? इस नाजुक स्थिति में उच्चस्तरीय न्यायिक विवेक की दरकार है, क्योंकि अदालत को मुजरिम पर नहीं अपने जज पर ही फैसला लेना है।

5. उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान एक्जिट पोल छापने पर दैनिक जागरण :के खिलाफ एफआईआर का आदेश

What is the issue:

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन किए जाने पर चर्चित अखबार दैनिक जागरण के खिलाफ सख्त रूख अपना लिया है अखबार ने बीते शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव पर . नाम से एक्जिट पोल का प 'पब्लिक फीडबैक' ्रकाशन किया था इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के .15 जिलों में भाजपा को अन्य राजनीतिक दलों से आगे बताया गया था

Position of law on this:

- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत मीडिया संस्थानों पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक्जिट पोल दिखाने या छापने पर रोक है कानून की धारा .126 (ए के तहत इसके उल्लंघन पर दो साल की (कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
- इसके साथ ही धारा 126 (बीमें आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले मे (ं शामिल सभी पक्षों को आरोपित बनाने की बात कही गई ह
- आयोग ने कहा है कि अखबार द्वारा एक्जिट पोल का प्रकाशन आईपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघनऔर जनप्रतिनिधित्व कानून का सीधा उल्लंघन है (

GENERAL STUDIES HINDI

6. केंद्र और दिल्ली के बीच अधिकारों का मामला संविधान पीठ को

खबरों में

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को बुधवार को संविधान पीठ को सौंप दिया, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस आरके अग्रवाल की पीठ ने कहा कि मामले में कानून और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल निहित हैं और इसलिए इसका निर्णय संविधान पीठ को करना चाहिए।

- कोर्ट ने संविधान पीठ के विचार के लिए कोई कानूनी प्रश्न तय नहीं किए हैं।

- कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, ताकि वे सुनवाई के लिए जल्दी संविधानपीठ का गठन कर सकें।
- पीठ ने फिलहाल मामले में अंतरिम आदेश देने से भी इन्कार कर दिया और कहा कि पक्षकार इसके लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का जिक्र कर अपनी मांग रख सकते हैं।
- दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उपराज्यपाल दिल्ली के प्रशासक हैं।
- दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मूल वाद दाखिल करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद **239एए** की सही व्याख्या नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना चाहिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को क्या अधिकार है।
- साथ ही कोर्ट दिल्ली के प्रशासनिक कामकाज में केन्द्र सरकार को दखल देने से रोके।
- **केन्द्र सरकार की दलील है** कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली के प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल हैं। '

7. कार्यपालिका आदेश-कानून पर कब हो अदालती दखल?

#Business Standard_ editorial

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में कार्यपालिका के फैसलों की संवैधानिक समीक्षा की सशक्त और सतर्क संस्कृति रही है। कुछ समय पहले ही उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाधित होने का खतरा है।

कोर्ट के इसे मामलो में निर्णय

हालांकि व्यावहारिक स्तर पर किसी कार्यकारी आदेश या विधायी निर्णय पर तत्काल स्थगन आदेश देने के मामले में भारतीय न्यायपालिका का रिकॉर्ड मिला-जुला रहा है। अगर नया कानून संसद से पारित होता है तो उसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। किसी कानून को लागू किए जाने पर तात्कालिक महत्त्व को देखते हुए रोक तो लगाई जा सकती है लेकिन उससे पहले अदालत उसके सभी गुण-दोषों पर विचार करती है। फिर भी, हकीकत तो यही है कि इस तरह का आदेश हासिल कर पाना खासा मुश्किल है।

सरकार द्वारा न्यायालय के निर्णयों से बचाव के उपाय

ऐसे मामलों में अक्सर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, निवेशकों के हित और जनहित जैसे शब्दों का सहारा लेकर जताती है कि न्यायपालिका ने अमुक आदेश पर रोक लगाई तो उसके भयावह नतीजे देखने को मिल सकते हैं।

बहरहाल, अदालतें किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला दे सकती हैं और उसे असंवैधानिक भी ठहरा सकती हैं लेकिन किसी नए संशोधन की तुलना में पहले से लागू कानून पर ऐसा निर्णय दे पाना खासा मुश्किल होता है। इसी तरह ऐसे प्रकरण भी देखने को मिलते हैं कि अदालतों ने किसी मामले में स्थगन आदेश दिए बगैर अपने फैसले में उस कानून को निरस्त कर दिया हो। यह एक तरह से ऑपरेशन सफल होने के बावजूद मरीज की मौत हो जाने जैसी स्थिति होती है। **मेनका गांधी के पासपोर्ट** जब्ती मामले के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही का मामला

ट्रंप के आदेश पर रोक लगाने वाले अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जेम्स रॉबर्ट ने अपने फैसले के आखिरी पैराग्राफ में विस्तार से न्यायिक भूमिका को परिभाषित किया है। रॉबर्ट के शब्दों में, **'इस अदालत का मौलिक कार्य एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाना है लेकिन यह हमारी संघीय सरकार के तीन एकसमान अंगों का भी हिस्सा है। अदालत का कार्य नीतिगत फैसले लेना या किसी खास नीति में निहित बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना नहीं है। ये सरकार के विधायिका और कार्यपालिका अंगों के कार्य हैं। इसके साथ ही इस देश के नागरिक भी लोकतांत्रिक नियंत्रण के माध्यम से अपनी भूमिका निभाते हैं। न्यायपालिका और उसके एक अंग के तौर पर इस अदालत का काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि अन्य दोनों अंगों के फैसले और कार्य देश के कानून और उससे भी बढ़कर संविधान की भावनाओं के अनुरूप हैं या नहीं। इस अदालत के सामने कार्यपालिका के एक आदेश पर अस्थायी रोक की अर्जी लगाई गई है। भले ही यह एक छोटा सवाल है लेकिन अदालत को इसका अहसास है कि उसके आदेश का कार्यपालिका और देश के नागरिकों पर कितना असर पड़ सकता है। अदालत को लगता है कि उसे अपनी संवैधानिक भूमिका निभाने के लिए इसमें दखल देना ही होगा।'**

वाशिंगटन और मिनेसोटा राज्यों ने ट्रंप के उस आदेश को अदालत में चुनौती दी थी। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का चुनाव ही मुस्लिमों और शरणार्थियों पर रोक लगाने के वादे के सहारे जीता है। लेकिन उनका फैसला संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तो लोकप्रिय होते हुए भी अदालतें रोक लगा सकती हैं। अब जरा भारत का रुख करते हैं।

भारत में हाल ही में

- आधार प्रणाली के गठन का रास्ता साफ करने वाले कानून को संसद की मंजूरी दिलाने के लिए सरकार ने धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत कर पेश किया ताकि राज्यसभा के पटल पर चर्चा से बचा जा सके।
- दरअसल धन विधेयक के रूप में पेश किए गए विधेयकों पर राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के ही पास होता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में उसके इस विशेषाधिकार को चुनौती देने वाली एक याचिका विचाराधीन है। इस संवैधानिक मसले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने में हो सकता है कि कुछ साल लग जाएं लेकिन तब तक आधार हम सभी के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका होगा।
- नोटबंदी पर भी यही कहानी है। केंद्र सरकार ने अचानक ही 85 फीसदी नकदी को चलन से बाहर कर दिया था। वह फैसला काफी कुछ अमेरिकी सरकार के इस फैसले की ही तरह है जिसमें कुछ देशों के नागरिकों के प्रवेश पर अचानक रोक लगा दी गई। नोटबंदी के ऐलान के अगले ही दिन देश भर की कई अदालतों में उसे चुनौती दी गई थी लेकिन किसी भी अदालत ने उस पर स्थगन आदेश नहीं दिया।
- कार्यपालिका की तरफ से यह दलील दी गई थी कि आतंकवादियों को काले धन का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया है लिहाजा, अदालतों से कुछ और की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। आखिर में हमें अदालतों से बस ये दिशानिर्देश मिलेंगे कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को किस तरह से काम करना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो अदालतें असल में कार्यपालिका के कार्यों पर अपनी बुद्धिमत्ता दिखा रही होंगी जबकि अमेरिकी न्यायाधीश रॉबर्ट ने इससे बचने को कहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

8. भारतीय प्रबंध संस्थानों को अधिक अधिकार देता नया विधेयक

#business standard editorial

सरकार ने अपने मूलमंत्र 'न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रशासन' को कम से कम एक अहम क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पहल की है। वह क्षेत्र है भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)। आईआईएम संस्थानों से जुड़ा विधेयक |इसके प्रमुख प्रावधानों में आईएमएम के निदेशकों की नियुक्ति का अंतिम अधिकार बोर्ड को देने का प्रस्ताव भी शामिल है। यह मसौदा विधेयक में अहम सुधार है जिसमें कहा गया था कि अगर विजिटर (राष्ट्रपति) खोज एवं चयन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं होंगे तो वह समिति को फिर से सिफारिश करने को कह सकते हैं।

- इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि अधिकांश पुराने आईआईएम में निदेशक नहीं हैं या फिर उन्होंने मौजूदा निदेशकों को ही कुछ समय के लिए रुकने का अनुरोध किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छांटे गए उम्मीदवारों को अक्सर मंत्रालय की मंजूरी के लिए इंतजार करना पड़ता है क्योंकि इसके काफी समय लगता है। अधिकांश नए आईआईएम तो अभी तक अपने निदेशक नियुक्त नहीं कर पाए हैं। कई उम्मीदवार तो व्यवस्था से आजिज आकर उम्मीदवारी से हट चुके हैं। इससे नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया मजाक बनकर रह गई है।

- अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन संस्थानों के बोर्ड स्वतंत्र रूप से ऐसे निर्णय लेते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे संस्थानों के डीन छह महीने पहले ही चुन लिए जाते हैं ताकि उन्हें माहौल से वाकिफ होने का मौका मिल जाए।
- आईआईएम विधेयक से हमने सुधार की दिशा में कितना रास्ता तय कर लिया है इसका पुष्टिï इस बात से होती है कि मसौदा विधेयक ने आईआईएम बोर्डों को मंत्रालय के हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया था। इसमें इस बात की भी अनदेखी की गई थी कि बड़े आईआईएम वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपना फंड खुद जुटाने को समर्पित हैं।
- चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में मसौदा विधेयक में कहा गया था कि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी। इसमें सरकार के हस्तक्षेप की पूरी गुंजाइश थी।
- विधेयक में कहा गया था कि एक समन्वय मंच होगा जो केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक काम करेगा। इसका मतलब यह था कि इस मंच की अध्यक्षता मंत्री करेंगे और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्यों के चार मंत्री, मंत्रालय के केंद्रीय सचिव, चेयरपर्सन और निदेशक, तीन जाने माने लोग होंगे जिनमें एक महिला शिक्षाविद होंगी। पहले नामांकन में संस्थानों को नाम सुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- पिछले विधेयक से आईआईएम और सरकार के बीच मतभेद पैदा हो गए थे। इसमें सरकार को लगभग सभी अहम मामलों में अधिकार दिए गए थे। बोर्ड के गठन और चेयरमैन की नियुक्ति करने, फीस तय करने और नए अकादमिक विभाग बनाने के लिए भी सरकार की सहमति की जरूरत थी। नए विधेयक में इन मामलों को सुलझा लिया गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक आईआईएम अपना पाठ्यक्रम तय करने और शिक्षा मानक तय करने के लिए स्वतंत्र है। छात्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी संस्थानों को अपने स्तर पर करना है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।
- विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्री आईआईएम परिषद में अपनी भूमिका छोड़ देगा। यह परिषद आईआईएम संस्थानों के प्रशासन और रणनीति से जुड़ी है। अब आईआईएम बोर्ड के सदस्यों को अपनी उपयोगिता साबित करनी है।

Programme & Schemes

1. बाजार भरोसे खेती से आय दोगुनी नहीं होगी

जहां किसान की आय दोगुनी करने पर होने वाले सेमिनार व सम्मेलनों की संख्या पिछले कुछ माह में दोगुनी हो गई है, वहीं किसान उत्तरोत्तर नुकसान के दुश्चक्र में फंसता चला जा रहा है। दो साल पहले आए लगातार दो सूखे, नोटबंदी से घटी आय, अनुमान के मुताबिक आमदनी में खासतौर पर सब्जी उगाने वाले किसानों की आय में 50 से 70 फीसदी कमी आई है।

किसानो की आय बढाने की दलीले

ये दलीलें अपरिहार्य रूप से जिन सिद्धांतों के आसपास घूमती हैं -

- फसलों की उत्पादकता बढ़ाना
- सिंचाई का विस्तार करना
- फसल बीमा और
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाना। (नाम-ई)

न्यूनतम आय और किसान

- भारत में सिर्फ 1.3 फीसदी आबादी वेतन पाती है, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल है। इसके विपरीत 52 फीसदी से अधिक आबादी यानी मोटेतौर पर 60 करोड़ लोग कृषि पर आधारित हैं। इस क्षेत्र में काम करने वालों को भारतीय श्रम सम्मलेन 1957 की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी मिलती है।
- उस हिसाब से न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम मानवीय जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ मानदंड तय किए गए हैं : एक, आदर्श कार्यशील परिवार में कमाने वाले एक व्यक्ति पर तीन व्यक्तियों की निर्भरता। इसमें महिला, बच्चों व किशोरों की कमाई को ख्याल में नहीं लिया गया है। दो, मध्यम दर्जे की क्रियाशीलता वाले औसत वयस्क के लिए 2,700 कैलोरी कुल दैनिक आहार। तीन, प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति 18 यार्ड कपड़ा। चार लोगों के औसत खेतिहर परिवार के लिए 72 यार्ड कपड़े की जरूरत है। चार, सब्सिडी प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के तहत कम आमदनी वाले समूहों को उपलब्ध कराए जाने वाले न्यूनतम क्षेत्र के मुताबिक आवास किराया। पांच, ईंधन, रोशनी तथा अन्य मदों पर खर्च कुल न्यूनतम आय का 20 फीसदी।
- बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1991 में जारी आदेश में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए छह मानदंड तय किए गए :
    - बच्चों की शिक्षा
    - चिकित्सा जरूरतें
    - त्योहार
    - समारोह सहित न्यूनतम मनोरंजन
    - विवाह तथा वृद्धावस्था के लिए प्रावधान, जो मजदूरी का 20 फीसदी होना चाहिए।
    - आदेश में महंगाई भत्ते को शामिल करने को भी कहा गया है।

दोहरे मापदंड

GENERAL STUDIES HINDI

इन मानकों से सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी न्यूनतम मासिक आमदनी तय होती है। अजीब बात यह है कि इन्हीं मानकों पर अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और योजनाकारों को निश्चित आय होती है लेकिन, जब वे आमदनी दोगुनी करने की चर्चा में इनकी पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं तो दोहरे मानदंडों की गंध आती है। अपने वेतन को तो मानकों का संरक्षण देना, जबकि बहुसंख्यक आबादी को बाजार की दुश्वारियों के हवाले कर देना। छत्तीसगढ़ में बम्पर फसल के बावजूद हाल ही में टनों टमाटर सड़कों पर फेंकने वाले किसानों से पूछिए कि बाजार की तानाशाही का क्या मतलब होता है। कर्नाटक व उत्तरप्रदेश में गन्ना किसानों के उन परिवारों से बाजार का मतलब पूछिए, जिन्होंने महीनों तक गन्ने की बकाया राशि के भुगतान का इंतजार करते हुए आखिरकार खुदकुशी की है।

पृथक आमदनी आयोग

किसानों के लिए **पृथक आमदनी आयोग** होना चाहिए ताकि वह किसानों को हर माह निश्चित आमदनी सुनिश्चित कर सके। यदि उत्पादकता खेती के संकट का कारण होती तो पंजाब के किसानों द्वारा बड़ी संख्या में खुदकुशी का कोई कारण नहीं है। प्रति हैक्टेयर 45 क्विंटल गेहूं और 60 क्विंटल चावल के साथ पंजाब वैश्विक चार्ट में शीर्ष पर है। 98 फीसदी सुनिश्चित सिंचाई के बावजूद शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब किसान वहां आत्महत्या नहीं करता।

MSP not the only solution

National farmers commission की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए , जिसमें किसान को लागत पर 50 फीसदी मुनाफा देने की सिफारिश है। इसमें यह ध्यान नहीं रखा गया है कि केवल 6 फीसदी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का फायदा मिलता है और शेष 94 फीसदी को सहायता देने का कोई तरीका नहीं है। एमएसपी निश्चित ही किसानों को सुनिश्चत आय देने का एक तरीका होगा, लेकिन हमें शेष किसानों को निश्चित आय देने का तरीका खोजना होगा। जब निचले स्तर के कर्मचारी के लिए 18 हजार रुपए की न्यूनतम मासिक आय और गैर-कृषि मजदूर के लिए 351 रुपए की न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय की गई है तो अन्नदाता को कर्ज के दुश्चक्र में फंसाने वाली आय के साथ नहीं छोड़ा जा सकता।

निष्कर्ष

अनुमानों के मुताबिक किसान सस्ता अनाज मुहैया कराने की बड़ी कीमत चुकाता है, जो प्रतिवर्ष 12 लाख करोड़ रुपए है। यदि किसान की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की सेवाएं ध्यान में लें उसे प्रति हैक्टेयर न्यूनतम 14 हजार रुपए का भुगतान जायज है। यह तो सीमित आकलन है और किसान की आय दोगुनी करने की चर्चा में इसे आधार बनाना चाहिए। समय आ गया है कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए उत्पादकता, अनुबंध पर खेती और मार्केटिंग के निजीकरण के परे सोचना होगा। दुर्भाग्य से अर्थशास्त्रियों ने खेती में सार्वजनिक व निजी निवेश को आमदनी समझ लिया है।

GENERAL STUDIES HINDI

Geography, Environment& Ecology

1. प्रदूषण पर कोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली में हर साल प्रदूषण जनित बीमारियों से 3000 लोग मरते हैं। इसी सन्दर्भ में एक PIL की सुनवाई के दौरान अपना रुख कड़ा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को इसे रोकने के लिए सख्त कदम लेने को कहा है |

क्या कहा SC ने

- केंद्र सरकार से प्रदूषण करने वाले ईंधन फर्नेस ऑयल और पेटकोक पर प्रतिबंध लगाने को कहा।
- इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) सीपीसीबी(, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार से कहा है कि वे प्रदूषण की रोकथाम की समग्र योजना तैयार करें
- कोर्ट ने फर्नेस आयल और पेटकोक जैसे प्रदूषित ईंधनों पर रोक लगाने का फैसला जल्द न करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। पीठ ने कहा कि इन ईंधनों में सल्फर बहुत ज्यादा है जो प्रदूषण करता है।
- कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर फर्नेस ऑयल और पेटकोक पर प्रतिबंध लगाए और उसका दूसरा विकल्प ढूंढे।
- प्रदूषण में ईधन की गुणवत्ता का महती योगदान होता है। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार से कहा कि वे इस पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करें।
- कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक समग्र योजना होनी चाहिए। अभी अलग-अलग अथॉरिटीज की अलग-अलग योजनाएं होती हैं। उनके बीच समन्वय की कमी होती है। इन सबको देखते हुए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अथॉरिटी) ईपीसीए(, सीपीसीबी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रलय, दिल्ली सरकार और एनसीआर के राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान मिल कर बैठक करें और प्रदूषण नियंत्रण की समग्र योजना तैयार करें।
- कोर्ट ने सीपीसीबी को इंवायरमेंट कम्पनशेटरी चार्ज) ईसीसी (की एकत्रित रकम से 2.50 करोड़ रुपये निकालने की इजाजत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने सीपीसीबी से कहा है कि वह ये रकम दिल्ली एनसीआर में रियल टाइम मानीटरिंग स्टेशन बनाए जाने के उपकरण खरीदने पर ही खर्च करेगा। कोर्ट ने ईपीसीए से कहा है कि वह एनसीआर के भी पीयूसी सेंटरों) वाहनों में प्रदूषण की जांच करने वाले केंद्र (की जांच करे।

2. भारी मात्रा में फैले तेल की वजह से समुद्री जीवों पर संकट

खबरों में

तमिलनाडु के एन्नोर के पास कामराजार समुद्र तट के निकट पिछले दिनों दो मालवाहक जहाजों की टक्कर के बाद तेल रिसाव |एक जलपोत में पेट्रोलियम तेल भरा था और दूसरा एलपीजी गैस उतार कर वापसी के रास्ते में था।

तेल रिसाव के प्रभाव

GENERAL STUDIES HINDI

- समुद्र में तेल फैलने की वजह से न सिर्फ सैलानियों, बल्कि समुद्री जीवों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
- भारी मात्रा में मछलियां और कछुए वगैरह मृत पाए गए हैं।

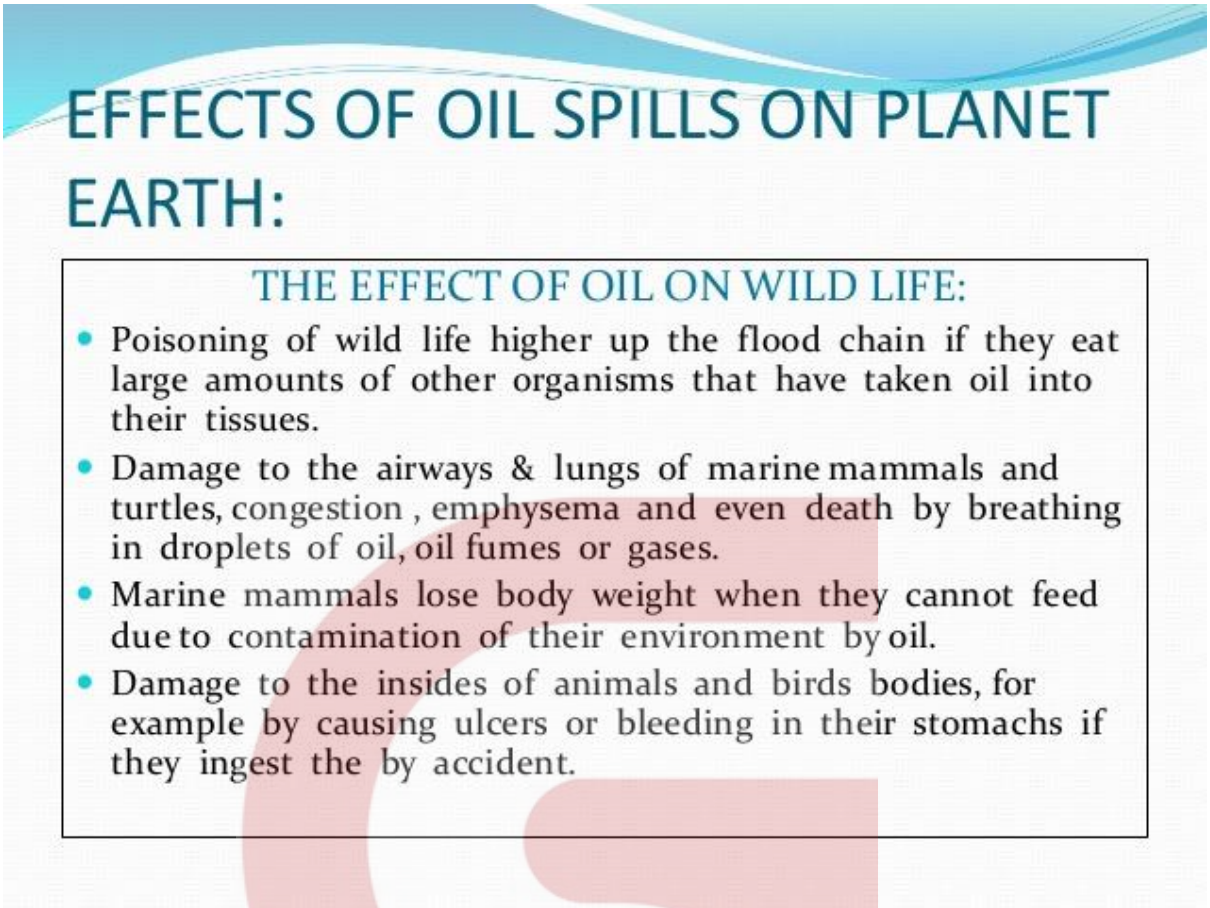

कैसे हुआ हादसा

घटना के कारणों को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं। एन्नोर के कामराजर पोर्ट पर जहां यह हादसा हुआ, वहां एक समय में एक ही जहाज पहुंचना चाहिए। इस नियम की अनदेखी कैसे हुई, यह जांच का विषय है। जहाजों के कप्तानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नाविक दल के सदस्यों को पूछताछ के लिए चेन्नई में रहने को कहा गया है।

मानवीय भूल या कुछ ओर

- बंदरगाहों पर सामान भरने और उतारने के लिए जलपोतों का आना-जाना लगा रहता है। पर उनका संचालन कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होता है, इसलिए यह समझना मुश्किल है कि कहां लापरवाही हुई, जिसके चलते दोनों पोत आपस में इस कदर टकरा गए कि इतनी भारी मात्रा में तेल का रिसाव हो गया।
- ज्वलनशील पदार्थ ढोने वाले वाहनों के संचालन में विशेष सावधानी बरती जाती है, मगर इन पोतों के संचालन में यह ध्यान क्यों नहीं रखा गया। गनीमत है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और न आग लगने जैसी कोई बड़ी घटना हुई।

<u>पर्याप्त संसाधनों की भी उपलब्धता</u>

हालांकि बंदरगाह के कर्मचारी समुद्र में फैले तैलीय कचरे को हटाने में जुटे हुए हैं, पर उनके पास न तो उपयुक्त मशीनें हैं और न ऐसी स्थिति से निपटने का कोई पुख्ता प्रशिक्षण। अब भी बहुत सारे मजदूर बाल्टियों से गाद उलीचने में जुटे हुए हैं। जो मशीनें लगाई भी गई हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं।

निष्कर्ष

एन्नोर जैसे व्यस्त बंदरगाहों पर, जहां रोज बड़ी संख्या में जलपोतों का आना-जाना लगा रहता है, वहां ऐसी स्थिति से तत्काल निपटने के कारगर इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? बंदरगाह उद्योग आज दुनिया के कमाई वाले बड़े कारोबार में शामिल है, पर सुरक्षा इंतजाम के मामले में इस कदर लापरवाही होगी, तो इसका बुरा असर पड़ सकता है। सुरक्षा संबंधी पहलू के साथ-साथ समुद्री जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

3, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई उपलब्धि

#Editorial_The Hindu http://www.thehindu.com/opinion/editorial/Solar-power-breaks-a-price-barrier/article17292695.ece

In news:

मध्य प्रदेश में रीवा सौर पार्क के लिए 2.97 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचने की बोली लगाई गई है .750 मेगावॉट क्षमता की इस परियोजना के लिए आई निविदाओं में लगाई गई इस दर में अगर सालाना थोड़ी सी बढ़ोतरी को भी जोड़ दें तो भी 25 साल की अवधि के दौरान यह 3.29 रु तक ही जाएगी . यह दर उस दर के आधे से भी कम है जिस पर हाल के कुछ वर्षों तक कुछ राज्य सरकारों ने समझौते किए हैं .इससे साफ पता चलता है कि स्वच्छ ऊर्जा का भविष्य क्या है.

अब नीति में विशेष प्रोत्साहन उपाय शामिल कर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में की गई इस प्रगति का काम और तेज होना चाहिए .इसके कई कारण हैं .

- सबसे अहम तो यही है कि अब भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी बिजली तक पहुंच नहीं है .
- सौर ऊर्जा उनके जीवन को रोशन कर सकती है .सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित करने के काम में तेजी लाना उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी जरूरी है जिसके तहत हमने 2022 तक 100 गीगावाट्स बिजली इसी माध्यम से पैदा करने की बात कही है.
- इस लक्ष्य पर दुनिया की भी नजर है क्योंकि जलवायु परिवर्तन पर हुए पेरिस समझौते में भी हमने यह वचन दिया है.
- यह हमारे पर्यावरण पर भी बड़ा असर डालेगा क्योंकि इससे कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर निर्भरता को कम किया जा सकता है .
- 2010 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के साथ जो काम शुरू हुआ है उसकी प्रगति में तेजी में फायदा ही फायदा है

हालांकि इसके बावजूद अभी तक हमारा प्रदर्शन हमारे दावों से मेल नहीं खा रहा है और 2016-17 में सौर ऊर्जा से 12 गीगावाट्स बिजली पैदा करने के लिए लक्ष्य से हम मीलों दूर हैं .बीते दिसंबर तक हम मुश्किल से दो गीगावाट्स तक पहुंचे थे.

Fault in our policies:

स्वच्छ ऊर्जा के लिए बनी राष्ट्रीय नीति में सबसे बड़ी कमी यह है कि यह इस क्षेत्र में मध्य वर्ग के निवेश की संभावनाओं को भुनाने में नाकाम रही है .

- अभी तक सबसे ज्यादा ध्यान ग्रिड से जुड़े बड़े स्तर के संयंत्रों पर ही दिया जाता रहा है जबकि छतों पर लगने वाले सौर ऊर्जा पैनलों के मामले में प्रगति बहुत धीमी है .

- यह साफ है कि अगल छह साल में अगर हमें सालाना 10 गीगावाट्स से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करना है तो इसमें आवासीय और व्यावसायिक, दोनों तरह के निर्माण क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी और निवेश की जरूरत होगी .

What can be done:

- यह प्रक्रिया नागरिकों की सामूहिक भागीदारी के साथ शुरू की जा सकती है .
- राज्य बिजली बोर्डों को कहा जाए कि वे एक तय समय के भीतर नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू करें
- इसमें टैरिफ की व्यवस्था ऐसी हो कि आम उपभोक्ता सौर पैनलों में निवेश करने के लिए . प्रोत्साहित हो.
- इस मामले में जर्मनी से सीखा जा सकता है जहां कई साल से सौर ऊर्जा का मजबूती से विस्तार हो रहा है वहां नीति इस तरह से बनाई गई है कि आम उपभोक्ता के छत पर सोलर . पैनल लगाने पर बिजली के बिल में20 साल तक फायदा मिलता रहेगा.
- सौर उपकरणों की कीमत समय के साथ और भी गिरने का अनुमान है और बड़े और छोटे संयंत्रों द्वारा पैदा की जा रही बिजली की दर की समयसमय पर समीक्षा भी करनी होगी-

एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इस क्षेत्र में जा रही रियायतों की कोई जरूरत नहीं रहेगी .हालांकि यह अभी भविष्य की बात है .अभी भारत को स्वच्छ ऊर्जा की कहीं ज्यादा जरूरत है सौर ऊर्जा . इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार .अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए एक प्रदूषण मुक्त विकल्प है इस लिहाज से अभी सूरज की रोशनी का बड़ा हिस्सा बेकार जा रहा है .की संख्या भी बढ़ेगी

4. किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बड़े सुधारों की योजना

सन्दर्भ: अशोक दलवई समिति के सुझाव

- केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने को लेकर आगे बढ़ रही है।
- केंद्र सरकार की ओर से बनायी गयी एक समिति कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों पर विचार कर रही है।

=>**समिति का कार्यक्षेत्र:-**

- मुनाफा केंद्रित रुख (प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच) अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाना और
- कृषि लागत कम करना।
- पिछले साल अप्रैल में बनायी गयी अंतरमंत्रालयीय समिति बड़े पैमाने पर सुधार और कृषि के पशुपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे उप-क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना।
- सिफारिशें व्यवहारिक हों और राज्य सरकारों और केंद्र सरकार, दोनों के लिए फायदेमंद हों। ऐसे कार्य व्यवहार जिन्हें किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनाया जा सके।'
- कमिटी ICAR के वैज्ञानिकों, किसानों और पेशेवर संगठनों सहित अन्य पक्षों के साथ विचार-विमर्श कर रही है।
- देश के ज्यादातर किसान, छोटे और सीमांत हैं। खेती में फायदा कमाने का सिद्धांत इस तथ्य पर विचार से आता है कि सकल उत्पादन और कृषि लागत क्या है।
- कटाई के बाद फसल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कटाई के बाद फसल को कैसे रखा जाता है, ढुलाई और मार्केटिंग भी इसमें शामिल है।

GENERAL STUDIES HINDI

- इसके अलावा, कमिटी पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और फूलों की खेती में विकास को बढ़ाने वाले अहम कारकों पर भी विचार कर रही है।
- मौजूदा समय में खपत का तरीका बदल रहा है, लोग मांस, दूध, अंडे, फल और सब्जियों जैसे अधिक कीमत वाले उत्पादों का रुख कर रहे हैं... किसान इनका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कमिटी इसके लिए उपायों पर विचार कर रही है।'

5. जानलेवा प्रदूषण

अमेरिका के प्रतिष्ठित हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वायु प्रदूषण को लेकर बड़ी खतरनाक तस्वीर पेश की है।

- उसका कहना है कि हवा में पीएम 2.5 कणों की हद से ज्यादा मौजूदगी के चलते सन 2015 में भारत में 11 लाख समय-पूर्व मौतें हुईं, जो इसी वजह से चीन में हुई मौतों के ठीक बराबर है।
- पूरी दुनिया में इस साल 42 लाख लोगों की अकाल मृत्यु इस कारण से हुई थी, जिसमें आधी से ज्यादा - 22 लाख-मौतें सिर्फ भारत और चीन में हुई थीं।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के शहरी वातावरण में पीएम 2.5 कणों की मौजूदगी घटाने के लिए ठोस प्रयास शुरू हो चुके हैं, लेकिन भारत में वायु प्रदूषण कोई बड़ी समस्या नहीं माना जाता है।
- ऐसे में भारत जल्द ही वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों के मामले में चीन को काफी पीछे छोड़ देगा और इस मामले में दुनिया का कोई भी देश उसके आस-पास भी नजर नहीं आएगा।
- प्रदूषण को लेकर हमारी सरकारों का आम रवैया यही रहा है कि इसे विकसित देश बनाम विकासशील देश के भाषणबाजी वाले मुद्दे की तरह ही लिया जाना चाहिए।
- यहां तक कि मौजूदा केंद्र सरकार ने जब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, तो भी इसका दायरा ठोस कचरे की सफाई तक ही सीमित रखा। यह और बात है कि यह अभियान भी व्यवहार में दिखावा ही साबित हुआ।
- जल प्रदूषण का मामला 'नमामि गंगे' जैसे फोकट फंड के अर्ध-धार्मिक अभियान तक सीमित है, जबकि वायु प्रदूषण पर तो अभी तक कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा गया है।
- हमारे यहां पलूशन कंट्रोल के नाम पर बनाए गए दफ्तरों में आपको फील्ड विजिट करने वाले अफसर तो क्या, शिकायत दर्ज करने वाले बाबू तक नजर नहीं आते। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ जाने वाला एक भी कदम उठाने से पहले हमारी सरकारों के हाथ-पैर फूल जाते हैं।
- भयानक स्मॉग वाले जाड़े के 15-20 दिनों को छोड़कर हमारे शहरी नागरिकों के लिए भी वायु प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं रहता। ऐसे में क्या सांस की बीमारियों के महामारी का रूप ले लेने के बाद ही हम इस बारे में कोई ठोस कदम उठाएंगे?

6. विश्व का आठवां महाद्वीप हो सकता है जीलैंडिया

Geographic Location:

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के 40.9 लाख वर्ग किलोमीटर लंबे पानी में डूबे हुए क्षेत्र के रूप में की है।

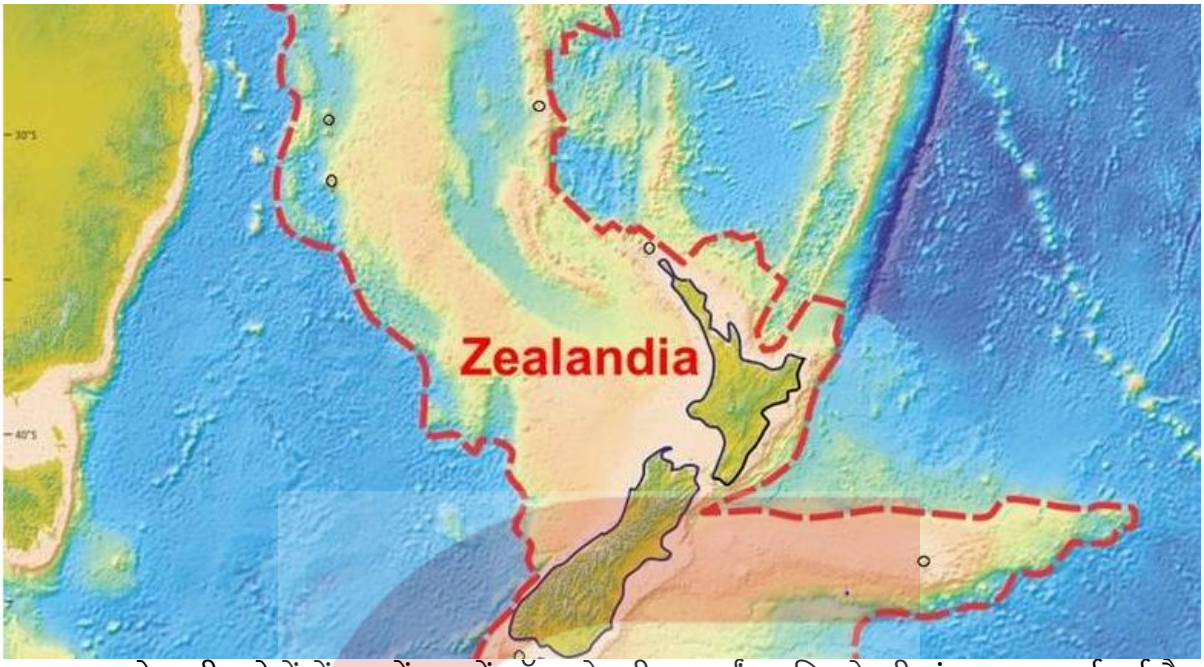

- इसके तटीय क्षेत्रों में अरबों-खरबों डॉलर के जीवाश्म ईंधन मिलने की संभावना जताई गई है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के बराबर बताया जा रहा है
- शोधकर्ताओं के अनुसार, भारत के गोंडवाना क्षेत्र का पांच फीसद हिस्सा भी कभी इस संभावित महाद्वीप का हिस्सा रह चुका है। अगर इसे मान्यता मिलती है तो यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बाद आठवां महाद्वीप होगा।
- 94 प्रतिशत समुद्र में डूबे में न्यूजीलैंड और फ्रांस नियंत्रित क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया को भी शामिल बताया जा रहा है।
- हाल में उपग्रह तकनीक और समुद्र तल के ग्रेविटी मैप में इस बात की पुष्टि हो गई कि यह एकीकृत क्षेत्र है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इसे महाद्वीप घोषित करने की मांग उठाई है।
- अध्ययन में कहा गया है कि का 94 फीसद हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है, दरअसल लाखों वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया से ही टूटकर समुद्र में समाहित हो गया था।

7. अर्बन हीट आइलैंड

साल दर साल गर्मी बढ़ रही है और सर्दी घट रही है। इसके लिए अर्बन हीट आइलैंड एक बड़ी वजह है। इसका मतलब है कि बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी गतिविधियां। आबादी के बढ़ते दबाव में यहां हरित क्षेत्र कम होता जा रहा है, जबकि कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

हरित क्षेत्र कम होने से शहरों में प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहा है।

- उदहारण के लिए एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वायु को दूषित ही नहीं करता बल्कि उसे गर्म भी करता है।
- दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रही गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग तो उत्तरदायी है ही, बदलता भू उपयोग) हरित क्षेत्र में निर्माण कार्य को बढ़ावा देना (भी एक बड़ी वजह है इसके अलावा वाहनों की बढ़ती संख्या और इनका धुआं भी हवा को गर्मी प्रदान कर रहा है।
- डीजल से चलने वाले जनरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवा भी वातावरण में गर्मी बढ़ा रही है।
- इसके लिए हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही बिल्डिंग निर्माण पर अंकुश लगाना होगा।

8. प्रदूषण ने लील ली 48 हजार से अधिक जिंदगी

हाल ही में एन्वायरमेंटल साइंस एंड पॉल्यूशन रिसर्च जरनल में आइआइटी मुंबई की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ ही रहा है, मृत्यु दर में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि:

- वर्ष 2015 में वायु प्रदूषण से दिल्ली में 48,651 लोगों की मौत हुई।
- लाख लोग विभिन्न रोगों के शिकार हुए। 1.2 लाख लोग गंभीर अवस्था में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए। और तो और वायु प्रदूषण से स्थायी शारीरिक विकृति भी तेजी से बढ़ रही है।
- इस श्रेणी में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। 1995 से 2015 के दौरान वायु प्रदूषण से समय पूर्व हो रही मौत में 2.5 गुना इजाफा हुआ है।
- 1995 में ऐसी मौत का आंकड़ा था 19,716 जो 2015 में बढ़कर 48,651 पहुंच गया।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण दिल्ली वासियों को बीमार भी बना रहा है। इन बीमारियों में श्वास रोग, दमा, अस्थमा, मधुमेह, मस्तिष्क संबंधी रोग, आंखों में जलन, त्वचा रोग व फेफड़ों से संबंधित रोग शामिल हैं। इनकी चपेट में भी अब हर आयु वर्ग के लोग आ रहे हैं।

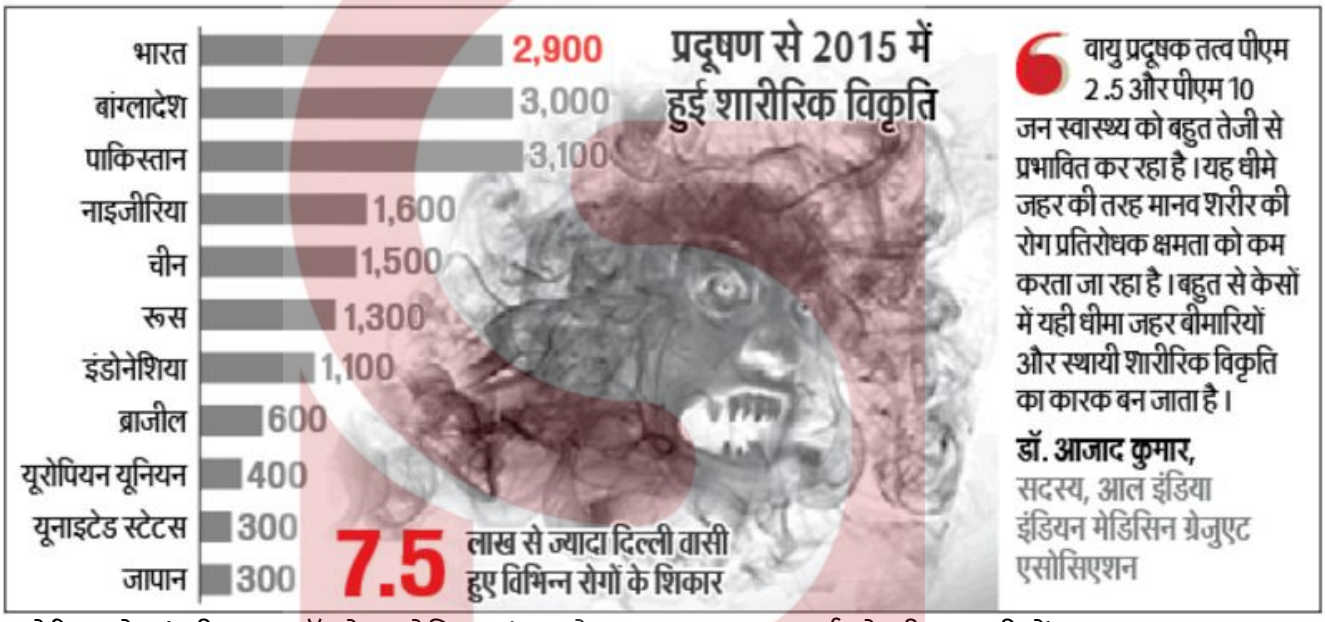

अमेरिका के इंस्टीटयूट फॉर हेल्थ मेटिक्स एंड इवेल्यूशन) आइएचएमई (ने भी हाल ही में वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें अमेरिका के साथ-साथ विश्व के 10 प्रमुख देशों के वायु प्रदूषण पर 1990 से 2015 तक की स्थिति का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण से इंसान की औसत उम्र तो घट ही रही है, लकवा, बांझपन व नपुंसकता भी बढ़ रही है। 2015 में यह स्थिति प्रति एक लाख लोगों में 2,900 लोगों की थी। हैरत की बात यह कि इस श्रेणी में अन्य देशों की तुलना में भारत का आंकड़ा तीसरे नंबर परहै। 3,100 के आंकड़े के साथ पाकिस्तान पहले नंबर पर है जबकि 3,000 की संख्या के साथ बांग्लादेश दूसरे नंबर पर|

GENERAL STUDIES HINDI

Science and Technology

1. इंटरसेप्टर मिसाइल तकनीक : भारत ने किया सफल परीक्षण

भारत ने ओडिशा के बालासोर तट से अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया और द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल की.

- इस इंटरसेप्टर को आईटीआर के अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से प्रक्षेपित किया गया.
- 'पीडीवी नामक यह अभियान पृथ्वी के वायुमंडल से 50 किमी उपर बाहरी वायुमंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है.''
- ''पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल :- लक्ष्य को दरअसल 2000 किमी से अधिक दूरी से आती शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर विकसित किया.

=>**कैसे कार्य करती है यह तकनीक :-**

- एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान कर ली
- रडार से मिले आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क ने आ रही बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग पता लगा लिया. पीडीवी को पूरी तरह तैयार रखा गया था.
- कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इसे छोड़ दिया गया. यह अहम दिशासूचक प्रणालियों की मदद से अवरोधन बिंदू तक पहुंच गई. सभी कार्यों का निरीक्षण विभिन्न स्थानों पर स्थित टेलीमीट्री रेंज स्टेशनों ने तत्काल आधार पर किया।
- यह मिसाइल ऑटोमेटिड ऑपरेशन, रडार आधारित और ट्रैकिंग सिस्टम आदि तकनीक से लैस है, जो कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से डेटा की गणना कर बलेस्टिक मिसाइल हमले का पता लगाकर उस पर जवाबी हमला करने में सक्षम है।
- पीडीवी वह तकनीक है, जिसमें मिसाइल को जवाबी हमले के लिए तैयार रखा जाता है, कंप्यूटर से जरूरी कमांड मिलते ही यह मिसाइल जवाबी हमले के लिए निकलने को तैयार रहती है।
- जैसे ही यह मिसाइल धरती के वातावरण से बाहर निकलती है इसकी हीट शील्ड इससे अलग हो जाती है और यह अपने लक्ष्य साध कर हमले करने को तैयार हो जाती है।
- दुनिया में सिर्फ छः देशों के पास ही यह ताकत है।

2. पीएसएलवी से जीएसएलवी

#Business_standard_editorial

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को एक ही प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (पीएसएलवी) इससे पहले 38 उड़ान भर चुका है।

GENERAL STUDIES HINDI

- अतिरिक्त बूस्टर के साथ इसे इतना क्षमतावान बनाया गया कि यह तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन वाले 104 उपग्रहों को ले जा सके।
- इन उपग्रहों की कक्षाओं का आकलन करना और उनका प्रबंधन करना अत्यंत जटिल कार्य था और इसरो को इस उपलब्धि के लिए निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए।
- इसके कुल वजन का आधा से अधिक तो कार्टोसैट उपग्रह था जो पृथ्वी का पर्यवेक्षण करता है। अन्य उपग्रहों में 100 से अधिक नैनो सैटेलाइट थे।
- इनमें से लगभग सारे कैलिफोर्निया की कंपनी प्लैनेट लैब के थे। यह कंपनी कुल 88 नैनो-सैटेलाइट का जत्था भेज रही है जिसे उसने डव्स नाम दिया है। प्लैनेट लैब का मानना है कि छोटे उपग्रहों का समूह अधिक प्रभावी ढंग से पृथ्वी की गतिविधियों को दर्ज कर सकता है, बनिस्बत बड़े उपग्रहों

के। प्लैनेट लैब्स के उपग्रह पृथ्वी की सतह के चित्र खींचकर भेजेंगे जिनको गूगल को बेचा जाएगा।

छोटे और अत्यधिक छोटे उपग्रहों का बाजार काफी बड़ा और आकर्षक है। ऐसे में इसरो इसका लाभ उठाकर अच्छा कर रहा है। यह बात खासतौर पर श्रेय देने लायक है क्योंकि आखिर है तो यह सरकारी संस्थान। अप्रैल 2008 में पीएसएलवी-सी9 की मदद से 10 उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया। वह भी विश्व रिकॉर्ड था। गत जून में पीएसएलवी-सी34 के जरिये 20 उपग्रह और अब पीएसएलवी-सी 37 के जरिये 100 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किए गए। पीएसएलवी की मदद से अब तक कुल 179 विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया जा चुका है। औसतन देखा जाए तो इसरो साल में चार से पांच प्रक्षेपण करता है। निश्चित तौर पर उसने कई गैर वाणिज्यिक सफलताएं अर्जित की हैं।

मसलन 2008 का चंद्रयान मिशन और मार्स ऑर्बिटर मिशन इसकी बड़ी उपलब्धियों में शामिल किए जाते हैं। इसरो ने क्रायोजनिक इंजन वाले रॉकेट भी सफलतापूर्वक छोड़े हैं। बहरहाल एजेंसी की मितव्ययता और लागत कम रखने की कोशिश की सराहना नहीं की जा सकती। उसकी सफलता को कम लागत से जोड़ कर देखा जा रहा है। आज देश के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के समक्ष जो सीमाएं हैं उसमें भी उनकी लागत की भूमिका रही है। तकरीबन 1,400 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में स्थापित करना भी निश्चित रूप से अपने आप में एक अहम उपलब्धि है लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, चीन साल में कम से कम 20 प्रक्षेपण करता है और वाणिज्यिक बाजार की अपेक्षा अब लगभग 3,500 किलोग्राम से अधिक वजन के प्रक्षेपण की है।

Should focus on GSLV

पीएसएलवी के साथ ऐसा करना दुष्कर साबित होगा। उसमें पर्याप्त क्षमता ही नहीं है। इसरो को अब जियोक्रायोजनिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जीएसएलवी की शीघ्र आवश्यकता है। इस दिशा में हमें कई नाकामियां हाथ लग चुकी हैं। समस्या यह है कि जीएसएलवी जहां इसरो के लिए अब स्थिर तकनीक नजर आ रही है, वहीं इसका निर्माण मूलतया रूसी तकनीक की मदद से किया गया था। स्थानीय स्तर पर बना क्रायोजनिक इंजन काफी अलग होता है। बहरहाल, गत वर्ष सितंबर में एक देसी क्रायोजनिक इंजन की मदद से जीएसएलवी का प्रक्षेपण किया गया था। यदि इसरो और उसकी वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स अपनी महत्त्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं तो यह बात अहम है कि वे अपने रॉकेट में बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करें, बजाय कि छोटे और नैनो सैटेलाइट के बाजार में लागत के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने के लिए ।

GENERAL STUDIES HINDI

International Relation& International events

1. अमेरिका ने भारत को दिया प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा; एक्सपोर्ट कानून में किया बदलाव

- अमेरिका ने भारत के प्रमुख रक्षा भागीदार के दर्जे को मान्यता देते हुये अपने निर्यात नियंत्रण कानून में जरूरी बदलाव किये हैं।
- इसके साथ अमेरिका से उसके वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण वाले सैन्य सामानों का आयात करने वाली कंपनियों को एक तरह से मंजूरी दे दी गई है। इनमें व्यापक जनसंहार वाले हथियार शामिल नहीं हैं।

****क्या होंगे इससे भारत को लाभ :-**

- इससे प्रौद्योगिकी और हथियारों का आसानी से हस्तांतरण किया जा सकेगा, जिसका भारत को फायदा मिलेगा।
- अब इसकी बहुत ही कम संभावना है कि भारत को किसी सैन्य उत्पाद के आयात के लिये लाइसेंस से इनकार किया जायेगा।
- इस भागीदारी से इसे वास्तविक नियामकीय सुधार में बदला जा सकेगा।
- नये नियमों के तहत कानून में भी बदलाव किया गया है। इससे आयातित सामान का वैधानिक तौर पर अंतिम उपयोग करने वाली कंपनियों को किसी तरह का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

=>क्या होगा नया :-

- जो कंपनियां 'वैलिडेटेड एंड यूजर' का दर्जा हासिल कर लेंगी, उन्हें हथियारों के आयात के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब भारत में काम कर रहीं भारतीय और अमेरिकी कंपनियां नागरिक और सैन्य निर्माण के लिए वैलिडेटेड एंड यूजर का दर्जा हासिल कर सकेंगी और उन्हें यह दर्जा मिल जायेगा, तो उन्हें अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी
- पिछले करीब आधे दशक में इस नये नियम के तहत आने वाले सामानों के व्यापार में 5 अरब डॉलर का प्रतिनिधित्व करने वाले 810 लाइसेंस दिये गये हैं।

2. चीन का मिसाइल प्रदर्शन क्षेत्र में बढ़ते तनाव का संकेत

Context:

आमतौर पर अपने हथियार गोपनीय रखने वाली चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने मध्यम दूरी की मिसाइल डीएफ-16 का प्रदर्शन करके जता दिया है कि वह अमेरिका के साथ एक प्रकार के शीतयुद्ध में उलझने को तैयार है। चीन ने कहा भी है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध का खतरा ज्यादा वास्तविक हो गया है और एशिया व प्रशांत की सुरक्षा की स्थिति और जटिल हो गई है।

- इसके तहत न सिर्फ शस्त्र निर्माण प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान होगा बल्कि अमेरिकी फौजें और मिसाइलें भी भारत भूमि पर तैनात हो सकेंगी।
- अगर चीन अमेरिका के विरुद्ध किसी प्रकार की सैन्य तैयारी कर रहा है या अमेरिका चीन के विरुद्ध कुछ ऐसा कर रहा है तो भारत उसके अच्छे-बुरे प्रभावों से बच नहीं सकता। सवाल यह है कि आमतौर पर अपने कारगर हथियारों का प्रदर्शन करने से झिझकने वाली चीनी सेना अब प्रदर्शनकारी क्यों हो गई है? इसके दो अर्थ हो सकते हैं।
    - एक तो यह कि चीन अमेरिका से उत्पन्न होने वाले हर खतरे से निपटने और उसे मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। क्योंकि चीन के सैन्य अधिकारियों ने डी-16 मिसाइल और उसके साथ चाइना रॉकेट फोर्स के विविध हथियारों का प्रदर्शन करते हुए यह कहा है कि उसकी यह मिसाइल क्रूज मिसाइल से ज्यादा अचूक निशाना साधती है।
    - यह भी हो सकता है कि ट्रम्प को यह एक प्रकार की चेतावनी है कि वे चीन के आसपास कोई दखलंदाजी न करें। यह भी हो सकता है कि व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ चीन युद्ध की बजाय शांति के आक्रामक रुख से काम चलाना चाहता है। दोनों स्थितियों में भारत को हर कदम संभलकर और सधे हुए तरीके से ही रखना होगा, क्योंकि अमेरिकी निकटता के लाभ चीन से दूरी के कारण खो भी सकते हैं।

3. आतंकवाद पर दोहरे मापदंड

हाल ही में खबरों में क्यों

ताजा मामला यह है कि पाकिस्तान स्थित संगठन जैशे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक-आतंकवादी घोषित करने को लेकर जब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में मामला उठाने की कोशिश की, तो चीन ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। इस मुद्दे पर ब्रिटेन और फ्रांस पहले से अमेरिका के साथ थे।

आतंकवाद आज किसी एक देश की समस्या नहीं है, दुनिया भर में गहरी चिंता का विषय बन चुका है। अलग अलग स्तरों पर इस पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मगर हैरानी की बात है कि किसी आतंकी-संगठन के मुखिया को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के मामले भी विवाद के घेरे में आ जाते हैं।

- पिछले कुछ हफ्तों के भीतर मसूद पर पाबंदी लगाने के प्रयासों को यह दूसरा धक्का लगा है। इससे पहले भारत की कोशिशों को चीन ने कर दिया था। 'ब्लॉक'
- खबरों के मुताबिक उसी के बाद भारत और अमेरिका के बीच इस राय पर सहमति बनी कि अगर जैशेमोहम्मद एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है-, तो इसके नेताओं को इस पाबंदी से आजाद रखने की क्या तुक हैयह बिना किसी बाधा से स्वीकार किया जाने वाला तर्क है !
- । अगर आतंकवाद पर लगाम लगाने को लेकर चीन का रुख सकारात्मक रहता, तो मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर उसे प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिल सकती थी। इसके बाद अजहर की संपत्ति पर रोक लग जाती और पाकिस्तान सहित किसी भी देश में उसके आनेजाने पर पाबंदी लग जाती।-

चीन का पाकिस्तान नीति और आतंकवाद पर मापदंड

- यह समझना मुश्किल है कि आखिर चीन किस स्तर तक जाकर पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाना चाहता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के पहले भी मसूद अजहर पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन चीन ने अमेरिकी कदम का विरोध करते हुए प्रस्ताव को स्थगित करवा दिया था।
- एक तकनीकी समस्या यह है कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव को छह महीने के लिए स्थगित किया जा सकता है और इसकी अवधि तीन महीने तक और बढ़ाई जा सकती है। इस बीच अगर कभी इसे ब्लॉक कर दिया गया तो उसी के साथ वह प्रस्ताव भी खत्म हो जाता है। यानी यह साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद का सदस्य और वीटो का अधिकार होने के नाते चीन किस कदर दुनिया के जटिल हो चुके आतंकवाद की समस्या को लेकर लापरवाही भरा रुख अख्तियार कर रहा है।

GENERAL STUDIES HINDI

क्या करना चाहिए भारत को

संयुक्त राष्ट्र ने जैशे-मोहम्मद पर 2001 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। मगर उसके सरगना मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की कोशिशों का चीन लगातार विरोध करता रहा है। जाहिर है, चीन अगर लगातार इस मसले पर अड़ा हुआ है तो इसका मतलब यह भी है कि भारत की ओर से कूटनीति के स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यों भारत ने इस मामले को चीनी सरकार के सामने उठाने की बात कही है, लेकिन इसके बारे में कोई ब्योरा अब तक सामने नहीं आया है। कूटनीतिक बैठकों के गोपनीय होने की दलील जरूर मानी जा सकती है, मगर इसके साथ ही आतंकी संगठनों और उनके संरक्षकों पर दबाव बनाने के लिए कुछ तथ्य लोगों को बताए जा सकते हैं, ताकि इस मसले पर एक जनमत का निर्माण किया जा सके। आतंकवाद से पीड़ित देश और वहां के लोगों की प्रतिक्रिया इस पर कार्रवाई की दिशा तय करने में सहायक साबित हो सकती है।

4. नेपाल पर चीन का वर्चस्व और दक्षिण एशिया

नेपाल और जल की प्रचुरता

- नेपाल के पास अपार जल संसाधन हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बंदरगाह विहीन हिमालयी देश के बारे में कहा कि एशिया में नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहां प्रति व्यक्ति जल संसाधन सबसे ज्यादा है।
- अरब देशों के पास जिस तरह तेल की भरमार है कुछ उसी तरह नेपाल के पास भी अकूत जल संपदा है।
- आंकड़ों के अनुसार उसके पास प्रति व्यक्ति 7,372 घन मीटर रिन्यूएबल यानी अक्षय जल संसाधन होने का अनुमान है। यही नहीं इस मामले में वह एशिया के दो विशाल आबादी वाले देशों भारत और चीन, (जिनके बीच वह स्थित है से भी बेहतर स्थिति में है। (

क्या यह नेपाल के लिए एक अभिशाप

नेपाल के लिए यह जल संसाधन वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है, क्योंकि वह इसका दोहन करने में विफल रहा है। इसी कारण उसे न सिर्फ बिजली की जबरदस्त किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सिंचाई और पीने के पानी की कमी से भी दोचार होने को मजबूर है।-

चीन की तरफ रुख करता नेपाल

एक और चिंतनीय बात यह देखने को मिल रही है कि नेपाल अपने दशकों पुराने साथी यानी भारत से दूर होकर बीजिंग के करीब जाता दिख रहा है। चीन भी नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने को लेकर ललचा रहा है। उसने हाल में नेपाल में एक बंदरगाह बनाने को लेकर उसके साथ समझौता किया है। इससे भारत के निकटतम पड़ोसी देश में चीन के बढ़ते प्रभाव का संकेत मिलता है।

भारत विरोधी भावना और कारक

भारत इसमें दखल देने की कोशिश करता तो उसे नेपालियों की राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता। माओवादी, वामपंथी और राष्ट्रवादियों ने मिलकर नेपाल में भारत की नकारात्मक छवि बना दी है कि यह उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता के अतिक्रमण के साथ ही उसकी पनबिजली परियोजनाओं को अटकाना चाहता है। हालांकि चीन के सामने वामपंथी विचारधारा से प्रभावित नेपाल में ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है।

चीनी वर्चस्व

GENERAL STUDIES HINDI

चीन अपनी कंपनियों के निर्माण परियोजनाओं और बड़े धीरे अपना-बड़े वित्तीय कर्जों द्वारा नेपाल में धीरे-दखल बढ़ा रहा है और उसे अपने अहसान तले दबा रहा है। इससे नेपाल पर चीन के वर्चस्व का खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं बीजिंग नेपाल पर पहले से ही इसके लिए दबाव बना रहा है कि वह अपने यहां से होकर भारत जाने वाले तिब्बतियों पर कड़ी कार्रवाई करे।

जल एक संसाधन और कूटनीति और आर्थिक विकास में मदद

- नेपाल के पास 83,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने में सक्षम जल संसाधन हैं, यदि वह इसका आंशिक रूप से भी दोहन कर लेता है तो वह बिजली का बड़ा निर्यातक बन सकता है।
- हिमालय में प्रकृति प्रदत्त इस बहुमूल्य उपहार का दोहन कर नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने लायक जरूरी रकम जुटाकर भूटान की बराबरी कर सकता है।

- अपेक्षाकृत एक छोटे से देश भूटान ने समृद्ध जल संसाधन को ही में तब्दील कर दिया 'नीले सोने' है। तथ्य यही है कि नेपाल अपने सभी स्रोतों से कुल30 लाख आबादी के लिए सिर्फ 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही कर पाता है।
- **भूटान से सबक** :भारत में बहने वाली कई नदियों का उद्गम नेपाल में है। बावजूद इसके वह भारत से बिजली आयात करता है। भारत ने नेपाल और भूटान के साथ जल संबंधी कई समझौते किए हैं, जिन्हें वह कूटनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करता है। इन समझौतों के तहत भूटान में पर्यावरण अनुकूल पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सब्सिडी मुहैया कराता है। ये परियोजनाएं भूटान की सफलता में मददगार साबित हुई हैं।
- **नेपाल भारत समझौते** : भारत नेपाल जल समझौते अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके हैं।- इसका कारण नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और भारत का नेपाल की चिंताओं के प्रति संवेदनशील नहीं होना रहा है। कई संयुक्त परियोजनाएं या तो अधूरी हैं या विफल हो गई हैं। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की भावना समय के साथ कमजोर हुई है। उधर बांग्लादेश ने फरक्का में गंगा नदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए नेपाल में एक जल परियोजना शुरू करने की मांग की है। फरक्का वह स्थान है जहां से भारत बांग्लादेश-1996 की एक जल संधि के तहत बराबर मात्रा में गंगा नदी के जल का बंटवारा करते हैं। भारत ने बहाव क्षेत्र के नीचे स्थित देश बांग्लादेश को सूखे के मौसम में भी जल प्रवाह सुनिश्चित कर इस संधि को नया विस्तार दिया है।

नेपाल में चीन और भारत और बांग्लादेश पर प्रभाव

नेपाल में सैकड़ों नदियां बहती हैं जिसमें से कुछ का उद्गम तिब्बत है। उसके पास पश्चिम में महाकाली से पूर्व में कोसी तक पांच प्रमुख नदी घाटियां हैं। उसकी सभी नदियां भारत में गंगा में आकर गिरती हैं। नेपाल भूजल स्तर के मामले में भी समृद्ध है। तथ्य यह भी है कि च-ीन के विपरीत भारत के साथ उसकी कई जल संधियां वजूद में हैं। किसी संधि में न बंधे होने के कारण ही चीन ने नेपाल में प्रवेश करने से तुरंत पहले करनाली नदी पर बांध बना रखा है। वह अरुण नदी पर भी पांच बांधों का झरना बनाने की योजना बना रहा है। इसके निर्माण से गंगा का जल प्रवाह कमजोर होगा। इससे बांग्लादेश के साथ भारत के गंगा नदी के जल बंटवारे की व्यवस्था भी प्रभावित होगी।

नेपाल की आतंरिक स्थिति

- नेपाल पिछले कुछ दशकों से भारी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। आज भी वहां राजनीतिक स्थिरता कोसों दूर नजर आ रही है। इसके अलावा बेरोजगारी, गरीबी, कुशासन और खराब कानून व्यवस्था के अलावा राजनीतिक विभाजन जैसी समस्याएं उसे अलग से परेशान- कर रही हैं।
- नेपाल की आंतरिक राजनीतिक समस्याओं ने उसकी पनबिजली और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार को बाधित कर रखा है, जबकि जरूरी राजस्व और विकास दर हासिल करने और मानसूनी बाढ़ पर काबू पाने के लिए इस क्षेत्र में प्रगति बेहद जरूरी है।

त्रिस्तरीय संस्थागत सहयोग की व्यवस्था की जरुरत

अब गंगा नदी घाटी का समेकित विकास करने का समय आ गया है। इसके लिए नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच एक त्रिस्तरीय संस्थागत सहयोग की व्यवस्था बनानी होगी। आगे इसमें ऊर्जा, परिवहन

और बंदरगाह के मुद्दों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि गैर नदी घाटी देश चीन का इसमें प्रवेश तीनों देशों की समस्याओं को बढ़ा रहा है।

साथ ही तिब्बत से निकलकर नेपाल, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदियों पर एकतरफा बांध बनाकर और नेपाल के पनबिजली क्षेत्र में प्रवेश कर वह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ऐसे में जल अभिशाप से छुटकारा नेपाल के भविष्य के लिए अपरिहार्य है।

विशाल हिमालय चीन शासित तिब्बत से नेपाल को अलग करता है, लेकिन वह भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के बेहद करीब है। दोनों के पास कई साझा नदी घाटियां भी हैं। भारत और बांग्लादेश के साथ जल समझौता कर वह साझा नदियों के पानी का दोहन कर सामूहिक रूप से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन यदि नेपाल राजनीतिक उठापटक से ग्रस्त रहता है तो उसके विफल राष्ट्र में तब्दील होने का खतरा बढ़ जाएगा। जाहिर है यह स्थिति भारत की सुरक्षा चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देगी।

5. चीन की ओर झुकता शक्ति संतुलन

#Editorial Jagaran

सन्दर्भ

चीन के शीर्ष नेता चिनफिंग ने WEF में अपने भाषण में खुलकर भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। इसे हाल के वर्षो में दुनिया के किसी भी प्रमुख नेता द्वारा भूमंडलीकरण की सबसे जोरदार वकालत करार दिया जा सकता है। यह इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्व पटल पर अभी तक यह भूमिका अमेरिका की हुआ करती थी। यह वैश्विक स्तर पर बदलते हुए समीकरणों का नतीजा है। भले ही इस पर बहुत लोगों की नजर नहीं गई हो, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता यानी पीपीपी के आधार पर चीन आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

चीन की बढती ताकत

- 1992 में सकल विश्व उत्पाद में अमेरिका का 20 प्रतिशत हिस्सा था और चीन का 5 प्रतिशत। मगर 25 वर्षो के भीतर आज सकल विश्व उत्पाद में चीन का करीब 18 प्रतिशत हिस्सा है और अमेरिका का 16 प्रतिशत।
- आर्थिक संतुलन बदलने से जल्द ही सामरिक संतुलन भी बदलने लगेगा। आखिरकार स्वयं अमेरिका भी 1890 में ब्रिटेन को पछाड़ते हुए हुए विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था, परंतु सामरिक महाशक्ति के रूप में उसे मान्यता 1940 के दशक में ही मिल पाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन से अमेरिका को सत्ता सैक्सन-हस्तांतरण पश्चिमी सभ्यता के ढांचे में ही एक ऐंग्लो-सैक्सन शक्ति को ही हुआ हस्तांतरण था। इसक-दूसरी ऐंग्लो :शक्ति से मूलतः विपरीत अमेरिका से चीन की ओर आर्थिक और सामरिक शक्ति का खिसकना 500 वर्षो के एकछत्र पश्चिमी वर्चस्व के पराभव का परिचायक है।

क्यों चीन के लिए यह बात

- चीन सिर्फ अमेरिका से अलग एक देश ही नहीं, अपितु एक अलग सभ्यता भी है जो अपने प्राचीन और निरंतर स्वरूप में भारत जैसी ही है, मगर भारत के विपरीत चीन इतिहास में अधिकांश समय स्वयं को एक एकीकृत राजनीतिक इकाई बनाए रखने में सफल रहा है और चीन की राज्य व्यवस्था हमेशा अपने दर्शन और सिद्धांतों पर टिकी रही है।

- चीन पर भी बाहरी हमले होते रहे और मध्यकालीन दौर में शताब्दियों तक विदेशी शासकों ने उस पर राज भी किया है, लेकिन वे चीन की राज्य व्यवस्था और राजनीतिक विचारों पर कभी अपनी व्यवस्था नहीं थोप पाए जो हमेशा चीन के पारंपरिक और सभ्यतागत विचारों पर ही केंद्रित रही है। उलटे उन्हें ही चीन की व्यवस्था को आत्मसात करना पड़ा।
- **हेनरी किसिंग्जर** इस तथ्य का जिक्र करते हुए कहते हैं कि दुनिया में चीन के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं हैं जहां नेता और सेना के जनरल आधुनिक युद्धों की योजना बनाते समय प्राचीन युद्धों और घटनाओं का सहजता से जिक्र करते हों। हजारों सालों की यह अटूट सामरिक और राजनीतिक परंपरा चीन को पश्चिम का सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी बनाती हैं।
- वी एस नायपॉल के शब्दों में भारत है जिसकी विश्वगुरु जैसी आत्मश्लाघा 'एक आहत सभ्यता' बड़ी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। यह मानने का कोई-और महाशक्ति बनने की बड़ी कारण नहीं हैं कि चीन पश्चिम द्वाराबनाई गई मौजूदा विश्व व्यवस्था को ज्यों का त्यों मान लेगा और वह इसे अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल चीन अपनी आर्थिक प्रगति के लिए पश्चिम पर ही निर्भर है। चीन की आर्थिक प्रगति का मॉडल निर्यात पर टिका है जिसके लिए मुक्तव्यापार की- व्यवस्था बेहद जरूरी है।

चीन पर बढती पश्चिम की निर्भरता और संरक्षणवाद का उदय

चीन की प्रगति की आधारशीला : शीत युद्ध के चरम पर सोवियत संघ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी- के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अमेरिका ने इसका फायदा उठाते हुए सोवियत संघ की घेराबंदी करने हेतु चीन से दोस्ती गांठ ली। इस नए रिश्ते का एक महत्वपूर्ण पक्ष अमेरिका समेत पश्चिमी देशों द्वारा अपने बाजार चीनी उत्पादों के लिए खोलना था। देंग श्याओपिंग के सत्ता संभालने के बाद जब चीन ने माओ की समाजवादी नीति को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया तो मानव इतिहास के सबसे बड़े और तेज रफ्तार उद्योगीकरण और आर्थिक प्रगति का आरंभ हो गया। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार ने चीन को खुद को के तौर पर स्थापित करने का अवसर दिया और यही 'विश्व की फैक्टरी' निर्यात आधारित उद्योगीकरण चीन की अप्रत्याशित आर्थिक प्रगति की आधारशिला बना।

फिर 2008 और तकरार

- पश्चिमी देश सस्ते उत्पादों के लिए भी चीन पर निर्भर हुए। इस परस्पर निर्भरता ने चीन को पश्चिम और खास तौर पर अमेरिका से तमाम मतभेदों और प्रतिद्वंद्विता के बावजूद टकराव से रोके रखा, मगर 2008-09 में आए वित्तीय संकट के कारण विश्व अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बाद चीन में बने उत्पादों की मांग कम हो गई।
- इसके साथ ही पश्चिमी देशों में बंद होती मिलों, घटते रोजगारों और नव राष्ट्रवाद के उभार ने- आर्थिक नीति को संरक्षणवाद की ओ र मोड़ना शुरू कर दिया।
- इसने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। जहां दशकों तक भूमंडलीकरण की वकालत करने और यहां तक कि इसे दूसरे देशों पर थोपने वाले पश्चिमी देश उससे भाग रहे हैं वहीं चीन जैसा देश उसकी मुखरता से हिमायत कर रहा है।
- चीन अपनी अर्थव्यवस्था की निर्यात निर्भरताको कम कर-घरेलू खपत की ओर बढ़ने का सिलसिला शुरू कर रहा है, लेकिन यह प्रकिया आसान नहीं होने वाली है।

चीन की प्रति व्यक्ति आय अभी भी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है। लिहाजा चीन भूमंडलीकरण को सशक्त बनाने की पूरी कोशिश करेगा और ट्रंप के विपरीत चाहेगा कि अमेरिकी बाजार चीनी उत्पादों के लिए पहले जैसे ही खुले रहें। ट्रंप ने भले ही चुनाव प्रचार में चीन के खिलाफ

अभियान चलाया हो और उनके प्रशासन में चीन विरोधियों की भरमार हो लेकिन वह शायद ही चीन के उभार को रोक सके। चीन ने हमेशा स्वयं को विश्व के केंद्र के रूप में देखा है जिससे उसे पश्चिमी साम्राज्यवाद ने वंचित कर दिया था। ऐसा लग रहा है कि विश्व में शक्ति का संतुलन पुन चीन की : ओर झुकता जाएगा। ध्यान रहे कि तमाम बयानबाजी के बाद ट्रंप को ताइवान के मुद्दे पर झुकना नीति का समर्थन भी करना पड़ा 'एक चीन' पड़ा और

6. एच-1बी वीजा और भारत

क्या है H-1 B visa

- ✓ एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है
- ✓ अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो.
- ✓ इस वीजा के लिए कुछ शर्तें भी हैं .जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए |साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है
- ✓ इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं
- ✓ इस वीजा की मांग इतनी ज्यादा है कि इसे हर साल लॉटरी के जरिये जारी किया जाता है .एच-1बी वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी करीब 100 भारतीय आईटी कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं.

इसका विरोध क्यों

- ✓ अमेरिकियों का मानना है कि कंपनियां इस वीजा का गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं .उनकी शिकायत है कि यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही हैं . इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं.
- ✓ इस वीजा के गलत इस्तेमाल को लेकर भारतीय आईटी कंपनियों पर भी आरोप लगते रहे हैं . 2013 में भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस को ऐसे ही एक मामले को लेकर करीब 25 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ा था
- ✓ अमेरिका में पिछले काफी समय से यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है और चुनाव के समय पार्टियां इस पर शिकंजा कसने को लेकर वादे भी करती हैं .पिछले साल हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था .ट्रंप ने अपनी कई रैलियों में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात भी कही थी

why cause of worry for India

- ✓ प्रमुख IT कंपनियों का करीब 60 फीसदी राजस्व यानी रेवेन्यू अमेरिका से आता है .साथ ही ये सभी कंपनियां बड़ी संख्या में एच-1बी वीजा धारकों से काम करवाती हैं.

- ✓ हर साल दिए जाने वाले कुल 85000 एच-1बी वीजा में से 60 फीसदी भारतीय कंपनियों को दिए जाते हैं .एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इंफोसिस के कुल कर्मचारियों में 60 फीसदी से ज्यादा एच 1बी वीजा धारक हैं .इसके अलावा वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में एच-1बी वीजा धारकों में करीब 70 प्रतिशत भारतीय हैं.
- ✓ यदि अमेरिका में एच-1बी वीजा दिए जाने के नियमों में कोई बदलाव किया गया तो इससे सबसे ज्यादा भारतीय इंजीनियर और भारतीय कंपनियां प्रभावित होंगी .साथ ही इसका बुरा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा .पिछले दिनों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था, 'अगर अमेरिका में एच-1बी वीजा नियम कड़े किये जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत की जीडीपी पर पड़ेगा और जो हमने 8-10 फीसदी की जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हम हासिल नहीं कर पाएंगे'.
- ✓ भारतीय जीडीपी में भारतीय आईटी कंपनियों का योगदान 9.5 प्रतिशत के करीब है और इन कंपनियों पर पड़ने वाला कोई भी फर्क सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा.

7. भारत-पाक का परमाणु हथियार समझौता : 5 वर्ष के लिए समझौता बढ़ाया

भारत और पाकिस्तान ने उस समझौते को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है, जो परमाणु हथियारों से जुड़े हादसों का खतरा कम करने के लिए किया गया था।

क्या है समझौता:-

- ➢ समझौते के तहत दोनों देश अपने क्षेत्र में परमाणु हथियार से हादसा होने पर दूसरे को सूचना देंगे, क्योंकि विकिरण के कारण सीमापार भी नुकसान हो सकता है।
- ➢ इस स्थिति में विदेश सचिवों के हॉटलाइन, डिप्लोमैटिक लिंक या और किसी भी चैनल का इस्तेमाल किया जाएगा।
- ➢ एक दूसरे की सहमति के बिना तीसरे पक्ष को सूचना देने पर भी रोक का प्रावधान है।

इतिहास :-

- ➢ समझौता पहली बार 2007 में किया गया था, जिसे 2012 में भी विस्तार दिया गया था। पहली बार समझौता होने से पहले तीन साल तक बातचीत चली थी।
- ➢ इस समझौते ने मुंबई अटैक से लेकर पठानकोट और उड़ी अटैक देखे, लेकिन यह बना रहा।
- ➢ तनाव के बावजूद दोनों देशों ने 1988 में समझौता किया था कि वे एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। परमाणु ठिकानों की सूची सौंपने पर भी सहमति बनी और 1992 से दोनों देश हर साल सूची सौंप रहे हैं।

8. भारत के लिए चिंता का विषय : लगातार बढ़ता हुआ चीन के साथ व्यापार घाटा

- भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में चीन की बढ़त कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दो साल में तमाम प्रयासों के बावजूद चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने में सरकार को सफलता नहीं मिल रही है।
- साल 2016 में द्विपक्षीय व्यापार चीन के पक्ष में रहा और भारत के लिए व्यापार घाटा **46.56 अरब डॉलर** रहा।

भारत के लिए चिंता का विषय

- चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में उसका हावी रहना भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीते दो-तीन साल से इसे कम करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं।
- चीन को होने वाले भारतीय निर्यात को बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के बीच होने वाले कारोबार की प्रकृति इस तरह की है जिसके चलते यह चीन के पक्ष में ही बना हुआ है।
- साल 2015 में भारत और चीन के बीच होने वाले कारोबार में व्यापार घाटा 45 अरब डॉलर का था। दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में चीन की इस बढ़त को लेकर कई स्तरों पर चिंता व्यक्त की गई और देश के कई बाजारों में चीनी उत्पादों के बहिष्कार को लेकर भी अभियान चले।

लेकिन इसके बावजूद 2016 में न तो चीन को होने वाले भारतीय निर्यात की रफ्तार को तेज किया जा सका और न ही वहां से होने वाले आयात में कोई कास कमी आई।

भारतीय उत्पादों को चीन में लोकप्रिय बनाने के मजबूत प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बावजूद चीन को होने वाले भारतीय निर्यात में गिरावट का क्रम बना हुआ है। साल 2016 में इसमें पिछले साल के मुकाबले 12 फीसद की कमी दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दोनों देशों के ज्यादातर उत्पाद आपस में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में हैं। ऐसे में चीन के उत्पाद अपने अत्याधुनिक औद्योगिक माहौल के चलते भारतीय उत्पादों से बेहतर होते हैं। इसके चलते घरेलू बाजार में चीनी उत्पादों की मांग अधिक रहती है।

- जबकि चीन के बाजार में भारतीय उत्पाद अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक और उदाहरण से इसे समझें तो साल 2015-16 में हुए वाहन और कारों के कलपुर्जों के निर्यात से समझा जा सकता है।
- इस वर्ष भारत ने 14.35 अरब डॉलर के वाहनों और कलपुर्जों का निर्यात किया। लेकिन इसमें से केवल 46 करोड़ डॉलर का निर्यात ही चीन को हो सका। सरकार ने केवल चीन को निर्यात बढ़ाने के उपाय ही नहीं किये हैं। बल्कि चीन से होने वाले गैर जरूरी आयात को नियंत्रित करने के भी प्रयास बीते दो साल में हुए। एंटी डंपिंग ड्यूटी के जरिये चीन से आने वाले गैर जरूरी स्टील, रसायन आदि के आयात को काबू में करने के काफी प्रयास हुए।

NATIONAL ISSUES:

1. अतिवादी रुख-रवैये की अति

#Dainik_Jagarn_Editorial

GENERAL STUDIES HINDI

सरकार, साहित्य और संस्कृति-ये तीनों आजकल भीड़ तंत्र के हवाले दिखते हैं। कानून नहीं भीड़ का राज बढ़ चला है। भावनाएं आहत होने के नाम पर जो लोग किसी खास जगह इकट्ठे हो रहे बस वही सही कह रहे हैं, कानून और जांच एजेंसियां आदि सब गलत। अच्छी-भली बहुमत वाली सरकारें भी इसी भीड़ के आगे कांपने लगती हैं। उन्हें लगता है कि भीड़ मतलब ढेर सारे वोट। लोकतंत्र में जीत-हार के लिए एक-एक वोट की कीमत है। जल्लीकट्टू मुद्दे पर हुए आंदोलन को ही ले लें। इस मसले पर चेन्नई में समुद्र तट पर भीड़ इकट्ठी हो गई और इस खेल को लोगों ने अपनी संस्कृति और तमिल स्वाभिमान से जोड़ दिया।

कुछ सोचने वाले बिंदु

- मामला इतना आगे बढ़ा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली तक दौड़े और लौटकर उन्होंने कुछ शर्तो के साथ अध्यादेश और बाद में विधेयक भी पास कर दिया। इसे विभिन्न चैनलों ने तमिल उत्थान और अधिकारों से जोड़ा।
- जब आंदोलन खत्म हो गया तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें राष्ट्रविरोधी तत्व भी आ जुटे थे। अगर इस आंदोलन को राष्ट्रविरोधी तत्वों ने हवा दी तो मुख्यमंत्री को अध्यादेश जारी करने की क्या सूझी?
- जो तमाम टीवी संवाददाता इस आंदोलन को कवर कर रहे थे वे भी जल्लीकट्टू के समर्थकों की तरह बोल रहे थे। वे इसे युवाओं की आकांक्षा बता रहे थे।
- पत्रकार एन राम ऐसे दिखे जिन्होंने इस आंदोलन का विरोध किया था। उन्होंने इसे अमीर किसानों का खेल बताया।

जल्लीकट्टू के बाद अब कंबाला

अभी जल्लीकट्टू की आग थमी नहीं थी कि कर्नाटक में कंबाला) जो कि भैंसों का खेल है और जिस पर न्यायालय ने रोक लगा रखी है (पर से रोक हटाने और कर्नाटक के स्वाभिमान की रक्षा की बातें होने लगीं। बताया जाने लगा कि यह खेल आठ सौ वर्ष पुराना है और कर्नाटक की संस्कृति से गहराई से जुड़ा है।

शोचनीय पक्ष

जिस तरह संयुक्त परिवार में आज कोई रहना नहीं चाहता उसी तरह देश के बारे में सोचना भी बंद सा हो चला है। सब अपने-अपने प्रदेश, भाषा और संस्कृति को महान बता रहे हैं। एकता की जगह हम अलग हैं की बातें कर रहे हैं। आज किसी के बारे में लिखना, कोई फिल्म बनाना, मंच से अपनी बात कहना और किसी का विरोध करना भी कठिन हो गया है। आज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति हावी होती दिखती है। इसी अधिकार वाद और महानता के विचार ने हममें यह भाव पैदा किया है कि हम जैसे भी हैं सबसे अच्छे हैं। सारा मुद्दा इस सबसे अच्छे और दूसरों से हमेशा अच्छे होने के विचार में छिपा है। चूंकि हम सबसे अच्छे हैं, इसलिए हमारी हर बात और हर परंपरा अच्छी ही होगी। जब निर्भया का मसला चल रहा था, उस समय आंदोलनकारी यही मांग कर रहे थे कि अपराधियों को चौराहे पर सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। इस भीड़ तंत्र ने ही यह किया है कि अब अदालतों की बात भी मैं तब मानूंगा जब वे मेरे पक्ष में होगी।

निष्कर्ष

संस्कृति का राग कुछ ऐसा है कि आजकल किसी गलत बात को गलत कहना भी क्षेत्रवाद के कारण अपराध बना दिया जाता है। एक समय बहुत सी अमानवीय प्रथाएं जारी थीं। नवजागरण काल में जब उन्हें हटाने की मांग की जाने लगी तो यही कहा गया कि इसके पीछे भारत नहीं, बल्कि वे अंग्रेजी दिमाग हैं । अब देश के भीतर ही बाहरी और भीतरी का राग जोर से अलापा जाने लगा है। भीड़ की तरह बहुत से एनजीओ भी अतिवाद के शिकार हैं। जानवरों के लिए काम करने वाले एनजीओ का अतिवाद इतना अधिक है कि जो लोग भालू पालते थे, बंदर या सांप पाल कर खेल दिखाते थे। उनकी देखभाल करते थे, पेट पालते थे, उन पर भी जानवरों के अत्याचार के नाम पर रोक लगा दी गई। सदियों से अपने देश में तोते पाले जाते रहे हैं। अब तो तोता या चिड़िया पालना भी गुनाह बना दिया गया है।

2. नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध परियोजना की चपेट में आए तमाम गांवों और वहां रहने वाले लोगों के विस्थापन और उनके मुआवजे का सवाल

#Editorial_jansatta

Why in news:

नर्मदा घाटी में सरदार सरोवर बांध परियोजना की चपेट में आए तमाम गांवों और वहां रहने वाले लोगों के विस्थापन और उनके मुआवजे का सवाल करीब तीन दशक पुराना है। लेकिन सरकारों के अपनी जिम्मेदारी से भागने के चलते यह मामला उलझा रहा है।

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर एक अहम फैसला दिया है, जो प्रभावित परिवारों के लिए शायद राहत का सबब बन पाए। हालांकि अब भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो उचित मुआवजा नहीं मिल पाने पर अपना विरोध जता रहे हैं।

- अदालत के फैसले के मुताबिक जिन परिवारों की दो एकड़ जमीन सरदार सरोवर परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई, उन्हें साठ लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसका लाभ एक सौ तिरानबे गांवों के छह सौ इक्यासी परिवारों को मिलेगा।
- मुआवजा हासिल करने वालों से एक महीने के भीतर जमीन खाली करने का शपथपत्र लिया जाएगा। उसके बाद सरकार वह जमीन जबरन खाली करा सकती है।
- अदालत ने एक हजार तीन सौ अट्ठावन परिवारों को पंद्रह लाख रुपए प्रति परिवार देने का भी आदेश दिया।

<u>विश्लेषण</u>

- इतने लंबे समय के संघर्ष के बाद आया अदालत का फैसला उस इलाके के प्रभावित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है।
- इस परियोजना में मध्यप्रदेश के एक सौ बानबे गांव, एक टाउनशिप और गुजरात के उन्नीस गांव डूब जाएंगे। इसके अलावा, जिस तरह मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के करीब पैंतालीस हजार विस्थापित परिवारों को डूबी जमीन के बदले जमीन न मिल पाने की शिकायत बनी हुई है और इसे लेकर विरोध सामने आया है, उससे यही लगता है कि अभी इस मसले का एक मुकम्मल और न्यायपूर्ण हल बाकी है।
- कानून के मुताबिक सभी वयस्कों को पांच एकड़ भूमि मिलनी चाहिए। लेकिन हालत यह है कि जमीन पर अधिकार के आदेश के बावजूद बहुत सारे किसानों के पास न अपनी भूमि है, न आजीविका का कोई अन्य साधन। लगभग तीन दशक बाद भी इस परियोजना की जद में अपनी जमीन और जीविका के साधन गंवाने वालों के पुनर्वास का मामला अधर में लटका रहा है तो जाहिर है कि विकास के दावों की मार झेलने वालों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है।

GENERAL STUDIES HINDI

A lesson for future governments:

एक बड़े आंदोलन के बावजूद जब आखिर सरदार सरोवर बांध के निर्माण पर कोई फर्क नहीं पड़ा तब लड़ाई विस्थापितों को बसाने और मुआवजा दिलवाने के सवाल पर केंद्रित हो गई। लेकिन लगातार आंदोलन का ही नतीजा रहा कि विस्थापन से पहले प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, पर्यावरण और दूसरे सामाजिक असर के बारे में देश भर में एक बहस खड़ी हुई। जहां पहले ऐसी किसी परियोजना में विस्थापितों का पुनर्वास व मुआवजा सरकारों के लिए कोई खास चिंता की बात नहीं थी, वहीं अब इसकी अनदेखी आसान करना आसान नहीं रह गया है। विकास जरूरी है, लेकिन अगर उसकी कीमत एक बड़ी आबादी के अपनी जमीन से उखड़ने और रोजी रोटी गंवाने और लोगों के बुनियादी अधिकारों के हनन- के रूप में सामने आती है तो यह स्थिति राज्यतंत्र को और साथ ही विकास नीति को भी कठघरे में खड़ा करती है |

3. शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता

#Dainik_Jagarn_Editorial

शिक्षा में परिवर्तन और सुधार की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों में अनेक बार पूरा परिदृश्य चार प्रश्नों में- किसे पढ़ाएं-बांटकर विश्लेषित किया जाता है, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और कौन पढ़ाए?

- पहले प्रश्न में बच्चे को जानना, समझाना, उसकी रुचियों, मनोविज्ञान इत्यादि सम्मिलित होगा।
- दूसरा होगा कि क्या और कितना उसे सिखाना है यानी विषयवस्तु और पूरा पाठ्यक्रम।
- तीसरा महत्वपूर्ण अवयव है विधा। इसमें शिक्षण विधियां, संचार तकनीक के उपयोग शामिल होंगे।
- चौथा होगा कि वह व्यक्ति कौन और कैसा होगा जो पढ़ाने के लिए उपयुक्त हो और उसके साथ ही अधिकृत भी हो।

इस व्यक्ति की पहचान गुरुकुल के गुरु से प्रारंभ होकर मास्टर साहब तक पहुंची और आज संविदा अध्यापक, अतिथि अध्यापक, शिक्षा मित्र जैसे संबोधनों में सिमट गई है। जैसे गुरुकुल की संकल्पना बिना गुरु के नहीं हो सकती।

रिक्त पद

- देश में 105630 एकल अध्यापक वाले स्कूल हैं। कुछ दिन पहले ही लोकसभा में यह जानकारी भी दी गई कि सरकारी स्कूलों में अध्यापकों के 10,14,491 पद रिक्त हैं। ऐसे में देश के 30-35 हजार स्कूलों में अध्यापकों का किसी भी दिन स्कूल में न होना सामान्य घटना ही मानी जाएगी।
- प्रारंभिक स्कूलों में 17.5 फीसद और माध्यमिक स्कूलों में 14.9 फीसद पद खाली हैं।
- इन सारे पदों पर नियुक्ति का अधिकार केवल राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। केंद्र इसमें कुछ नहीं कर सकता है, वह समय समय पर आर्थिक सहायता देता रहता है। वैसे- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी साल भर पहले तक16,600 पद रिक्त थे।

हर बार हर स्तर पर आश्वासन दिए जाते हैं कि रिक्त शिक्षकों की नियुक्तियां शीघ्र ही पूरी कर दी जाएंगी, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात रहता है। इसके **पीछे के कारण** भी सभी को ज्ञात हैं। वे लोग जो सुधार ला सकने की स्थिति में हैं, सरकारी स्कूलों की स्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उनके बच्चों के लिए नामी समय पर शिक्षा की गुणवत्ता में हो-गिरामी निजी स्कूल उपलब्ध हैं। वे समय-रही गिरावट पर चिंता अवश्य प्रकट करते रहते हैं।

GENERAL STUDIES HINDI

विश्व के सौ या दो सौ उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में भारत की अनुपस्थिति पर भी चिंता प्रकट की जाती है। नए नए उपाय भी सुझाए जाते हैं और उनमें से कुछ का क्रियान्वयन भी प्रारंभ किया जाता- है, लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। शिक्षा की गुणवत्ता की धुरी के आसपास ही घूमती 'कौन पढ़ाए' है।

केंद्र बिंदु होना चाहिए अध्यापको के प्रशिक्षण पर

अध्यापकों की तैयारी की ओर ध्यान देना केवल शिक्षा देने के लिए ही आवश्यक नहीं है। इसके अनेक पक्ष ऐसे हैं जो जाने अनजाने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में यदि- वैसा ही बनने की ओर अग्रसर करता है। जब प्रशिक्षु अपने प्रश्न बिना हिचक प्रशिक्षक से पूछ सकता है

तभी उसकी प्रतिभा जाग्रत होती है। वह स्कूलों में जाकर भी इस खुले वार्तालाप के महत्व को आधार बनाकर अपना कार्य करता है।

- **पंडित विद्यानिवास मिश्र** के शब्दों में आचार्य‘ -शब्द का बड़ा विशद अर्थ है :आचार्य वह है जो केवल स्वयं आचरण नहीं करता, बल्कि जो आचरण कराता है, केवल आचरण करने से आचार्य नहीं होगा। जो आचरण करे और दूसरों से आचरण कराए, स्वयं पढ़े, दूसरों से पढाए, स्वयं तैयारी करे और दूसरों से तैयारी कराए वह आचार्य है। ’
- एक समय नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे ज्ञान केंद्रों में साठ से अधिक देशों के ज्ञानार्थी आकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते थे और मानवीय ज्ञान भंडार को और परिपुष्ट करने में अपना योगदान करते थे।
- **स्वामी विवेकानंद** ने सच्चे अध्यापक के लिए कहा था‘-सच्चे आचार्य वही हैं जो अपने शिष्य की प्रवृति के अनुसार अपनी सारी शक्तिका प्रयोग कर सकते हैं। सच्ची सहानुभूति के बिना हम कभी भी ठीक ठीक शिक्षा नहीं दे सकते।-
- गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ वंशज का जिन देशो में इस प्रकार .. वहां गुरु का मतलब रहता है अपनी दक्षिणा से और शिष्य ..शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है-के गुरु ’अपना रास्ता नापते हैं।-का मतलब रहता है गुरु के शब्दों से। इसके बाद दोनों अपना

आज भारत में भी अधिकांश शैक्षिक संस्थाओं में इसी प्रकार की स्थिति बन गई है या बनती जा रही है। आज खुलेआम शिक्षा उद्योग पर नीतियां बनती हैं, गोष्ठियां होती हैं और लाभांश कमाने के नए रास्ते तलाशे जाते हैं। ऐसे में अध्यापकों के प्रशिक्षण में इन प्रवृतियों का परिचय कराना आवश्यक है। देश को ऐसे अध्यापक चाहिए जो पहले देश की ज्ञानार्जन परंपरा से परिचय प्राप्त करें और विश्व स्तर पर जो घटित हो रहा है उसे जानें। फिर दोनों के बीच जितना आवश्यक और उपयोगी हो उसमें समन्वय स्थापित करें। इसके लिए शिक्षकों के सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण के संस्थान योग्यतम-व्यक्तियों द्वारा संचालित हों, श्रेष्ठतम आचार्य वहां कार्य करें और समाज एवं सरकारें उन्हें सभी प्रकार के आवश्यक संसाधन तथा स्वायत्तता उपलब्ध कराएं। शिक्षा सुधारों में इस समय सबसे अधिक प्राथमिकता का क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत और सक्रिय बनाकर एक अनुकरणीय कार्यसंस्कृति को पुनस्थापित करना ही है। :

EDITORIALS:

1. सौर ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर में बदलाव

GENERAL STUDIES HINDI

#Business_Standard_Editorials

भारत के सामने बिजली-सुरक्षा और प्रदुषण की समस्या

इस समय देश का बिजली उद्योग भारी विडंबना से गुजर रहा है। ऊर्जा के सबसे शुद्घ माध्यमों में से एक सौर ऊर्जा को कमोबेश उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनसे कोयला आधारित बिजली उत्पादन को जूझना पड़ा है।कोयले से बनने वाली बिजली सबसे अधिक प्रदूषण उत्पन्न करके बनती है। अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो सन 2022 तक 100 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता वाला देश बनने की भारत की ख्वाहिश, ख्वाहिश ही रह जाएगी। फिलहाल देश की बिजली उत्पादन क्षमता 8.5 गीगावॉट है।

सौर ऊर्जा को विकसित करने के लिए सरकार के बुनियादी कदम

अगर हमें सन 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा (60 गीगावॉट) के लक्ष्य हासिल करने हैं तो इस मदद में करीब 200 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश में सरकार ने एक व्यापक ढांचा पेश किया है। इसका लक्ष्य है :

- इस क्षेत्र को पारंपरिक माध्यमों की तुलना में अधिक व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनाना।
- वर्ष 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन की मदद से सौर क्षमता में इजाफा करने की शुरुआत की गई। इस दौरान सौर पार्क और सब्सिडी आदि से जुड़ी पहल की गईं। इसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) पर भी ध्यान दिया गया।
- फरवरी 2016 में सरकार ने तीसरी वीजीएफ योजना पेश की। इसके लिए 5,050 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया। इसका क्रियान्वयन भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) की मदद से किया जाना था। इस वीजीएफ योजना का लक्ष्य 5,000 मेगावॉट क्षमता स्थापित करना है। इसके साथ ही तीन वीजीएफ योजनाओं की मदद से कुल क्षमता बढ़कर 7,750 मेगावॉट तक पहुंच जाएगी।
- एसईसीआई ने बिजली उत्पादकों के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए और थोक खरीदारों और डेवलपरों के साथ भी एक के बाद एक बिजली खरीद समझौते किए गए। एसईसीआई के लिए वीजीएफ की व्यवस्था सरकार बजट में करती है और टैरिफ भुगतान विभिन्न इकाइयों और थोक खरीदारों से जुटाई गई राशि से की जाती है। संस्थागत रूप से देखा जाए तो एसईसीआई ने कई बदलाव देखे हैं। वह गैर मुनाफे वाले संगठन से एक ऐसे कारोबारी संगठन में बदल गया है जिसे मुनाफा कमाने की इजाजत है। अब उसे सलाह मशविरे से लेकर विभिन्न-प्रकार की सेवाएं देने तक की इजाजत प्रदान कर दी गई है।

कुछ चुनौतियां

- बहुत बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के सामने अव्यवहार्य होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डेवलपर्स ने संबंधित अनुबंध हासिल करने के लिए अत्यंत कम शुल्क दरों की बोली लगाई। जबकि उनको पता था कि सौर ऊर्जा की अधिकतम पूंजीगत लागत हाल के वर्षों में नाटकीय रूप से गिरी है। ऐसी आक्रामक बोली प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ऐसी दरें सामने आईं जिसके चलते परियोजना अवधि के दौरान प्रतिफल की दरें निवेशकों को देखते हुए अत्यधिक अनाकर्षक हैं। इसकी वजह से वित्तीय संवरण हासिल करने में कई गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- इस समस्या में एक और इजाफा यह है कि बिजली की मुख्य खरीदार यानी बिजली वितरण कंपनियां अक्सर बिजली निर्माता कंपनियों को समय पर और नियमित भुगतान नहीं कर पातीं। भूमि अधिग्रहण और जमीन खाली कराने आदि के मुद्दे भी संकट में इजाफा कराने वाले हैं। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि सौर ऊर्जा की दरों में भी गिरावट आई है, बैंकर और निवेशक कई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता को लेकर काफी परेशान हैं।

क्या आवश्यकता

- **दीर्घकालिक स्थायित्व की आधारशिला** होनी चाहिए राष्ट्रीय सौर मिशन के अधीन क्षमता में इजाफे की एक दीर्घकालिक योजना तैयार करना। इसमें निजी-सार्वजनिक भागीदारी वाली परियोजनाओं और सरकारी परियोजनाओं को लेकर लक्ष्य तय होने चाहिए। शायद यहां सबसे बेहतर उदाहरण सड़क क्षेत्र और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है। इस दौरान इसे कई

वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना चाहिए और सड़क क्षमता सुधार के कई स्वरूपों पर काम करना चाहिए।

- कटु से कटु आलोचक भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि एनएचएआई के निर्माण ने देश में सड़क निर्माण के नेटवर्क के व्यापक विकास को अत्यावश्यक विस्तार प्रदान किया। परंतु सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऐसा कार्यक्रम चलाने के लिए भी ऐसे ही एक संस्थान की आवश्यकता होगी जो इस क्षेत्र के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता हो। कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए एसईसीआई यह भूमिका निभा सकती है।
- एसईसीआई को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का मुख्य परिचालन और वित्तीय आधार बनाया जाना चाहिए। उसे अपनी तरह के अलग वित्तीय और विकास संस्थान के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- यह राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी विकास कोष (एनआईआईएफ) की मदद ले सकता है जो 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ इस उद्देश्य के लिए सटीक है। इतना ही नहीं इस कोष के आगे समृद्घ होकर 40,000 करोड़ रुपये और उससे अधिक हो जाने की भी उम्मीद है। एनआईआईएफ इसमें एक अहम हिस्सेदार की भूमिका निभा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित एनआईआईएफ और एसईसीआई मंच को वित्त व्यवस्था का स्थायी जरिया मिल सके जो बजटीय सहयोग से परे हो। अनुमान के मुताबिक प्रति टन उत्पादित होने वाले कोयले पर स्वच्छ पर्यावरण उपकर की राशि वर्ष 2016-17 में करीब 24,000 करोड़ रुपये होगी। इस पूंजी को आवर्ती पूंजी के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अन्य स्वच्छ उपकर को भी भविष्य में इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। वित्त की यह व्यवस्था काफी हद तक दुनिया भर में मान्य अन्य व्यवस्थाओं की तरह ही है। उन जगहों पर भी प्रदूषणकारी ईंधन पर कर लगाया जाता है और स्वच्छ ऊर्जा में क्रॉस सब्सिडी निवेश में उनका इस्तेमाल किया जाता है। देश की सौर ऊर्जा संबंधी पहल को दुनिया भर में काफी सराहना मिली है। अब वक्त आ गया है कि हम इसे एक स्थायी मॉडल प्रदान करें ताकि वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

2. सोशल मीडिया की बढ़ती ताकत

#Business_Standard_Editorials

हाल ही में social media पर आधारित events

- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो की ट्विटर पर हो रही चर्चा ने दुनिया भर में न केवल सुर्खियां बटोरीं बल्कि मानव इतिहास के सबसे सफल कारोबारी समझौते नाफ्टा (उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते) तक को जोखिम में डाल दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नेता और उसके सबसे घनी आबादी वाले पड़ोसी मुल्क के नेताओं ने महज 280 शब्दों में इतिहास की नई इबारत लिख दी। इसके मूल में प्रश्न यह था कि अमेरिकी सीमा पर 15 अरब डॉलर की लागत वाली दीवार की लागत कौन उठाएगा।
- **तमिलनाडु में सोशल मीडिया ने** एक व्यापक जनांदोलन को जन्म दिया, उसे उकसाया, खुराक दी और पूरे माहौल को उत्तेजित कर दिया। जल्लीकट्टू को लेकर विरोध प्रदर्शन ने ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर रफ्तार पकड़ी। इस दौरान शतरंज के चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, फिल्मी जगत के सितारे कमल हासन और

यहां तक कि ए आर रहमान तक इस बहस में शामिल हो गए। इस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, कोई प्रवक्ता नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था जो वार्ता कर रहा हो। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विद्रोह था। यह अरब उभार से कतई अलग नहीं था।

- इसी अवधि में हमारे सत्ता प्रतिष्ठïान ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक एमेजॉन (भारत में अरबों डॉलर की निवेश प्रतिबद्घता) को माफी मांगने की धमकी देकर इतिहास रचा। यह माफी इसलिए चाही गई क्योंकि उसकी कनाडाई इकाई ने भारत के राष्ट्र ध्वज के रंग वाले पायदान बनाए थे। विदेश मंत्री ने माफी मंगवाई जो कंपनी ने मांग ली। उन्होंने ट्विटर पर ओटावा में भारतीय प्रतिनिधि को सख्त निर्देश दिए कि वह इस मसले को कंपनी के समक्ष उठाए।

वॉशिंगटन, मैक्सिको, चेन्नई और नई दिल्ली के बीच जो कुछ हुआ उससे हम आसानी से कुछ नतीजों पर पहुंच सकते हैं।

- सोशल मीडिया अब केवल संचार, बहस और गालीगलौज का जरिया नहीं रहा बल्कि वह प्रशासन, राजनीति और कूटनीति का औजार बन गया है।
- इसने अब प्रशासन से धैर्य और परोक्ष माध्यमों तथा परदे के पीछे होने वाली बातचीत की शक्ति तथा सार्वजनिक राजनीति से जवाबदेही छीन ली है। अगर तमिलनाडु में हो रहे विरोध प्रदर्शन नियंत्रणहीन हो जाते तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाता? अरब विद्रोह जैसे विफल उभार में हुई क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है? हम एक ऐसी दुनिया से कैसे निपटेंगे जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति एक जनजातीय मुखिया की तरह व्यवहार करता है या किसी ऐसे सम्राट की तरह जो पड़ोसी राजदूत का कटा हुआ सर भेजकर युद्घ की घोषणा करता है। या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को आधी रात को सार्वजनिक रूप से अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक के वरिष्ठï प्रशासनिक ओहदे की डांट का सामना करना पड़ता है। यह सोशल मीडिया के जरिये शासन का नया दौर है।
- जब राज्यों के प्रमुख, राजनयिक और सार्वजनिक व्यक्तित्व इस चलन के शिकार हो जाएं तो यह उम्मीद करना बेमानी है कि पारंपरिक मीडिया इसका अनुकरण न करे। गूगल के बाद सोशल मीडिया का उभार हुआ और इसे काफी हद तक ढीलीढाली पत्रकारिता के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। प्राइम टाइम पर कई खबरें और बहस सोशल मीडिया पर केंद्रित हैं।

एक वक्त था जब सोशल मीडिया के आलोचक इसे इको चैंबर) जहां आवाजें निर्वात में गूंजती और खुद से टकराती रहती हैं (कहते थे। अब यह बदल गया है और ये आवाजें हमारे दिमागों, सरकार, राजनीति, सार्वजनिक विचार और बहसों को प्रभावित कर रही हैं। कई बार यह निहायत भोलापन लिए हो सकता है

3. <u>जल्लीकट्टू के बचाव में कंहा तक उचित है देसी नस्लों के संरक्षण की दलील</u>

<u>#Business_Standard_Editorials</u>

चेन्नई के मरीना बीच पर बैलों से जुड़े पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन चला। अब यह शांत हो चुका है|

क्या प्रतीकात्मक रीतियों के साथ हमें बने रहना चाहिए

इसमें दोराय नहीं है कि पारंपरिक संस्कृतियों में पर्यावरण को लेकर संवेदना का भाव रहा है। लोगों ने प्रकृति के साथ जीना सीखा और उसके संसाधनों को बढ़ाने और जरूरत के वक्त उसे तार्किक ढंग से

खर्च करना भी सीखा। यह स्थायित्व भरा उपयोग हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों, व्यवहार और मान्यताओं के सहारे हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया। समय बदलता है और उसके साथ ही समाज का रुख और उसकी संवेदनाएं भी बदलती हैं। आखिर परंपराएं कैसे जीवित रहती हैं? क्या उनको बरकरार रहना चाहिए? या फिर हमारा ध्यान उन वजहों को तलाश करने पर लगना चाहिए कि हमने क्या और क्यों किया। हमें उन रीतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो अब केवल प्रतीकात्मक बन कर रह गई हैं।

इस पर प्रतिबंध क्यों :

पूरा खेल इस कौशल पर आधारित है कि बैल को काबू में करके उसकी सींग में से पैसे कैसे खोले जाते हैं। यही वजह है कि पशु अधिकार कार्यकर्ता इसे खेल करार देते हैं। उन्होंने इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया और वर्ष 2011 में तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने बैल को उस सूची में शामिल करा दिया जिसमें शामिल जानवरों का इस्तेमाल प्रशिक्षण या प्रदर्शनी के लिए नहीं किया जा सकता। यह काम पशुओं के साथ क्रूरता अधिनियम 1960 के अधीन किया गया।

तकरार और जल्लीकट्टू

- सरकार ने बैल का नाम इस सूची से बाहर करना चाहा लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया। मई 2014 में अदालत ने कहा कि जल्लीकट्टू, बैलों की दौड़ और ऐसी तमाम अन्य गतिविधियां जानवरों के प्रति क्रूरता का प्रतीक हैं। उसने इस पर प्रतिबंध जारी रखा।
- तब से हर पोंगल) इसी त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है (पर इसे लेकर असहमति के सुर तेज होते गए।
- केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम में बदलाव का वादा करके इस आग को जिंदा रखा। इस वर्ष हजारों युवाओं ने पूरा सोशल मीडिया इससे संबंधित संदेशों से पाट दिया और वे चेन्नई के मरीना बीच और तमिलनाडु के अन्य शहरों में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए।
- इसने राज्य सरकार को कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। रातोरात एक अध्यादेश पारित किया गया और उसे कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि यह ग्रामीण खेल चलता रहे।

जल्लीकट्टू के लिए तर्क

जल्लीकट्टू की परंपरा तमिल समाज में है। उनका कहना है कि :

- यह स्पेन में होने वाली सांडों की लड़ाई से एकदम अलग है।
- जल्लीकट्टू में बैलों को मारा नहीं जाता है बल्कि उनकी सींग में बंधे सोने और पैसे को खोलते हुए उनके साथ खेला जाता है।
- अन्य गतिविधियां जानवरों के प्रति क्रूरता का प्रतीक हैं। उसने इस पर प्रतिबंध जारी रखा

GENERAL STUDIES HINDI

सरकार ने भले ही इस पर प्रतिबन्ध हटा दिया हो एक प्रश्न तो फिर भी बरकरार रहा है

क्या यह परंपरा हमारे पर्यावास के लिहाज से अहम है या फिर यह महज एक खूनी खेल है?

- इसके हिमायती कहते हैं कि यह केवल राज्य के पारंपरिक **कंगायम प्रजाति के बैलों** को बचाने का तरीका है।
- इस खेल के जरिये बैल की शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है और इसका चयन संरक्षण के लिए होता है।

- अगर इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो इस प्रजाति के बैल पालने का ही कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में इनको मारा जाएगा और बैल और गाय का बिगड़ा हुआ अनुपात और अधिक बिगडने लगेगा।

पर प्रश्न है की

- सरकार की दलील थी की इस खेल को जारी रखने के लिए दोनों सरकारों ने केवल संस्कृति और परंपरा का ही हवाला दिया है। कहा यह गया है कि क्रूरता इस खेल का हिस्सा नहीं है और उसे विनियमित और नियंत्रित किया जा सकता है।
- इसके हिमायतियों ने इस खेल से जुड़े पर्यावासीय पहलुओं का उल्लेख कभी नहीं किया क्योंकि उसके समर्थन में दलील देनी होगी। तथ्यों की बात करें तो आज देश भर में देसी प्रजातियों के पालतू पशु खत्म होने के कगार पर हैं।
- इनके बचाव, संरक्षण और इनकी नस्ल तैयार करने के पक्ष में तमाम दलीले हैं। वे स्थानीय हैं और उनमें प्रतिकूल पर्यावास को झेलने की क्षमता है।
- आज देश के पारंपरिक नस्ल वाले पशु दूसरे देशों में समृद्धि की वजह बन रहे हैं। अफ्रीका में साहीवाल नस्ल तैयार हो रही है तो ब्राजील में नेलोर। यहां तक कि अमेरिका में बीफ के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पशु भारतीय ब्राह्मण नस्ल के हैं। लेकिन हमने जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजियन जैसी विदेशी नस्लों को पालना शुरू कर दिया है।
- सन 2012 में जारी 19वीं पालतु पशु गणना के आंकड़े बताते हैं कि देसी पशु कम हो रहे हैं। इसके मुताबिक वर्ष 2007 से 2012 के बीच इनमें 19 फीसदी की गिरावट आई जबकि विदेशी नस्ल के पशुओं में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- सन 2003 की जनगणना से तुलना करें तो देसी दुधारू पशुओं में 65 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। तमिलनाडु में भी हालात अलग नहीं हैं।

ऐसे में यह कहना सही होगा कि जल्लीकट्टू से देसी नस्लों के बचाव की दलील के पक्ष में कोई प्रमाण नहीं नजर आता। अगर परंपरा को सही मायनों में जिंदा रखना है तो इसके हिमायतियों को अपनी कही बातों पर भी अमल करना चाहिए। देसी नस्ल के पशुओं को बचाए रखने और इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना शेष है। ये देश की पशु अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अहम है। असली बात यही है।

4.जवानों की समस्याओं की बात

GENERAL STUDIES HINDI

 # Editorial_Hindustan_times

सन्दर्भ

- सीआरपीएफ के 59 जवानों से जुड़ा है, जो जम्मू-कश्मीर में पांच दिन की बेसिक ट्रेनिंग के बाद अपनी तैनाती पर जा रहे थे, लेकिन बीच सफर, आधी रात में मुगलसराय स्टेशन पर उतरकर वे अपने-अपने घर चले गए। जाहिर सी बात है, इस ब्रेक के लिए उन्होंने कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी। यह भी कि ट्रेनिंग के तत्काल बाद उन्हें नक्सल प्रभावित इलाके गया में ज्वॉइन करना था और यह अपरिहार्य था। सेना या सुरक्षा बलों में सब कुछ अपरिहार्य ही हुआ करता है और इसमें किसी छूट की गुंजाइश भी अपरिहार्य स्थितियों में ही संभव होती है।
- अन्य मामला सीआरपीएफ के ही एक अन्य जवान का है, जिसने अपने साथ अफसरों के कथित दुर्व्यवहार की बात करते हुए गृह मंत्री को पत्र लिखा है। दोनों मामलों में विभागीय कार्रवाई शुरू हो चुकी है।

कुछ सवाल

- आखिर वे कौन से कारण हैं कि हमारे जवान बार-बार कुछ ऐसा कर जा रहे हैं कि उनके प्रति संवेदना भी उमड़ती है और हर बार वे कठघरे में भी खड़े दिखाई देते हैं?
- वे कौन से कारक हैं, जो यह जानते हुए भी कि उन्हें सख्त अनुशासन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है, खुद से फैसले लेने को मजबूर कर रहे हैं?
- और यह भी कि वे कारक कौन से हैं, जो इतनी सारी घटनाओं के बावजूद उन्हें अब तक यह भरोसा नहीं दिला पाए कि यह सब अंदर के फोरम पर ही हो, तो उनकी बात भी सुनी जाएगी और कोई एक्शन नहीं होगा?

ये सारे सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और समय रहते इन्हें संबोधित किया जाना जरूरी है।

- अभी जो हाल में घटनाएं हुई है वो सब पहली बार नहीं है। चाहे नियंत्रण रेखा पर तैनात बीएसएफ जवान की आवाज हो या सेना के जवान की शिकायत या फिर ऐसे ही अन्य मामले। सेना प्रमुख लाख कहें कि जवानों के लिए सारी व्यवस्थाएं समान हैं और यह भी कि उन्हें अपनी बात पहले अंदर उठानी चाहिए, लेकिन कहीं कुछ है, जो अनसुलझा है। जब सब कुछ बदल रहा है, तो हमें कठिन हालात में डटे रहने वाले अपने जवानों को हैंडल करने, उनकी चिंता करने की अपनी सोच के औजार भी बदल लेने चाहिए।

क्या है जरुरत

- सख्त-अनुशासनबद्ध प्रशिक्षण प्रक्रिया के साथ ही सामान्य व्यवहार में लचीलापन और मनोरंजन पर भी समान रूप से ध्यान समय की मांग है।
- जवानों और अफसरों, दोनों की प्रशिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की भी जरूरत है।
- देखना होगा कि तमाम बदलावों के साथ हमने इस प्रक्रिया में पिछले कुछ साल में क्या बदलाव किए? ठीक उसी तरह, जैसे 25-30 साल पहले की पढ़ाई में सख्ती सबसे बड़ा हथियार थी, पर बाद के दिनों में वैसी सख्ती कल्पना से भी परे हो गई और काउंसिलिंग का अध्याय जुड़ गया। जाहिर सी बात है कि जवानों का अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर साझा करना, बिना अनुमति के सामूहिक रूप से गायब हो जाना घोर अनुशासनहीनता है।
- **क्या फौजी अनुशासन की मूल भावना के खिलाफ :** इसको प्रश्रय देना न सिर्फ फौजी अनुशासन की मूल भावना के खिलाफ होगा, वरन अराजकता का भी कारण बनेगा। लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अब तक जो भी सामने आया है, उस पर संवेदनशीलता से विचार करने की जरूरत है।

GENERAL STUDIES HINDI

जवान जब सेना में भर्ती के लिए आता है, तो वह नौकरी नहीं, देशसेवा के जज्बे के साथ आता है। उसे पता रहता है कि जहां वह जा रहा है, वहां अनुशासन सर्वोपरि है। फिर भी वे कोई 'गलती' कर रहे हैं, तो यह हमारे सिस्टम की सक्रियता और संवेदनशीलता पर भी सवाल है। ये जवान सख्त ड्यूटी के बदले में संवेदना की उम्मीद करते हैं। इसे सिरे से नकारना तर्कसंगत न होगा। जब सब कुछ बदल रहा है, तो हमें सख्त अनुशासन वाले इस क्षेत्र में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। यही कारगर होगा, और व्यावहारिक भी।

5. मानवाधिकार आयोग के अपने अधिकार पर्याप्त नहीं हैं

द एशियन एज का संपादकीय

सन्दर्भ:- आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ ध्यान तो खींचता है लेकिन, अक्सर सरकारों को इस पर कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं कर पाता.

- बस्तर के शीर्ष पुलिस अधिकारी एसआरपी कल्लूरी को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और आदिवासियों और सक्रिय माओवादियों की खासी तादाद वाले इस इलाके का जिम्मा एक नए डीआईजी सौंपा गया है.
- लेकिन इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बस्तर को लेकर व्यवस्था के नजरिये में कुछ बदलाव होगा. आदिवासियों के मानवाधिकारों पर हो रही बर्बर चोटों ने उन्हें एक स्थायी युद्ध जैसी स्थिति में ला खड़ा किया है.
- बीते कई सालों के दौरान उन्होंने यौन हमले, बलात्कार, हिंसा और दूसरी कई तरह की प्रताड़नाएं झेली हैं और वैचारिक अतिवाद से लड़ाई की आड़ में इन्हें अंजाम देने वाली पुलिस का दुस्साहस लगातार बढ़ता गया है.
- बीते कुछ समय के दौरान मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बस्तर में खुल्लेआम हिंसा की कई घटनाएं विस्तार से दर्ज की हैं. इन्हें जो तत्व अंजाम देते रहे हैं उनमें वे भी हैं जो व्यवस्था का हिस्सा हैं और वे भी जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है.
- एक अहम अधिकारी के जाने के बाद इस तरह की घटनाओं में कमी आ सकती है. इस अधिकारी ने व्यवस्थित रूप से एक बर्बर अभियान चलाया और जो भी उसके रास्ते में आया उसे डराया गया उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार जिन पर इस अधिकारी ने कई मामले थोप दिए जिनमें हत्या जैसे आरोप तक लगाए गए हैं. खनिज संसाधनों से समृद्ध इस इलाके के कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दोहन का नतीजा यह हुआ है कि आदिवासियों को जबरन उनकी जमीनों से वंचित कर दिया गया है. इस दौरान पुलिस बड़े कारोबारियों के साथ मिली रही है.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि आखिरकार भाजपा सरकार को आखिर में कार्रवाई करनी पड़ी. यह संस्था अक्सर मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ ध्यान खींच सकती है लेकिन, अक्सर यह सरकार से कोई कार्रवाई करवाने में विफल रहती है.
- बस्तर के आदिवासियों को लेकर इसने जो कठोर टिप्पणियां की थीं शायद उन्हीं का असर है कि सरकार परोक्ष रूप समस्या का वजूद स्वीकारती दिख रही है.अगर हम आयोग को यह ताकत दे सकें कि वह एक समूची आबाद से दुर्व्यवहार के इस तरह के मामलों में सरकार को कार्रवाई के लिए बाध्य कर सके तो यह न सिर्फ खुशी की बात होगी बल्कि इससे कानून का राज सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी.

6. जुर्म और जवाबदेही

#Editorial_Jansatta

सन्दर्भ

बलात्कार और स्त्री के प्रति अन्य अपराधों की जो सालाना तस्वीर दिल्ली पुलिस ने पेश की है, वह न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि रोंगटे खड़े करने वाली है। हालत का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दिल्ली के सर्वाधिक सतर्कता जोन होने के बावजूद पिछले साल हर घंटे पर किसी न किसी महिला के साथ आपराधिक घटना हुई। औसतन हर चार घंटे में एक बलात्कार हुआ। साल भर में बलात्कार के 2,155 और छेड़खानी के 4,165 मामले सामने आए। यह आंकड़ा तब है, जब बलात्कार भारत में न्यूनीकृत अपराधों में शामिल है, मतलब यह है कि बहुत सारे मामले या तो दबा दिए जाते हैं या पुलिस उन्हें दर्ज ही नहीं करती।

चौंकाऊ तथ्य

- बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का दूसरा पहलू और भी चौंकाऊ और ज्यादा भयावह है। सत्तानबे फीसद मामलों में अपराधी पीड़िता के सगे-संबंधी यानी चाचा, चचेरे भाई, भतीजे, पड़ोसी या परिचित रहे हैं, यहां तक कि किसी-किसी मामले में पिता तक।
- सिर्फ तीन फीसद मामले ऐसे रहे, जहां अपरिचितों ने यह अपराध किया।

<u>समाज पर एक तमाचा</u>

आखिर हम किस तरह के समय या समाज में रह रहे हैं? हमारे संबंधों का ताना-बाना आखिर किस बुनियाद पर टिका है?

बलात्कार का मामला हमारे देश में लंबे समय से संजीदा विषय बना हुआ है। निर्भया कांड के बाद तो इस पर कठोरतम कानून भी बनाया गया और दिल्ली जैसी जगह में फिर भी अगर इस अपराध का ग्राफ वैसा ही है, तो जाहिर है सरकार के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं और समाज को भी इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

<u>पुलिस की नाकामी</u>

- पुलिस की नाकामी का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि इसमें से एक लाख तिरपन हजार से ज्यादा मामले अनसुलझे ही रह गए।
- पांच सौ अट्ठाईस लोगों की हत्या हुई, जिनमें उन्नीस वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। अड़तीस हजार से ज्यादा वाहनों की चोरी हुई।
- दिल्ली पुलिस के गले की हड्डी बन चुके दो मामलों- कांग्रेसी सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की हत्या और जेएनयू के छात्र नजीब की गुमशुदगी- का पर्दाफाश अब तक नहीं हो पाया है।
- साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए कोई सार्थक पहल दिखाई नहीं दे रही। बहुत-से छिटपुट अपराधों की तो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, वरना आंकड़े और ज्यादा आते।
- सैकड़ों घटनाएं हर दिन मोबाइल चोरी और जेबकतरी की होती हैं, जिनका कोई हिसाब-किताब ही नहीं रहता।

कामयाबी

अगर दिल्ली पुलिस की कामयाबी का हवाला देना चाहें तो नाभा जेल से फरार आतंकियों की गिरफ्तारी, आइएसआइएस के आपरेशन यूनिट तथा आनलाइन कैसीनों और स्नूकर जैसे अपराधों के पर्दाफाश का नाम लिया जा सकता है। जैसा कि होता है, दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी करते समय रस्मी तौर पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की है और 2015 के आंकड़ों की कतरब्योंत करके 2016 में कई अपराधों में घटोतरी दिखाई है।

अपराधों को प्रतिशत में नहीं नापा जा सकता। इस मामले में हमें वह मशहूर किस्सा याद रखना होगा कि एक बार किसी अधिकारी ने जब एक गांव में जाकर यह दावा किया कि उसने यहां 'इतने-उतने' फीसद लोगों की रक्षा की है, तब एक बुढ़िया का जवाब था-'मेरा बेटा सद-फी-सद मरा है।' इसलिए अपराधों में कमी दिखाने की तरकीब निकालने के बजाय यह सोचना होगा कि अपराध को कैसे शून्य-स्तर पर लाया जाए।

7. सड़क दुर्घटनाएं और भारत

दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। सड़क हादसों में जान गंवाने और घायल होने वालों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा भारत में ही है। संसद में पेश परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति के तमाम सुझावों का लब्बोलुआब यह है कि इस समस्या से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। इस मामले में भारत की हालत क्या है इसका अंदाजा रिपोर्ट में उल्लिखित एक तथ्य से लगाया जा सकता है।

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की सूचना के मुताबिक वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.46 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और करीब तीन लाख लोग घायल हुए।
- दुनिया भर की सड़क दुर्घटनाओं में अकेले भारत का हिस्सा दस फीसद है। देश में सड़क हादसों में मरने वालों में लगभग आधे लोग मोटरसाइकिल और साइकिल से चलने वाले तथा पैदल राहगीर होते हैं।
- यह आम धारणा है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं की तादाद सबसे अधिक होना एक लिहाज से स्वाभाविक है, क्योंकि चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। पर यहां आबादी के अनुपात में, यानी प्रति एक लाख या प्रति दस लाख आबादी के बरक्स भी सड़क हादसों की दर बहुत ज्यादा है।

ऐसी स्थिति क्यों है? इसके कई कारण हैं।

- सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही और चूक तथा नियम-कायदों की अनदेखी की वजह से होती हैं।
- भारत में जहां निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है, वहीं अन्य नियम-कायदों का भी स्वेच्छा से पालन नागरिक-बोध का अंग नहीं बन पाया है।
- कुछ और भी वजहें हैं। जैसे सड़कों पर गड्ढे होना
- पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था न होना
- यातायात पर निगरानी और यातायात संकेतों का न होना या उनका ठीक से काम न करना, आदि।
- अमूमन सभी जगह सब तरह के मुसाफिर एक ही समय सारी सड़कों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं- ट्रक व बस ड्राइवर से लेकर कार चालक-टैक्सी चालक, आटो चालक, मोटरसाइकिल व स्कूटर चालक, बैटरी रिक्शा चालक, रिक्शा चालक, साइकिल चालक व पैदल राहगीर
- विभिन्न श्रेणियों के मद्देनजर सड़कों-गलियों तथा पार्किंग व ठहराव-स्थलों की योजना बने, तो आवाजाही को आज के मुकाबले काफी सुविधाजनक व सुरक्षित बनाया जा सकता है।
- भारत में सड़क दुर्घटनाओं की प्रमुख वजहों में एक यह भी है कि तकनीकी खराबी के बावजूद वाहन का इस्तेमाल होता रहता है।
- इसके अलावा, अपात्रों को भी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। जाहिर है, तकनीकी खामी की सूरत में वाहन चलाने पर सख्ती बरतनी होगी।

क्या करना होगा

नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कार्रवाई का स्तर बढ़ाना होगा। सड़कों की दशा सुधारनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि यातायात को नियंत्रित करने वाले पर्याप्त संकेत हों तथा वे ठीक से काम कर रहे हों। वाहनों की समयबद्ध तकनीकी जांच हो। विभिन्न श्रेणियों के मुसाफिरों व विभिन्न वाहनों को ध्यान में रख कर यातायात-सुरक्षा की योजना बनाई जाए। ब्लैक स्पाट्स यानी ऐसे स्थानों की पहचान करनी होगी,

जहां दुर्घटना का अंदेशा ज्यादा रहता है। इस सब के साथ-साथ सड़क हादसे का शिकार होने वाले व्यक्ति की मदद के लिए आपात चिकित्सा की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

8. चुनावी चंदे का कदम कितना कारगर

#Editorial_Dainik Jagaran

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश करने के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

- भारत में राजनीतिक चंदे को साफ करने की आवश्यकता है।
- कोई भी राजनीतिक दल 2,000 रुपये से अधिक नकदी में चंदा नहीं ले सकता।
- राजनीतिक दलों को चेक या डिजिटल माध्यम से कितना भी चंदा लेने की छूट होगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन कर चुनावी बांड की व्यवस्था की जाएगी जिसके बारे में सरकार समुचित योजना बनाकर उसकी घोषणा करेगी।
- राजनीतिक दलों को अपनी आय पर कर रिटर्न समय पर या उससे पहले ही दाखिल करना होगा।
- राजनीतिक दलों को आयकर छूट सभी निर्धारित शर्तो को पूरा करने के बाद ही मिलेगी।

इनका विश्लेषण

अगर इन प्रस्तावों की कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह उसकी मंशा ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब यह मान लिया गया है कि राजनीतिक चंदे में तमाम ऐसी खामियां हैं जिनसे निपटना बेहद जरूरी हो गया है। इनमें तीसरा सुझाव तो बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि उससे यही आभास होता है कि जैसे अभी तक राजनीतिक दलों को चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा लेने पर कोई मनाही थी। पांचवें और छठवें प्रस्ताव में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनसे जुड़े प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं। अलबत्ता यह बात अलग है कि इन प्रस्तावों पर अमल करने को लेकर राजनीतिक बिरादरी ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। लिहाजा इस संबंध में नए प्रावधान बनाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले से मौजूद नियमों का सख्ती से पालन कराने की है।

- वित्त विधेयक 2017 में आयकर कानून के अनुच्छेद 13 ए और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 29 सी में संशोधन करने के प्रस्तावों का उल्लेख है।
- इन प्रस्तावों का गहराई से जायजा लेने पर मालूम पड़ता है कि अब कोई भी राजनीतिक दल 2,000 रुपये से अधिक नकद में चंदा नहीं ले सकता, मगर यह भी पता चलता है कि इसका 20,000 रुपये वाले प्रावधान से कोई लेना देना नहीं है।-
- जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 29 सी में यह प्रावधान पहले से है कि राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक का चंदा लेने पर चुनाव आयोग को सूचना देनी होती है। इसमें कुछ बदलाव या संशोधन का कोई प्रस्ताव वित्त विधेयक में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक दल 2000 रुपये से अधिक चंदा तो केवल चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगे, लेकिन जब तक वह 20,000 रुपये से कम है तो उन्हें उसके बारे में चुनाव आयोग या किसी और को बताना जरूरी नहीं होगा। इसलिए यह कहना सही नहीं नजर आता कि 20,000 की सीमा को 2000 रुपये कर दिया गया है।
- **चुनावी बांड और अपारदर्शिता** : चुनावी बांड की चर्चा करते हैं। इन चुनावी बांडों को रिजर्व बैंक या किसी अन्य अधिकृत बैंक से खरीदा जा सकता है। इसमें शर्त यही होगी कि बांड केवल

चेक या डिजिटल भुगतान के जरिये ही खरीदे जा सकते हैं। इनमें नकदी का इस्तेमाल नहीं हो सकता।

इन बांडों के खरीदारों को निर्धारित समय में ही ये बांड राजनीतिक दलों को सौंपने होंगे। इसका तीसरा पहलू यह होगा कि राजनीतिक दल इन्हें अपने पूर्व में घोषित किए खातों में ही जमा करा सकते हैं, मगर ,अगर वित्त विधेयक के लिहाज से देखें तो इनके बारे में उल्लेख है कि ये बांड 20,000 रुपये की उस सीमा में नहीं आते जिसके बारे में चुनाव आयोग को जानकारी देना अनिवार्य है। इस बारे में दोनों आयकर कानून के अनुच्छेद 13 ए और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 29 सी में संशोधन की बात करते हैं। इसका अर्थ यही है कि इन चुनावी बांडों के बारे में राजनीतिक दलों को **न तो आयकर विभाग को कुछ बताना होगा और न ही इसकी सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी** यानी बांड खरीदने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रहेगी।

इस बाबत वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुलकर कहा कि ये चुनावी बांड केवल बियरर यानी धारक बांडों की तरह होंगे यानी जिसके हाथ में ये बांड होंगे उसके ही माने जाएंगे। लिहाजा चंदा देने वाले की पहचान गोपनीय ही रहेगी।

चुनावी बांडों के मामले में सवाल यह उठता है कि क्या गोपनीयता और पारदर्शिता एक दूसरे के पूरक हैं या गोपनीयता और पारदर्शिता एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर हैं? अगर ये विपरीत छोर पर हैं तो फिर इसका मतलब है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार केवल दिखावे के लिए ही राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की बात कर रही है और उसे जमीनी स्तर पर अमल में लाने की उसकी मंशा नहीं है। यह भी दिख रहा है कि भले ही अलग अलग मसलों पर विपक्ष- और सरकार में विरोधाभास और तनातनी देखने को मिलती है,लेकिन इस मोर्चे पर एका सी अधिक नजर आती है

9. क्या भारत को चीन पर अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलने की जरूरत है?

#Editorial Asian Age (http://www.asianage.com/opinion/edit/240217/china-dialogue-replay.html **)**

- अहम मुद्दों पर भारत और चीन की बातचीत से ऐसा लगता है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे अब तक होता आया है
- चीन ने मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को लेकर भारत की उत्सुकता के प्रति कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है .बल्कि देखा जाए अब यह कोशिश भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कर रहे हैं और खुद पाकिस्तान भी ऐसे कदम उठा रहा है जिनसे संकेत मिलता है कि उसे भी मसूद अजहर के संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हो रही है .
- लेकिन इस सब का चीन पर कोई असर होता नहीं दिखता जो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव को वीटो करना जारी रखेगा .
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनसजी में भारत का दाखिल होना एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की अभिलाषा है .
- लेकिन यहां भी चीन इस पुराने तर्क पर अड़ा हुआ है कि जिन देशों ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं, उन्हें एनएसजी में प्रवेश न दिया जाए.

- विदेश सचिव एस जयशंकर की इस हफ्ते चीन के उप विदेश मंत्री झांग येसु से हुई बातचीत कहीं पहुंचती नहीं दिखी है .भारत ने भी यह जताने में कोई संकोच नहीं बरता है कि हमारे नजरिये अलग-अलग हैं
- चीन का मानना है कि अजहर और एनसजी को लेकर भारत की मांग दो देशों का नहीं बल्कि बहुपक्षीय मुद्दा है
- इसने भारत को अपनी सिल्क रूट योजना में शामिल होने का आकर्षक प्रस्ताव दिया है जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि इसके तहत बनने वाला चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा उस इलाके से भी गुजरता है जिस पर भारत दावा करता है और जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है
- चीन को ऐसी बातचीत पसंद है जहां वह अपने नजरिये पर जोर देता है लेकिन भारत का पक्ष समझने से इनकार करता है .अब भारत को चीन को लेकर अपनी सारी रणनीति बदले की जरूरत है या फिर उसे संवाद की इसी प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए, यह सरकार की नीति का विषय है .यह जरूर है कि बातचीत से कभी कोई नुकसान नहीं होता

Security issues

1 भारत की कूटनीतिक नीति "कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन" क्या है?

News में क्यों :-

भारत के नए सेना चीफ जनरल बिपिन रावत ने पिछले दिनों 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन' का जिक्र किया था। हालांकि इससे पहले भारत इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने से बचता रहा था।

=>**क्या है कोल्ड स्टार्ट नीति:-**

- इस नीति को 2001 में संसद हमले के बाद तैयार किया गया था। संसद पर हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान को जवाब देने के लिए सीमा पर भारतीय सेना की तैयारियों में वक्त लगा था।
- इसी दौरान पाकिस्तान ने जवाब देने की पुख्ता तैयारियां कर ली थीं। इसके बाद 'कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन' बनाई गई।
- यह एक तरह से 2001 में की गई चूक से ली गई एक सीख है। इसके तहत युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान को तैयारी का मौका दिए बिना सभी सेनाएं मिलकर तेजी से हमले को अंजाम देंगी।
- युद्ध की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय शक्तियों द्वारा सीजफायर की मांग से पहले ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देने का कॉन्सेप्ट इसमें शामिल है। इसमें पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा और उसे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने की भी बात है।

2. डिजिटल इंडिया'पर प्रश्न चिन्ह : हर दूसरे दिन एक सरकारी वेबसाइट हुई 'हैक':

- केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार साल 2014 में 155 और 2013 में 189 सरकारी वेबसाइटें हैक हुईं.
- डिजिटल इंडिया के लिए ज़ोर देने वाली केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि पिछले एक साल में सरकार के अलग-अलग विंग्स की 189 वेबसाइटें हैक हुई हैं.
- केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई मंत्रालयों की वेबसाइट हैक हुई है. यानी सीधे शब्दों में हर दूसरे दिन एक वेबसाइट
- मंत्रालय के आकड़ों के मुताबिक़, 2015 में 164 वेबसाइट, 2014 में 155 और 2013 में 189 यानी पिछले चार सालों में 700 साइट्स हैक की गई हैं.

- मंत्रालय का कहना है कि 8,348 आरोपी भी हैक करने के मामले में अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनमें से 315 को सज़ा भी दिलाई जा चुकी है।
- इस साल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) की वेबसाइट भी हैक हुई थी.
- इस बात को लेकर सरकार में चिंता भी है और वो कई लीगल और टेक्निकल एक्स्पर्ट्स से लगातार संपर्क में है ताकि इस समस्या से कैसे निपटा जाए.
- दरअसल, पिछले साल नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल हो जाए, ऐसे में अगर सरकारी वेबसाइट हैक हो रही है तो बाक़ी निजी साइट में कितनी सुरक्षा है, इसे लेकर बेहस हो रही है.

3. बांग्लादेश के जरिए पाकिस्तान में छपे 2000 रुपये के नोट भारत में खपाने की कोशिश

पाकिस्तान से 2000 रुपये के नकली नोटों को बांग्लादेश के जरिए भारत में लाकर खपाया जा रहा है | राष्ट्रीय जांच एजेंसी) एनआईए (और सीमा सुरक्षा बल) बीएसएफ (ने कई लोगों को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है .बीते बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 26 साल के अजीजुर रहमान से 2000 रुपये के 40 नकली नोट बरामद किए गए थे |

एक 2000 रुपये के जाली नोट के बदले तस्करों को 400-600 रुपये देने पड़ते हैं यह रकम नकली नोट की गुणवत्ता . जांचकर्ताओं और विश्लेषकों ने पाया है कि तस्करों ने नकली नोट में .पर निर्भर करती है2000 रु के नए नोट में मौजूद 17 सुरक्षा मानकों में से 11 की कॉपी करने में सफलता हासिल कर ली हैबताया जा रहा है कि पाकिस्तान . में इन नोटों को खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से छापा जा रहा है.

4. पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में

In news:

सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए जम्मू में पाकिस्तान सीमा पर दीवार बनाने का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया है

Alternatives:

- सरकार ने इसकी जगह पर' **स्मार्ट फेंस** 'जैसे तकनीकी उपायों पर ध्यान देने का फैसला किया है .इसमें सीसीटीवी कैमरों, रात में देखने में सक्षम उपकरण, रडार, भूमिगत सेंसर और लेजर बैरियर जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.
- इन्हीं तकनीकी उपायों के साथ गृह मंत्रालय अब कॉप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम)सीआईबीएमएस (नामक एक व्यवस्था पर काम कर रहा है.

Reason:

- 'नियंत्रण रेखा के विपरीत जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर न केवल आबादी की अधिकता है बल्कि जमीन भी उपजाऊ और खेती योग्य है .ज्यादातर लोग अपनी जमीनें छोड़ना नहीं चाहते .ऐसे में दीवार बनाने के लिए मुश्किल से 25 फीसदी जमीन का ही अधिग्रहण संभव है'.

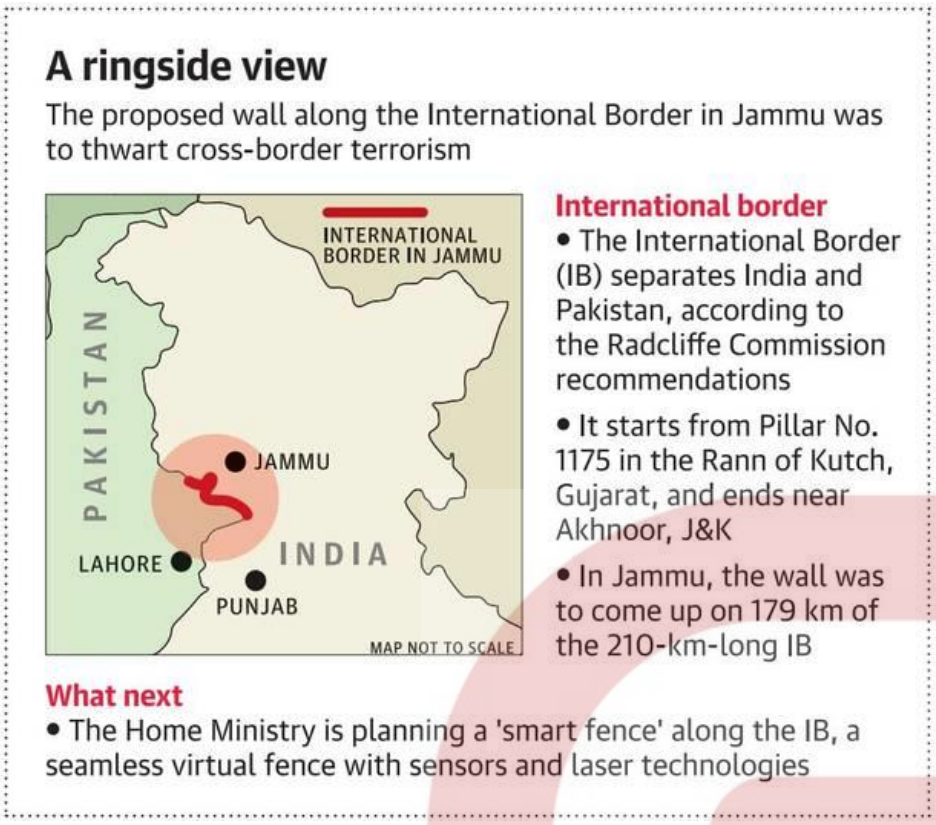

A ringside view

The proposed wall along the International Border in Jammu was to thwart cross-border terrorism

International border

- The International Border (IB) separates India and Pakistan, according to the Radcliffe Commission recommendations
- It starts from Pillar No. 1175 in the Rann of Kutch, Gujarat, and ends near Akhnoor, J&K
- In Jammu, the wall was to come up on 179 km of the 210-km-long IB

What next

- The Home Ministry is planning a 'smart fence' along the IB, a seamless virtual fence with sensors and laser technologies

➢ यूपीए सरकार ने 2013 में हीरानगर और सांबा सेक्टर में आतंकी हमले के बाद जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 179 किमी दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा था. पाकिस्तान के साथ-साथ भारतीय सेना ने इसका विरोध किया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को 2015 में लिखे पत्र में पाकिस्तान ने भारत पर नियंत्रण रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया था .वहीं भारतीय सेना का कहना था कि इससे उसके अभियानों में बाधा आएगी.

5. NSG कमांडो हुए हाईटेक रोबोट और 3डी रडार से लैस

- आतंकवाद रोधी बल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) के कमांडो अब **डोगो रोबोट, 3डी रडार और ड्रोन की मदद से आतंकी हमलों को नाकाम** करेंगे। आतंकी हमलों के बदलते स्वरूप को देखते हुए एनएसजी को अत्याधुनिक हथियार और गैजेट्स मुहैया कराए गए हैं।
- **स्पेशल वीपंस एंड टैक्टिक्स (स्वाट)** टीम को इसके अलावा इजरायल, अमेरिका और इटली निर्मित स्नाइपर राइफल व पिस्टल से भी लैस किया गया है। पठानकोट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले से सबक लेते हुए एनएसजी को बेहतर तकनीक और हथियार मुहैया कराने का निर्णय लिया गया था।
- ब्लैक कैट्स कमांडो को जर्मनी निर्मित पीएसजी-1 ए1 स्नाइपर राइफल दी गई है। यह पीएसजी-1 का उन्नत संस्करण है। टेलीस्कोप से लैस इस राइफल में एक समय में 20 राउंड कारतूस लोड किए जा सकते हैं।
- एनएसजी को **म्यूनिशन लांचर सिस्टम नामक ड्रोन भी** मुहैया कराया गया है। सफेद रंग का यह ड्रोन 38 एमएम के दो ग्रेनेड ले जाने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल के जरिये दूर से संचालित होने वाले इस ड्रोन में खुफिया कैमरे भी लगे हैं, जिसकी मदद से शत्रु को तबाह करने के अलावा उसके बारे में पूरी जानकारी भी हासिल की जा सकेगी।
- डोगो रोबोट करेगा आतंकियों को तबाह एनएसजी की टीम में सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार इजरायल निर्मित डोगो रोबोट है। साढ़े ग्यारह किलो वजनी यह रोबोट आतंकियों के ठिकाने में घुसकर कमांडो को कैमरा फीड के जरिये उसकी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देने में सक्षम है।
- इतना ही नहीं डोगो अत्याधुनिक ग्लोक पिस्टल से भी लैस है। यह एनक्रिप्टेड (कूट भाषा) ऑडियो के जरिये संदेश भी भेज सकेगा। एंटी हाइजैकिंग अभियान में इस्तेमाल होने वाले एक रोबोट की कीमत 76 लाख रुपया है। इसका नाम अर्जेंटाइन मैस्टिफ नामक शिकारी कुत्ते के नाम पर रखा गया है

- 3 डी रडार भी होगा एनएसजी टीम के पास अब 2 डी के बजाय 3 डी रडार होगा। यह 20 मीटर मोटी दीवार के पार की जानकारी देने में सक्षम है। चौदह किलोग्राम वजन वाले इस रडार की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। इसके अलावा ब्लैक कैट्स कमांडो को अत्याधुनिक इतालवी राइफल भी मुहैया कराई गई है, जिसकी मदद से गेट को तोड़ना आसान होगा।

6. भारी हथियारों का विश्व में सबसे बड़ा खरीदार भारत: सिपरी रिपोर्ट

भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है. इसने 2012 से 2016 के बीच पूरी दुनिया में हुए भारी हथियारों के आयात का अकेले 13 फ़ीसद आयात किया.

- स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रीसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत ने 2007-2016 के दौरान भारत के हथियार आयात में 43 फ़ीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
- साल 2012 से 2016 के बीच भारत का कुल आयात उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन से बहुत अधिक था.
- सबसे अधिक हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक़ 2012-2016 में उसने 2007-2011 की तुलना में 212 फ़ीसद अधिक आयात किया.

=>**दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक देश :-**

- रिपोर्ट के मुताबिक़ अमरीका, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक हैं. कुल निर्यात में इनका हिस्सा 74 फ़ीसद है.
- अमरीकी हिस्सेदारी - अमरीका ने 2007-11 की तुलना में 2012-16 में 21 फ़ीसद अधिक हथियार निर्यात किया. उन्होंने अपने हथियार निर्यात का क़रीब आधा मध्य-पूर्व के देशों को किया.
- वहीं रूस 2012-16 के दौरान भारी हथियारों के निर्यात में रूस का हिस्सा 23 फ़ीसद था. उसने भारत, वियतनाम, चीन और अल्जीरिया को हथियारों का निर्यात किया.
- हथियारों के निर्यात में चीन ने भी बढ़ोतरी दर्ज की है. उसने 2007-11 में उसकी हिस्सेदारी 3.8 फ़ीसद थी, जो 2012-16 में बढ़कर 6.2 फ़ीसद हो गया.

7. नकली नोटों से निपटने की दोहरी चुनौती

- पांच सौ और 2000 रुपये के नए नोट प्रचलन में लाने के समय सरकार ने दावा किया था कि इससे नकली नोटों के कारोबारियों पर पुख्ता तरीके से लगाम लगेगी लेकिन पिछले दो महीने के अनुभव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं।
- पिछले एक महीने के भीतर ही दिल्ली, मुंबई, माल्दा, जालंधर पटना से लेकर तेलंगाना तक में दर्जन भर नकली नोटों के मामले सामने आए हैं। इनमें अधिकांश दो हजार के नोटों से संबंधित हैं।
- इस काम में एक तरफ पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई जहां बहुत ही जोरशोर से लगी है तो देश के भीतर भी नकली नोट के नक्काल नए सिरे से सक्रिय हो गए हैं।
- सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए सतर्कता भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय जांच ब्यूरो) एनआईए (के स्तर पर गठित विशेष टीम देश के उस हर हिस्से का दौरा कर रही है जहां नकली नोटों के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एनआईए, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और अन्य खुफिया एजेंसियों के अधिकारी अमूमन रोजाना नकली नोटों के मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।
- नक्कालों के लिए दो हजार के नकली नोट तैयार करना काफी मुनाफे का धंधा है। इसमें मार्जिन काफी ज्यादा होने की वजह से आसानी से लोग रिस्क भी लेने को तैयार हो रहे हैं। एक बड़ी

GENERAL STUDIES HINDI

समस्या आम जनता और बैंक अधिकारियों के स्तर पर दो हजार के नए नोट की सुरक्षा जानकारियां नहीं होने से पैदा हो रही है।

- देश में नकली नोटों को आने से रोकने में जुटी एजेंसियों के सामने असल चुनौती पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ की तरफ से आ रही है। आइएसआइ वर्षों से भारतीय नकली नोटों को छापने और उन्हें यहां खपाने का काम करती आ रही है।
- हाल ही में बांग्लादेश सीमा पर माल्दा में नकली नोटों के साथ कुछ लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने आईएसआई की पूरी रणनीति का पर्दाफाश किया है। इसके अलावा भारत-नेपाल सीमा से भी आईएसआई के फिर से सक्रिय होने के सबूत मिल चुके हैं।

ऐसे भेजती है आईएसआई

- 1. कराची व पेशावर स्थित प्रेस में होती है भारतीय नकली नोटों की छपाई
- 2. वहां से थाईलैंड और दुबई पहुंचाए जाते हैं ये नोट
- 3. थाईलैंड से ढाका और काठमांडू में छोटे गिरोहों के पास पहुंचते हैं
- 4. बांग्लादेश और नेपाल सीमा के जरिये भेजा जाता है भारत

Social issues

1. नगालैंड में स्वायत्तता व महिला अधिकार के बीच टकराव

नगालैंड में स्थानीय निकायों के चुनाव में भड़की हिंसा संविधान में आदिवासी इलाकों को दी गई स्वायतत्ता और समाज सुधार के सरकारी प्रयास के बीच द्वंद्व है। इसलिए इस मुद्दे को महज राजनीतिक कहकर नहीं टाल सकते।

- Nagaland में महिलाएं लंबे समय से स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग कर रही हैं। अब जब दिसंबर 2016 में सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया तो आदिवासी समाज का पारम्परिक संगठन भड़क उठा।
- उसका कहना है कि **अनुच्छेद 234 (टी)** के तहत दिया गया यह आरक्षण पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्र नगालैंड को संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) के तहत दिए गए विशेषाधिकार का उल्लंघन है।
- पूर्वोत्तर के ये इलाके संविधान की छठी अनुसूची में आते हैं जहां पर राज्यपाल की मंजूरी के बिना केंद्र और राज्य सरकार का कोई कानून लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 371 (ए) आदिवासियों को अपनी परम्परा और रीति-रिवाज की हिफाजत का भी अधिकार देता है।

GENERAL STUDIES HINDI

A political or social conundrum

- अब उनके कौन से अधिकार पारम्परिक हैं और कौन से रीति-रिवाज पुराने हैं, इसका फैसला वहां रह रही 18 आदिवासी जातियों के संगठन मिल-जुलकर करते हैं।
- सरकार का मत है की स्थानीय निकायों का गठन आधुनिक है, इसलिए उन्हें आदिवासियों की परम्परा और प्रथा के दायरे में नहीं ला सकते।
- लेकिन नगालैंड के पारम्परिक आदिवासी संगठन को यह आरक्षण स्वीकार नहीं है और इसके विरोध में उन्होंने कोहिमा में नगर पालिका का दफ्तर फूंका और मुख्यमंत्री आवास पर भी हमला किया।

इस समय पूर्वोत्तर का आदिवासी समाज ही नहीं भारत के अन्य समाज भी अजीब से द्वंद्व में उलझे हुए हैं। एक तरफ उनकी महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं तो दूसरी तरफ उनकी जातीय पंचायतें अपने पारम्परिक हक के नाम पर उन्हें वह देने से इनकार कर रही हैं। हमारा संविधान विशेषाधिकार और सामाजिक क्रांति के बीच उलझ गया

है। उससे एक समझदारी भरा रास्ता निकालने के लिए गहरे राजनीतिक विवेक की जरूरत है और शायद उसे दर्शाने में राजनेता नाकाम रहे हैं। यही वजह है कि आज नगालैंड जल रहा है।

2. किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बड़े सुधारों की योजना

केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने को लेकर आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की ओर से बनायी गयी एक कमिटी कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों पर विचार कर रही है। इनमें मुनाफा केंद्रित रुख अपनाते हुए उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लागत कम करना शामिल है (प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच)

आय को बढाने की चुनौतिया

- खेती बाड़ी को व्यावहारिक बनाना-'सबसे बड़ी चुनौती' है।
- देश के ज्यादातर किसान, छोटे और सीमांत हैं। उन्होंने कहा कि खेती में फायदा कमाने का सिद्धांत इस तथ्य पर विचार से आता है कि सकल उत्पादन और कृषि लागत क्या है
- कटाई के बाद फसल प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। कटाई के बाद फसल को कैसे रखा जाता है, ढुलाई और मार्केटिंग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा, कमिटी पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और फूलों की खेती में विकास को बढ़ाने वाले अहम कारक है
- इसके अलावा input pricing भी एक प्रमुख मुद्दा है जहाँ लागत बढाती जा रही है पर उसी अनुरूप return नहीं आ रहा
- मौजूदा समय में खपत का तरीका बदल रहा है, लोग मांस, दूध, अंडे, फल और सब्जियों जैसे अधिक कीमत वाले उत्पादों का रुख कर रहे हैं।आय को बढाने के लिए इस और ध्यान दिया जाए
- इसके आलावा ऋण की भी समस्या है जंहा संस्थाए होने के बावजूद किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे
- इसके अलवा समस्या है marketing और processing की जिसकी तकनीक अभी भी दूर गाँवों तक पहुँच नहीं पाई है

3. महिलाओं के खिलाफ अपराध का बढ़ता स्तर : NCRB

देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ .दिल्ली में तो स्थिति और बदतर ही हुई है| राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) एनसीआरबी (ने साल 2015 में राज्यवार महिलाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों से संबंधित आंकड़े जारी किए हैं .देश के अलग-अलग राज्यों में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, यह बताने के साथ-साथ ये आंकड़े कई गम्भीर सवाल भी पैदा करते हैं .इन आंकड़ों का अध्ययन करने पर स्थापित धारणा के उलट यह बात सामने आती है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से विकसित दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भी अव्वल हैं|

एनसीआरबी के आंकड़े इस धारणा को खारिज करते हैं कि सामाजिक-आर्थिक विकास के जरिए महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी लाई जा सकती है

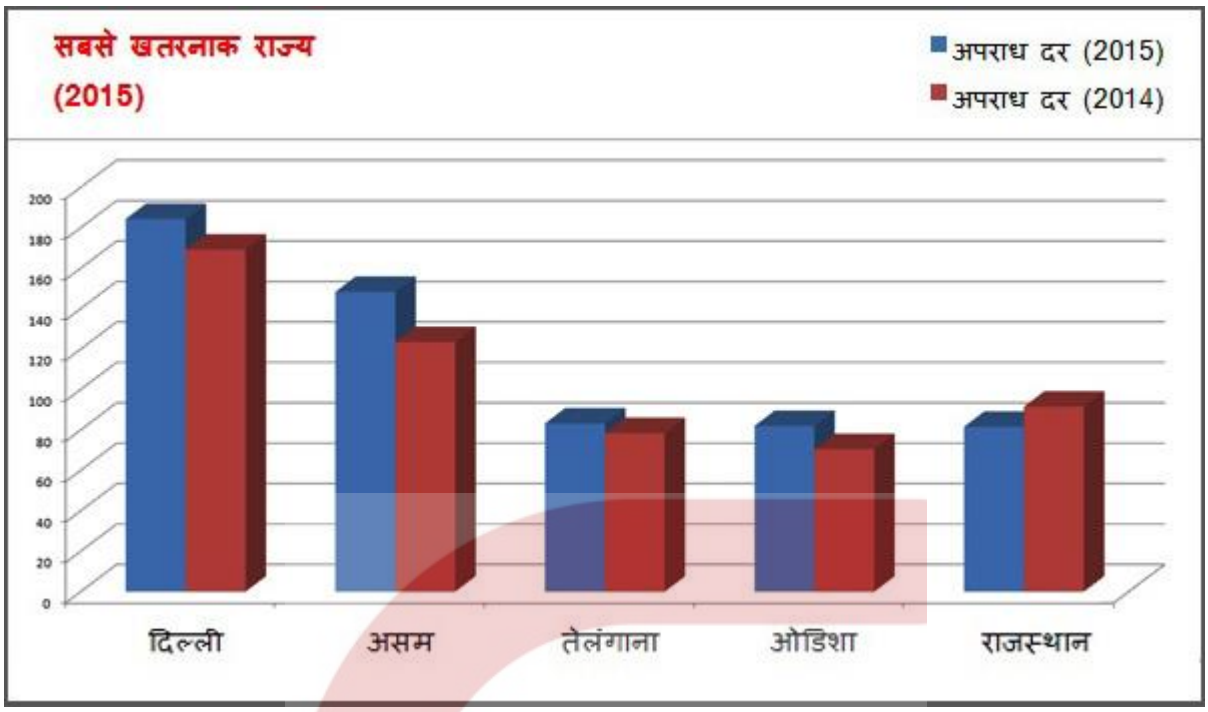

- महिलाओं के खिलाफ अपराध के 184.3 मामले दर्ज किए गए .यह आंकड़ा 2014 की तुलना में 15.2 ज्यादा है .
- इसके अलावा राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों से दूर रहने वाले कई राज्य भी इस सूची में दिल्ली के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं .इनमें असम, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं .
- महिला अधिकारों को लेकर जागरूक माने जाने वाले असम में महिला अपराध की दर 148.2 होना, चौंकाता है.

4. आसान नहीं है विवाह में सादगी का आदर्श अपनाना

सांसद रंजीता रंजन ने शादी में फिजूलखर्ची रोकने के लिए जो निजी सदस्य विधेयक तैयार किया है उसकी भावना का स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन, उस चुनौती को नज़रंदाज नहीं किया जाना चाहिए जो दहेज विरोधी तमाम कानूनों को ठीक से लागू किए जाने के बारे में भारतीय समाज के सामने लंबे समय से उपस्थित है। हालांकि, शादी में होने वाली फिजूलखर्ची को दहेज से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। दहेज में दबाव और मांग का तत्व होता है और फिजूलखर्ची में सब कुछ मनमर्जी से किया जाता है।

- शादी में दहेज की मांग और उसके लिए बहू को प्रताड़ित करना और जिंदा जला देना यह सब भारतीय समाज की दशकों पुरानी बुराइयां हैं। उनके लिए कानून बनें और उन्हें लागू करने के साथ उनका दुरुपयोग भी हुआ है।
- शादी में फिजूलखर्ची भी उतनी ही पुरानी प्रथा है जो भौतिकवाद बढ़ने और बाजारवाद के आगमन से साथ न सिर्फ सर्वव्यापी बल्कि फूहड़ भी हो गई है। हाल ही में कर्नाटक के खनन माफिया और भाजपा के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी की बेटी की शादी में 550 करोड़ रुपए का खर्च चर्चा का विषय रहा। अनुमान है कि सिर्फ निमंत्रण-पत्र बांटने में पांच करोड़ रुपए खर्च किए गए।
- राजनीति, व्यवसाय, अफसरशाही और विभिन्न संपन्न तबकों में फिजूलखर्ची चलन बन गया है। दिल्ली के आसपास के कुछ नवधनाढ्य शादियों में दूल्हे को हेलिकॉप्टर से उतारते हैं। विवाह सिर्फ

संपत्ति के प्रदर्शन का कार्यक्रम ही नहीं बन गया है बल्कि सत्ता के प्रदर्शन के साथ बाजारवाद का उत्सव भी हो गया है।

- अगर महंगी शादियां होंगी तो सामान बिकेगा और लोगों को रोजगार व कारोबार मिलेगा, उदारीकरण का यह सिद्धांत चारों तरफ सिर चढ़कर बोल रहा है।
- ऐसी बहुत सारी शादियां हुई हैं, जिनमें मीडिया और सरकार न सिर्फ बढ़-चढ़कर सहयोग देते हैं बल्कि उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि वैसी शादियों में शामिल होना चुनाव में टिकट पाने, अच्छा ठेका पाने और अच्छी पोस्टिंग पाने की गारंटी हो जाती है।

अगर संसद रंजीता के विधेयक पर विचार करती है तो यह एक शुभ शुरुआत होगी फिर भी उस भावना को आगे ले जाने के लिए समाज के उन तमाम संगठनों और नागरिकों को आगे लाने के साथ सम्मान देना होगा जो सादगी को सामाजिक जीवन का आदर्श मानते हैं और सादा जीवन और उच्च विचार जैसे सिद्धांत में यकीन करते हैं।

5. मजदूर संगठन और असंगठित क्षेत्र

#Business_Standard Editorial

Trade Unions in India

इस समय देश में करीब 20,000 मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन ऐक्ट ऑफ 1926 के अधीन पंजीकृत हैं। हालांकि इस सूची को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। देश के तमाम हिस्सों में बिखरे पड़े ये छोटे मजदूर संगठन देश के पांच प्रमुख केंद्रीय मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं।

- इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस) इंटक (के 3.3 करोड़ सदस्य हैं और यह कांग्रेस से संबद्घ है।
- भारतीय मजदूर संघ) बीएमएस (के 1.7 करोड़ सदस्य हैं और यह भाजपा से संबद्घ है।
- आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस) एटक (के 1.4 करोड़ सदस्य हैं और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है।
- हिंद मजदूर संघ एक स्वतंत्र संगठन है जिसके 90 लाख सदस्य हैं।
- सेंटर ऑप्ऊ इंडियन ट्रेड यूनियंस) सीटू (के 57 लाख सदस्य हैं और यह माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है।

इन संगठनों के दावों पर यकीन करें तो इनके कुल सदस्यों में से **तकरीबन 90 फीसदी संगठित क्षेत्र से आते हैं** जबकि 20 फीसदी असंगठित क्षेत्र से। देश के समस्त कामगारों की गिनती करें तो यह आंकड़ा करीब 50 करोड़ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये आंकड़े बहुत बढ़ाचढ़ाकर नहीं पेश किए गए हैं। देश के समस्त श्रमिकों के प्रतिनिधित्व में उनकी हिस्सेदारी 15 फीसदी की है। यानी हर चार में से एक श्रमिक का प्रतिनिधित्व ये संगठन करते हैं।

- भारत की प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भी विकसित देशों की सर्वोच्च आय के दशमांश के बराबर ही है। देश की श्रम शक्ति में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी 90 फीसदी है और उनको पूरी सामाजिक सुरक्षा तक हासिल नहीं है।
- सन 1974 की रेलवे हड़ताल और सन 1982 की मुंबई कपड़ा क्षेत्र की हड़ताल को संगठित क्षेत्र के मजदूरों और मालिकों के बीच शह और मात का लंबा उदाहरण माना जाता है। संगठित क्षेत्र के मजदूर अन्यथा बेहतर स्थिति में होते हैं और उनकी हड़ताल ने ये सवाल उठाए कि क्या मजदूर संगठनों की ऐसी सक्रियता देश हित में है या नहीं?

Situation in West

- पश्चिमी देशों में इन संगठनों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्ता सन 1980 के दशक से तेजी से कम हुई है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री रही मार्गरिट थैचर सन 1983 में कोयला खननकर्मियों का सफल मुकाबला करने में कामयाब रहीं। थैचर की कंजरवेटिव पार्टी ने हड़ताल को कानूनन कठिन बनाकर इन संगठनों को कमजोर कर दिया। टोनी ब्लेयर की सरकार ने भी थैचर के इन निर्णयों में कोई बदलाव नहीं किया। यूनाइटेड किंगडम में इन संगठनों की सदस्यता सन 1979 के 13 करोड़ से घटकर वर्ष 2013 में 60 लाख तक आ गई। अमेरिका में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ऐंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गनाइजेशन (एफएल-सीआईओ) मजदूर संगठनों का सबसे बड़ा संगठन है। एएफएल-सीआईओ की सदस्यता भी वर्ष 1983 के 1.77 करोड़ से घटकर वर्ष 2013 में 1.45 करोड़ रह गई। सन 1983 में अमेरिका में किसी संगठन में औसतन 20 फीसदी सदस्य थे जो अब 10 फीसदी रह गए हैं। सन 2013 में फ्रांस में यह सदस्यता 7 प्रतिशत, जर्मनी में 18 प्रतिशत और कनाडा में 27 प्रतिशत थी।
- पश्चिमी देशों खासतौर पर पश्चिमी यूरोप में मजदूर संगठन खासे सफल रहे। वे सरकारों को शिक्षा, न्यूनतम मेहनताना, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों, बेरोजगारी और स्वास्थ्य भत्ता और पेंशन आदि का लाभ दिलाने में सफल रहे। इससे श्रमिकों के बीच इन संगठनों की जरूरत भी कम होती गई। बहरहाल ब्रेक्सिट वोट और अमेरिका में टंरप की जीत यह बताती है कि दोनों देशों के कामगार अत्यधिक खिन्न हैं। क्या दुनिया भर में बढ़ती आय और संपत्ति की असमानता ने उनको खिन्न और निराश किया है?

Inidian Scenario

सन 1980 के दशक तक भारतीय मजदूर संगठनों के नेता रोजगार की परिस्थितियों और राजनीतिक-आर्थिक मुद्दों पर जो नजरिया रखते थे वह काफी हद तक मीडिया में नजर आता था। सन 1990 के दशक से इन संगठनों की मोलतोल करने की क्षमता और राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर राय रखने की उनकी क्षमता में लगातार गिरावट आती गई। अब अगर इन मुद्दों पर उनकी कोई राय सामने नहीं आ रही है तो इसकी वजह शायद यह है कि उनके पास राष्ट्रव्यापी समझ वाला नेतृत्त्व नहीं है और न ही उनके नेता अपना नजरिया विश्वासपूर्वक देश के सामने रख पा रहे हैं। एक अन्य वजह यह भी हो सकती है कि वे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं इसलिए उनमें स्वतंत्र विचारशक्ति लगभग समाप्त हो चली है।

Need to mould to fight for unorganised sector

- इन प्रमुख मजदूर संगठनों में नेतृत्व का मसला तभी हल होगा जब वे अपने आपको असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रासंगिक बना सकें।
- कामगारों को भी ऐसे प्रतिबद्घ नेताओं की आवश्यकता है जो उनके लिए जीवन परिस्थितियों को सही बना सकें और उनके अधिकारों के लिए लड़ सकें।

आज से 10 साल पहले इन श्रमिकों को शामिल करना मुश्किल हो सकता था लेकिन अब 90 करोड़ आधार कार्ड बन जाने के बाद आसानी से ऐसा किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा सका तो इन संगठनों को अपने सदस्य जोडऩे में मदद मिलेगी और वे असंगठित मजदूरों को भी सदस्य बना सकेंगे। यह बात इन संगठनों के नेताओं और उन राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए भी उल्लेखनीय होगी जिनसे वे संबद्घता रखते हैं। इनकी मदद से वे न केवल दबाव बना सकते हैं बल्कि तत्काल किसी बात पर प्रतिपुष्टि भी हासिल कर सकते हैं। यह बात इन मजदूरों को सरकार या प्रबंधन के साथ बातचीत में मजबूत बनाएगी।

6. देशभर में सरकारी अस्पतालों में 10 फीसदी दवाइयों की गुणवत्ता खराब

खबर के मुताबिक दवाइयों की गुणवत्ता जांचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कराए गए सर्वे में देशभर में सरकारी अस्पतालों में 10 फीसदी दवाइयां घटिया किस्म की होती हैं.

- दवाओं की क्वॉलिटी परखने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कराए गए अब तक के सबसे बड़े सर्वे से यह बात सामने आई है।
- सर्वे के दौरान देश में दवा की दुकानों पर बिकने वाली दवाओं में 3 प्रतिशत घटिया मिलीं, करीब 0.023 प्रतिशत दवाएं नकली पाई गईं।
- दवाओं के 47,954 सैंपलों के नतीजों की जांच में देखा गया कि सरकारी अस्पतालों में 10 से 11 प्रतिशत तक दवाएं घटिया क्वॉलिटी की थीं।
- सीजीएचएस की सप्लाई में यह प्रतिशत 4.11 पाया गया। सर्वे करने वाली स्वायत्त संस्था ने सरकार से दवा खरीदने के तरीकों पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है।

7. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में महिला आरक्षण पर जोर

अपनी एक रिपोर्ट के जरिये संयुक्त राष्ट्र ने संसद और अन्य निर्वाचित निकायों में महिला आरक्षण लागू करने की पुरजोर पैरवी की है। रिपोर्ट का शीर्षक **'लीव नो वन बिहाइंडः एक कॉल टू एक्शन फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड वूमेंस इकोनॉमिक एंपावरमेंट'** है।

क्या है इस रिपोर्ट में:

- पंचायती राज संस्थानों में महिला आरक्षण लागू होने से लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिली है।
- इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की जरूरत पर बल दिया गया है। यह रिपोर्ट खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा काफी समय से लंबित है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 110 से अधिक देशों की संसद में महिलाओं के लिए किसी न किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान है।
- वहीं 11 देशों में सरकारी एजेंसियों में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 में स्थानीय निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी पांच फीसद थी, जो भारत के पंचायती राज अधिनियम के जरिये 2005 में बढ़कर 40 प्रतिशत तक पहुंच गई।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' 'स्वच्छ भारत अभियान', 'प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना', 'मुद्रा योजना' और 'स्टैंड-अप इंडिया' जैसी कई पहल की है।'

GENERAL STUDIES HINDI

8. सेहत पर भारी अवसाद का शिकंजा

Reference: http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/basic-income-and-mental-health-gains/article17356686.ece

आज विश्व में अवसाद एक बहुत बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। अवसाद के चलते जिस तेजी से मनोरोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए इस सदी को मनोरोगियों की सदी कहा जाने लगा है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी अब सही साबित हो चुकी है और अब भारत में अवसाद सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है।

- आज देश की आबादी का करीब छह से सात प्रतिशत हिस्सा सामान्य मानसिक बीमारियों से ग्रस्त है जबकि एक से दो प्रतिशत गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। इससे चिंतित समाज विज्ञानी, मनोविज्ञानी और मनोचिकित्सक हैरत में हैं।
- इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि यह भीषण त्रासदी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
- मनोवैज्ञानिकों ने तो इस तथ्य का खुलासा किया है कि विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन की कुल आबादी में से बीस फीसदी से ज्यादा आज मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त हैं।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का अध्ययन इस बात का खुलासा करता है कि प्राकृतिक आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के बाद उन आपदाओं से प्रभावित लोगों में से 90 फीसदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इनमें से 30 फीसदी लोगों में यह समस्या ऐसे हादसों के छह महीने बाद तक बनी रहती है।

Reason for this:

असलियत में इसके बढ़ने के पीछे बदलते समाज में खुद को न संभाल पाना और भौतिक संसाधनों की दौड़ में भागते जाना प्रमुख है। भारतीय मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि तेजी से बढ़ता शहरीकरण अनगिनत मनोवैज्ञानिक समस्याओं की जड़ है, जिसमें अवसाद प्रमुख है। सवाल है कि क्या बढ़ते अवसाद का इलाज नहीं है? इस बारे में मनोचिकित्सकों का कहना है कि इसका इलाज भी है और इसके लिए बाजार में दवाओं की भी कमी नहीं है। हकीकत यह है कि इन दवाओं के आदी होने से आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

आज उपभोक्तावादी संस्कृति की आगोश में लिपटे युवक-युवतियों में ज्यादा से ज्यादा पाने, वस्तुओं के उपभोग की ललक, उनसे उपजी कुंठा, तनाव, एड्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल रोग, जिसे क्रॉनिक इलनेस सिंड्रोम कहते हैं, अवसाद बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार भले कुछ भी कहे लेकिन इतना तय है कि देश में स्वास्थ्य कर्मियों की मानसिकता, स्वास्थ्य सेवाओं व चिकित्सकों के अभाव में समस्या बढ़ी है। इंटरनेट के चलन, जिसे दीवानगी कहना ज्यादा उचित होगा, से गुस्सा, निराशा व तनाव बढ़ा है, जिसके चलते अवसाद से मनोरोगियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में समस्या पर लगाम लग पाने की आशा करना बेमानी है।

Some symptoms

- अवसादरोधी दवाएं लेने वालों में आत्मघाती प्रवृत्ति दोगुनी पायी जाती है।
- अमेरिकी खाद्य व औषधि प्रशासन ने इस तथ्य को प्रमाणित भी किया है कि अवसाद की दवा लेने वाले 100 में से तीन में आत्महत्या की प्रवृत्ति पायी गयी। नतीजतन अमेरिका के एडवायजरी पैनल ने अवसाद की दवाओं को ब्लैक' बॉक्स 'की श्रेणी में रखने की चेतावनी दी है।
- वहीं अमेरिकी साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने तो इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है

Genderisation of Mentle Health:

- विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के मुकाबले अन्य देशों में अवसाद के रोगियों में महिलाओं से ज्यादा तादाद पुरुषों की है।
- यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के ब्रेन एंड माइंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रो .इयान हिकी ने खुलासा किया है कि पुरुष अकसर इस समस्या के बारे में ज्यादातर छिपाते हैं और वे डाक्टर से भी कम परामर्श लेते हैं। इन हालातों में वह शराब, सिगरेट आदि अन्य नशे के आदी हो जाते हैं। महिलाएं भी शराब, दवाएं और सिगरेट का सहारा लेती हैं, लेकिन वे इलाज शुरू कराने को तत्पर रहती हैं।

दरअसल तनावपूर्ण जीवन और जीवन के हर क्षेत्र में चल रही भीषण प्रतियोगिता में अपना स्थान न होने के कारण आज अवसाद के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

प्रख्यात मनोचिकित्सक डाक्टर हवाई एक्जियाओंपिंग के अनुसार आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं के पीछे मुख्य कारण अवसाद है। जो तेजी से बदलते समाज में मस्तिष्क के ऊपर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव का नतीजा है। मनोचिकित्सक डॉ .राजेश सागर के अनुसार इसका उन पर बुरा असर पड़ता है, उनकी भूख कम हो जाती है, उन्हें भय का फोबिया हो जाता है। नींद नहीं आती, वह दूसरे पर शक करने लग जाता है और कुछ दिन बाद उसे दीवार पर टंगे चित्रों के सजीव होने का भ्रम होने लगता है। वे इफेक्टिव डिस आर्डर, सीजोफ्रेनिया, आर्गेनिक साइकोसिस और न्यूरोसेस बीमारियों के शिकार होकर मनोरोगी हो जाते हैं। कालांतर वे आत्महत्या तक को प्रवृत्त हो जाते हैं।

9. शादी बिल : क्या शादी में खर्च पर लगाम जरूरी है?

सांसद रंजीत रंजन ने शादियों में होने वाले खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने संसद के बजट सत्र में शादी बिल) जरूरी रजिस्ट्रेशन और फालतू खर्च रोकने (पेश किया है।

इन दिनों शादियां अपनी धन संपत्ति को दिखाने का एक साधन बन गया है। गरीब लोगों के ऊपर शादियों में ज्यादा खर्च करने का सामाजिक दबाव है। इस पर रोक जरूरी है क्योंकि ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है।

बिल का उद्देश्य

- मेहमानों की संख्या तय करना
- खाने की बरबादी रोकने के लिए परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तय करना।
- अगर कोई शादी में 5 लाख से ज्यादा खर्च कर रहा है तो 10 फीसदी वेल्फेयर फंड में दान करना। इस रकम से गरीब परिवारों की मदद की जाएगी।

क्या बिल पास होगा

ये एक प्राइवेट सदस्य का बिल है। इसको कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है न ही सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने इसे पटल पर रखा है। इसलिए इसका भविष्य अनिश्चित है।

प्रवत्ति का मसला

- यहां बिल पर सवाल उठाना और सांसद की पसंद पर हमला करने का मकसद नहीं है। पूरी चर्चा का मकसद ये है कि दिखावा कोई अपराध नहीं एक प्रवत्ति है। इसलिए इसको कानून बना कर नहीं रोका जा सकता है। इसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो फिर लोग शादियों में ज्यादा खर्च न करें इसके लिए क्या किया जाए।
- इसका सिर्फ एक ही ऊपाय है लोगों की प्रवत्ति बदलने का उपाय किया जाए। हम सभी समाज में रहते हैं इसके नाते हमें शादियों में फालतू के दिखावे से बचना चाहिए।
- आप खुद की या बच्चे की या बहन की शादी में लाखों रुपए खर्च करके भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपकी शादी में आया हर आदमी घर खुश गया होगा। हमारे समाज का सच यही है कि आप कितनी भी अच्छी शादी कर लें उसमें कमी निकालने वाले मिल ही जाएंगे। दूसरे शब्दों में आप कितना भी खर्च कर दें लोग उससे संतुष्ट नहीं होंगे।

प्रतिस्पर्धा न करें

शादी का समारोह सादा होगा तो आपका पैसा तो बचेगा ही आपको पता भी चल जाएगा कि सच्चे अर्थों में सादी शादी को कितने लोग पसंद करते हैं। हर किसी को ये जानना जरूरी है कि पड़ोस में रहने वाले अंबानी से प्रतिस्पर्धा करना आपके लिए बुरा हो सकता है। अगर लोग इस बारे में सोंचना शुरू कर दें तो समाज के कमजोर वर्ग पर आर्थिक दबाव कम हो जाएगा। अगर लोग शादियों में ज्यादा खर्च करने वालों की नकल करना बंद कर देंगे तो ये ट्रेंड कम हो जाएगा।

बजट स्थिति देखकर बनाएं

* आज की दुनिया में आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बच्चे किस तरह शादी करेंगे। उनकी अपनी प्राथमिकताएं होंगी। वो शायद परंपरागत तौर पर शादी ही न करना चाहें। नए जमाने की पीढ़ी नए अंदाज से चलती है। आप हर उस आदमी को शादी में बुलाना चाहेंगे जिसे आप जानते हैं लेकिन वो सिर्फ नजदीकी लोगों को बुलाना चाहेंगे। इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शादी का बजट हमेशा अपनी स्थिति देखकर ही बनाएं।

निष्कर्ष -: कानून के बदले ऐसे लोगों की कांउसलिंग की जाए तो शादियों में ज्यादा खर्च की प्रवत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है। कोई भी कड़क नियम नैतिकता के मुद्दे को नहीं सुलझा सकता है।

Economy

1. पांच साल में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा भारत :अमेरिकी थिंक टैंक

अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक ने कहा है कि अगले पांच साल में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस थिंक टैंक का कहना है कि पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह संतुलन के दिखावे की कोशिश में 'दूसरे तरीकों' की तलाश करेगा।

क्या कहती है रिपोर्ट

- द नैशनल इंटेलिजेंस काउंसिल)NIC) की 'ग्लोबल ट्रेंड्स' रिपोर्ट कहती है, 'भारत की आर्थिक क्षमता से मुकाबला करने में असक्षम पाकिस्तान संतुलन साधने का दिखावा करने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करेगा।'
- रिपोर्ट में कहा गया है, 'चूंकि, चीन की अर्थव्यवस्था नरम पड़ रही है और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास भी मंद पड़ रहा है, ऐसे में भारत अगले पांच सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन, असमानता और धार्मिक मसलों से पैदा आंतरिक तनाव की वजह से विकास का विस्तार जटिल हो जाएगा।
- एनआईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान अपने लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों की तलाश करेगा, जिनसे उसे आर्थिक और सुरक्षा मदद मिल सकती है। सहयोगी देश पाकिस्तान को परमाणु शस्त्रागार और आपूर्ति के साधनों का विस्तार कर विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध विकसित करने में भी मदद कर सकते हैं। इनमें युद्ध क्षेत्र के परमाणु हथियारों और समुद्री लड़ाई के विकल्पों को मजबूती प्रदान करना भी शामिल होगा।
- एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी आई है .इसके अलावा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी महिला सुरक्षा के मामले में पहले की तुलना में स्थिति सुधरी है .साल 2015 के दौरान मिजोरम में इन मामलों में सबसे ज्यादा 20.01 फीसदी कमी दर्ज की गई.

- इसके बाद त्रिपुरा में 19.8 फीसदी, सिक्किम में 13.5 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 12 फीसदी कमी देखी गई.
- राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के सबसे ज्यादा मामले आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए .साल 2015 में यहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 35,527 मामले रिकॉर्ड किए गए .यह पूरे देश में दर्ज मामलों का 10.85 फीसदी है

2. नकदीमुक्त अर्थव्यवस्था अव्यवस्था भी बन सकती है-

भारत जैसे विशाल देश में, जहां एक तिहाई जनता अब भी निरक्षर है और-90 प्रतिशत से अधिक लेनदेन नक़दनारायण से होता है-, नोटबंदी के बाद की क्रांति क्या बिना किसी भ्रांति के उस तेज़ी से हो सकती है, जिसकी सरकार अपेक्षा कर रही है?

पश्चिम से सबक

- उत्तरी यूरोप का स्वीडन नकदी मुक्त समाज-बनाने में विश्व में सबसे आगे है |.वह यूरोपीय संघ का सदस्य तो है, किंतु संघ की साझी मुद्रा यूरो के बदले अभी भी अपनी पारंपरिक मुद्रा) 'क्रोना'क्रोन या अंग्रेज़ी में क्राउन) 'स्वेरिजेस रिक्सबांक' वहां का केंद्रीय बैंक .से ही चिपका हुआ है (स्वीडिश नैशनल बैंक(संसार का सबसे पुराना मुद्रा बैंक है उसी ने .1661 में संसार का पहला बैंकनोट जारी किया था-
- पिछले क़रीब दो दशकों से स्वीडन का समाज स्वेच्छा से नकदी रिक्सबांक का .मुक्त होता जा रहा है- कहना है कि2015 में वहां हुए सारे लेनदेन में नक़दी का हिस्सा केवल दो प्रतिशत था आने वाले कुछ . सालों में यह घट कर केवल0.5 प्रतिशत रह जाने की संभावना है खुदरा लेनदेन में भी यहां केवल .20 प्रतिशत नकद पैसा हाथ बदलता है, जबकि पांच साल पहले यह अनुपात 50 प्रतिशत हुआ करता था यदि . पूरे विश्व के स्तर पर देखा जाये तो नक़द लेनदेन की मात्राइस समय 75 प्रतिशत है .
- भारत की तुलना में स्वीडन बहुत छोटा देश है मुंबई या दिल्ली की - जनसंख्या मुश्किल से एक करोड़ है . .पर जीवनस्तर बहुत ऊंचा और साक्षरता शतप्रतिशत है .आधी

Negative of this

- नक़दी-मुक्त लेनदेन से स्वीडन में बैंक-डकैती की घटनाएं 2008 में 110 से घट कर 2012 में केवल पांच रह गयी थीं पर .2014 तक बैंक के मामले 'इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी' जैसे (हैकिंग) खातों में सेंधमारी- 1,40,000 हो गए थे, जो एक ही दशक में दोगुनी वृद्धि से भी अधिक है.
- **व्यक्ति की निजता के लिए ख़तरा** दूसरी बड़ी समस्या यह है कि हर छोटा-बड़ा लेनदेन तुरंत दर्ज होते रहने और हर बार किसी पदचिन्ह जैसे उसके डिजिटल निशान बनते रहने से स्वीडन के जनसाधारण की- निजता तो वित्तीय मामलों में खत्म होती जा रही है, लेकिन डाटा के इतने बड़े भूसे में इलेक्ट्रॉनिक सेंधमारों का सुराग ढूंढना बेहद मुश्किल होता जा रहा है बूढ़ों को इन-नक़दी रखने और गिनने के अभ्यस्त बड़े . आधुनिक तकनीकों को अपनाने में जो परेशानी होती है, सो अलग से.
- **साइबर धोखाधड़ी का अंतरराष्ट्रीय जाल** :वर्षों की लंबी खोजबीन के बाद अभी पिछले नवंबर में ही 41 देशों के आइटी विशेषज्ञों ने साइबर धोखाधड़ी के एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय जाल का भंडाफोड़ किया, जो 2009 से सक्रिय था उसके सदस्यों ने कम से कम .1336 मामलों में ऑनलाइन बैंकिग करने वालों के 60 लाख यूरो चुराए अकेले जर्मनी में .50,000 से अधिक लोग ठगे गए यह गिरोह ईमेल अटैचमैंट के जरिये . ऑनलाइन बैंकिंग करने वालों के कंप्यूटर अपने नियंत्रण में ले लेता था और उन्हें कंप्यूटरों के अपने नेटवर्क का हिस्सा बना कर उनके बैंक.खातों से पैसे निकाल लिया करता था-

भारत जैसे देश में नकदी रहित व्यवस्था की अपनी दिक्कतें हैं .यहां बिजली का कोई भरोसा नहीं रहता जब-जब . बिजली चली जायेगी, बैंक से लेकर ग्राहक तक कोई कुछ नहीं कर सकतायदि बिजली सदा रहे भी ., तब भी नकदी-

कैशियर और बहुत सारे क्लर्क बेकार .मुक्त समाज में बैंकों में सारे काम कंप्यूटरों पर स्वचालित ढंग से होंगे केवल ऋ .हो जायेंगेण, बांड या शेयरों संबंधी परामर्श देने के लिए इक्के एक दिन ऐसी भी .दुक्के लोग रह जायेंगे- स्थिति आ सकती है कि सारे बैंक तिरोहित हो जायें और पूरे देश में केवल कोई एक ही केंद्रीय बैंक कंप्यूटरों और जब पैसे क .रोबोट मशीनों के सहारे सारी वित्त प्रणाली चला रहा हो ा ही कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होगा, तब आज के लाखों बैंक कर्मचारियों के अस्तित्व का भी भला क्या औचित्य बचेगा?

3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 बैंकों का मर्जर, सुधरेगा 'कैश फ्लो

- केन्द्र सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में देशभर से 5 सहायक बैंकों का विलय करने का फैसला लिया है.
- इस फैसले से अब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ ट्रैवेनकोर के अधीन हो जाएंगे.
- पांच सहायक बैंकों के विलय से केन्द्र सरकार को उम्मीद है कि इससे देश की बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी. इस विलय से जहां सहायक बैंकों के सभी ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एसबीआई की सभी सुविधाओं का फायदा मिलेगा.
- केन्द्र सरकार ने यह फैसला अपने इंद्रधनुष एक्शन प्लान के तहत लिया है.
- सरकार को उम्मीद है कि इससे देश के बैंकिंग सेक्टर की कार्यक्षमता और मुनाफा दोनों में इजाफा होगा.
- इन सहायक बैंकों के विलय से सरकार को उम्मीद है कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक मर्जर के पहले साल में ही 1000 करोड़ रुपये से अधिक सेविंग्स कर लेगी.
- नोटबंदी के बाद सरकार के इस फैसले से इन सभी सहायक बैंकों में पड़ी प्रतिबंधित करेंसी के मैनेजमेंट के साथ-साथ नई करेंसी के संचार के काम को बेहतर किया जा सकेगा. सरकार की दलील है कि जहां 6 अलग बैंक इस काम को करते वहीं अब एक बैंक पूरे काम को करेगा.

एसबीआई ने पिछले साल ही सब्सिडियरी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को अपने साथ मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद उसने इस प्रपोजल को सरकार के पास भेजा था।

इन बैंकों के मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी, उसके पास 37 लाख करोड़ का एसेट बेस और 50 करोड़ से अधिक कस्टमर्स होंगे। एसबीआई ने 2008 में सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को अपने साथ मिलाया था। इसके दो साल बाद उसने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर अपने साथ किया था।

एसबीआई ने हमेशा कहा है कि वह सहयोगी बैंकों को अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि, कैपिटल की कमी के चलते वह अब तक ऐसा नहीं कर पाया था। इन बैंकों की एंप्लॉयीज यूनियन भी मर्जर का विरोध कर रही हैं। सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को मिलाने के बाद एसबीआई का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वह दुनिया के बड़े बैंकों का मुकाबला कर सकेगा। दिसंबर 2015 तक इस बैंक पास 22,500 ब्रांच और 58,000 एटीएम थे। अकेले एसबीआई की 16,500 ब्रांच हैं। उसकी 191 ब्रांच विदेश में हैं, जो 36 देशों में फैली हैं।

4. जनवरी 2017 में देश के निर्यात में 4 फीसदी वृद्धि

- देश के निर्यात में लगातार पांचवें महीने वृद्धि हुई है और यह जनवरी 2017 में 22.12 अरब डॉलर का रहा, जो जनवरी 2015 के 21.20 अरब डॉलर से 4.32 प्रतिशत अधिक है।
- आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, समीक्षाधीन महीने में आयात 31.96 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वर्ष की जनवरी के 28.87 अरब डॉलर के आयात से 10.70 प्रतिशत अधिक है।
- जनवरी में व्यापार घाटा 9.84 अरब डॉलर पर रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा 7.67 अरब डॉलर रहा था। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से यहां जारी एक बयान

में कहा गया है, 'विश्व व्यापार संगठन के ताजा आंकड़े के अनुसार नवंबर 2016 में इसके पहले की समान अवधि की तुलना में अमेरिका (2.63 प्रतिशत), ईयू (5.47 प्रतिशत), और जापान (13.43 प्रतिशत) के लिए निर्यात वृद्धि दर सकारात्मक रही, लेकिन चीन के लिए निर्यात नकारात्मक 1.51 प्रतिशत रहा।'

- अप्रैल-जनवरी अवधि के दौरान सकल निर्यात 1.09 प्रतिशत वृद्धि के साथ 220.9 अरब डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 218.5 अरब डॉलर रहा था। बयान में कहा गया है, 'जनवरी 2017 में गैर पेट्रोलियम निर्यात 19.42 अरब डॉलर रहा था, जबकि जनवरी 2016 में यह 19.11 अरब डॉलर था। इस तरह इसमें 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।'अप्रैल-जनवरी के दौरान सकल आयात 307.3 अरब डॉलर का रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 326.3 अरब डॉलर के आयात से 5.81 प्रतिशत कम है।

5. खाद्यान्न की बंपर पैदावार, 50 लाख टन ज्यादा दाल

देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यह राहत की बात है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त सुधार की संभावना है।

- मानसून की अच्छी बारिश और सरकार की नीतिगत तैयारियों के मद्देनजर रबी सीजन में खाद्यान्न की बंपर पैदावार होने का अनुमान है।
- जबकि दलहन के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होगी। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए यह राहत की बात है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त सुधार की संभावना है।
- कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू वर्ष में खाद्यान्न की कुल पैदावार अब तक की सर्वाधिक 27.19 करोड़ टन होगी।
- इससे दालों की महंगाई से आजिज उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। साथ ही, आयात पर निर्भरता भी घट सकती है। दलहन की पैदावार में 50 लाख टन अतिरिक्त की बढ़ोतरी होने जा रही है
- यह पैदावार भी अपने आप में उच्चतम है। पिछले साल दलहन की कम पैदावार के चलते बाजार में दालों के दाम सातवें आसमान को छूने लगे थे। इस चुनौती से निपटने के लिए 60 लाख टन दालों का आयात करना पड़ा था।
- रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अब तक की सर्वाधिक 9.66 करोड़ टन है।

यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले अधिक है। मानसून की अच्छी बारिश के चलते मिट्टी में पर्याप्त नमी के चलते गेहूं की खेती का रकबा भी बढ़ा है। मोटे अनाज की पैदावार में अप्रत्याशित बढ़त दर्ज की गई है। मोटे अनाज वर्ग की सभी फसलों की कुल पैदावार 4.43 करोड़ टन होगी। यह पिछले साल के मुकाबले 58 लाख टन अधिक है।

चालू कृषि वर्ष 2016-17 में कुल 27.19 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होगा। यह वर्ष 2013-14 के 26.5 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन के मुकाबले अधिक है। लगभग 70 लाख टन खाद्यान्न की पैदावार अधिक होने जा रही है। बीते फसल वर्ष के मुकाबले यह पैदावार 2.04 करोड़ टन ज्यादा है।

=>**दलहन की सर्वाधिक उपज**

- अरहर और उड़द की खेती का रकबा बढ़ने की वजह से दलहन फसलों की पैदावार भी उच्चतम स्तर को छू सकती है। अरहर के बाद चने की मंहगाई ने लोगों का जायका खराब किया है।
- लेकिन चालू रबी सीजन में चने की पैदावार 91 लाख टन तक होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पिछले साल के 70 लाख टन के मुकाबले काफी अधिक है।

6. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 143वां स्थान

आर्थिक स्वतंत्रता के एक वार्षिक सूचकांक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और यह 143वें स्थान पर रहा है।

- अमेरिकी शोध संस्थान 'द हेरिटेज फाउंडेशन' की 'इंडेक्स ऑफ इकनॉमिक फ्रीडम' में भारत की रैंकिंग उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान समेत कई दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है।
- इसका प्रमुख कारण भारत में बाजार को ध्यान में रखकर किए गए आर्थिक सुधारों से होने वाली प्रगति का 'असमान' होना बताया गया है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले पांच साल में औसतन 7 प्रतिशत की दर से सतत वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि नीतियों में गहरे तक नहीं समायी है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया जा सके।
- इस कंजरवेटिव राजनीतिक विचारधारा के शोध समूह की रिपोर्ट में भारत को 'अधिकांशतया गैर-खुली' अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि भारत में बाजार आधारित सुधारों से हुई प्रगति 'असमान' रही है। - इसमें कहा गया है कि राज्य ने लोक उपक्रमों के माध्यम से कई क्षेत्रों में 'अपनी एक व्यापक उपस्थिति बनाए रखी है'।
- इसके अलावा प्रतिबंधात्मक और भारी-भरकम नियामकीय वातावरण से उद्यमिता हतोत्साहित होती है। यदि यह ना हो तो निजी क्षेत्र का व्यापक प्रसार किया जा सकता है।
- इस सूचकांक में भारत ने कुल 52.6 अंक हासिल किए जो पिछले साल के मुकाबले 3.6 अंक कम है। पिछले साल इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 123 थी।
- इस सूचकांक में हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर और न्यू जीलैंड शीर्ष पर रहे हैं।
- दक्षिण एशियाई देशों में भारत से नीचे अफगानिस्तान 163 और मालदीव 157वें स्थान पर हैं जबकि इस सूचकांक में नेपाल का स्थान 125, श्रीलंका का 112, पाकिस्तान का 141, भूटान का 107 और बांग्लादेश का 128 है।
- चीन ने इस सूचकांक में 57.4 अंक हासिल किए जो पिछले साल के मुकाबले 5.4 अंक ज्यादा है। इस साल उसका स्थान 111वां रहा है। अमेरिका 75.1 अंक हासिल कर 17वें स्थान पर रहा है
- इस सूचकांक में वैश्विक औसत 60.9 अंक रहा जो पिछले 23 साल में रेकॉर्ड उच्चस्तर है।

7. भारत में टीकों की निगरानी व्यवस्था पर डब्ल्यूएचओ ने लगाई मुहर

In news:

भारत में टीकों पर निगरानी की व्यवस्था पर विश्व स्वास्थ्य संगठन) डब्ल्यूएचओ (ने अपनी मुहर लगा दी है। डब्ल्यूएचओ की अंतरराष्ट्रीय टीम ने ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल के आधार पर पांच दिन की समीक्षा के बाद इसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के मुताबिक सही पाया है।

- डब्ल्यूएचओ के प्रीक्वालिफिकेशन प्रोग्राम) पीक्यूपी (में सफल रहने के बाद अब भारतीय टीका उद्योग को और मजबूती मिल सकेगी।
- WHO ने इस परीक्षण में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) सीडीएससीओ (के साथ ही राज्यों की निगरानी व्यवस्था और इन टीकों के असर पर नजर रखने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया था
- भारत दुनिया के सबसे बड़े टीका निर्माता देशों में है और यहां से 150 से ज्यादा देशों को बहुत बड़ी मात्र में टीके निर्यात होते हैं।

- डब्ल्यूएचओ की ओर से टीकों के राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण) एनआरए (को दी गई स्वीकृति के बाद भारतीय टीकों की गुणवत्ता को लेकर दुनियाभर के देश आश्वस्त हो सकेंगे।
- दुनियाभर में सप्लाई के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी बड़ी मात्र में टीके खरीद करती हैं। डब्ल्यूएचओ की ओर से भारतीय नियामक व्यवस्था को सही पाए जाने के बाद अब ये एजेंसियां यहां से इन टीकों को सीधे खरीद सकेंगी। भारत में टीका बनाने वाली 21 बड़ी इकाइयां चल रही हैं।

8. बैंको के विलय की चुनौतियां

विलय के बाद SBI

भारतीय स्टेट बैंक) एसबीआई (पांच सहायक बैंकों के विलय के बाद करीब 37 लाख करोड़ रुपये के परिसंपत्ति आधार के साथ दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल हो जाएगा। उस स्थिति में एसबीआई की मौजूदगी दुनिया के 36 देशों में हो जाएगी। उसके 50 करोड़ से भी अधिक ग्राहक होंगे और कर्मचारियों की संख्या भी 270,000 हो जाएगी। विलय के बाद एसबीआई भारत के दूसरे बड़े बैंक से करीब पांच गुना बड़ा होगा। इसी के साथ सम्मिलित बही-खाते में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) एनपीए (का हिस्सा बढ़कर करीब 8.7 फीसदी हो जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि लेखांकन अधिक पारदर्शी हो जाएगा जिससे वित्तीय सेहत के बारे में अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी। बहरहाल एसबीआई को बेसल-3 मानदंडों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ेगी।

सवाल है कि क्या विलय के बाद एसबीआई अधिक सक्षम, कारगर और बेहतर परिचालन वाला बैंक बन पाएगा जिसका वित्तीय स्वरूप भी सशक्त होगा? यह फालतू खर्च में कमी लाने और जरूरत से अधिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। इस पर भी निर्भर करेगा कि विलय के बाद एसबीआई को विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक तरीके से चलाने की इजाजत दी जा रही है या नहीं?

- नई इकाई अपने खर्चों में कटौती और सहयोजन को तभी अमल में ला सकती है जब सहयोगी बैंकों के कोष का भी विलय कर दिया जाता है।
- इसके अलावा ऑडिट प्रक्रिया और कार्यालयों एवं सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे को भी समाहित करने की प्रक्रिया पूरी होने से ही बात बनेगी।
- नई इकाई की शाखाओं की संख्या करीब 23,900 होगी जिसे कम करके 22,500 के स्तर पर लाना होगा। कार्यबल को भी समायोजित करना होगा।
- इस दिशा में सबसे बड़ा गतिरोध सहयोगी बैंकों के कर्मचारी संगठनों की तरफ से होने वाला विरोध होगा। इन संगठनों ने पहले ही एक साझा मोर्चा बनाकर विलय का विरोध शुरू कर दिया है। बैंक प्रबंधन को इसका समाधान निकालना होगा क्योंकि प्रभावी तरीके से अतिरिक्त खर्च में कटौती किए बगैर नई इकाई आवश्यकता से अधिक विस्तार वाली इकाई बन जाएगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी दूसरे बैंक की तरह एसबीआई को भी राजनीतिक हस्तक्षेप से परे पूरी तरह वाणिज्यिक तरीके से संचालित करने की इजाजत नहीं होने से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
- एनपीए के मामले में सार्वजनिक बैंकों के खराब प्रदर्शन की यह मूलभूत वजह रही है। विलय के बाद एसबीआई का बड़ा संपत्ति आधार होने से राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका ज्यादा होगी।
- साधारण तौर पर यही माना जाता है कि कुल बैंकिंग परिसंपत्ति के 10 फीसदी से अधिक हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले किसी बैंक के नाकाम होने की बहुत कम संभावना है।

- अमेरिका में तो बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं के आपसी विलय एवं अधिग्रहण पर रोक लगी हुई है ताकि और भी बड़ी इकाई के नाकाम होने की आशंका को दूर किया जा सके। एसबीआई उस सीमारेखा से परे होगा लिहाजा इसकी गतिविधियों पर बेहद सख्त निगरानी और पर्यवेक्षण की जरूरत होगी।

यह विलय भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक परीक्षण भी होगा। अगर यह काम करता है तो दूसरे सार्वजनिक बैंक भी विलय का यही रास्ता अपना सकते हैं। इससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र में तीन-चार बड़े संस्थान ही सक्रिय दिखेंगे जिससे कारोबारी सक्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि विलय की यह योजना एक ही स्तर के बैंकों को मिलाने से जुड़ी है और मध्यम स्तर के बैंकों का विलय थोड़ा पेचीदा हो सकता है। एसबीआई और सहयोगी बैंकों की तुलना में मध्यम दर्जे के बैंकों में काफी विविधता हो सकती है। उस स्थिति में मध्यम स्तर के बैंकों का विलय करा पाना बैंकों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी।

9. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम शुरू ; 2023 के अंत तक ट्रेन सेवाएं प्रारंभ होने की संभावना

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे से गुजरेगा। समुद्र के अंदर सुरंग बनाने का कारण ठाणे और विरार के बीच हरे-भरे इलाके के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसके लिए जमीन की ड्रिलिंग कर मिट्टी की जांच का काम शुरू हो गया है।

कब तक पूरी होगी परियोजना :

अब अगला चरण पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन (ईआइए) का है। साल के अंत में जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत दौरे पर आएंगे, तब इसका भूमि पूजन होने की उम्मीद है। इसके बाद 2018 के अंत तक वास्तविक निर्माण कार्य प्रारंभ होने तथा 2023 के अंत तक ट्रेन सेवाएं प्रारंभ होने की संभावना है।

क्या है मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या हाईस्पीड परियोजना

1. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या हाईस्पीड परियोजना 508 किलोमीटर लंबी है।
2. 350 किलोमीटर की अधिकतम तथा 320 किलोमीटर की औसत रफ्तार के हिसाब से इस दूरी को कवर करने में बुलेट ट्रेन को तकरीबन दो घंटे लगेंगे।
3. परियोजना पर 97,636 करोड़ रुपये की लागत आंकी गई है।
4. इसमें से 81 प्रतिशत राशि जापान सरकार 0.1 फीसद ब्याज वाले कर्ज के रूप में दे रही है।

कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे : प्रोजेक्ट का अधिकांश हिस्सा एलीवेटेड यानी जमीन के ऊपर खंभों पर होगा। लेकिन ठाणे से विरार के बीच का 21 किलोमीटर की दूरी का हिस्सा सुरंग से गुजरेगा।

- इसमें भी सात किलोमीटर का हिस्सा समुद्र की सतह के नीचे से होकर जाएगा। भारत में यह पहला मौका होगा जब कोई रेलवे लाइन समुद्र की सतह के नीचे से होकर जाएगी। यहां समुद्र की गहराई तकरीबन 70 मीटर है। लिहाजा यह लाइन तकरीबन 100 मीटर नीचे से होकर गुजरेगी।
- इसके लिए समुद्र के भीतर जमीन, चट्टानों और मिट्टी की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। ठाणे और विरार के बीच सुरंग बनाने की जरूरत इस क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की अड़चनों के

मद्देनजर महसूस की गई। यह क्षेत्र काफी हरा-भरा है और जमीन के ऊपर से लाइन ले जाने से पर्यावरण को नुकसान होने का अंदेशा था।

10. India QR जारी, पूरा देश हो जाएगा कैशलेस

केंद्र सरकार द्वारा कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नई तकनीक तैयार की गई है। इसके माध्याम से अब लोग बिना किसी मुश्किल के पैसों का लेनदेन डिजिटल माध्यम से कर पाएंगे।

- यह देशभर में रिटेल मर्चेंट्स प्वाइंट्स पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की सरकार की मुहिम का दूसरा अहम हिस्सा है।
- इससे पूर्व सरकार ने भीम ऐप के जरिए यूपीआई मोड को शुरू किया था। जिसे देश के सभी बैंक ग्राहक तेजी से अपना रहे हैं।

=>**भुगतान क्षेत्र में नवोन्मेषण :-**

- इतना ही नहीं यह एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आपको अपना वॉलेट संभालने के बोझ से भी छुटकारा मिल जाएगा।
- सरकार की तरफ से पेश किया गया इंडिया क्यूआर मोड 20 फरवरी से शुरु
- इंडिया क्यूआर एक कॉमन क्यूआर कोड है, जिसे सभी अहम कार्ड पेमेंट कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है।

=>**क्या है क्यूआर कोड :-**

QR कोड मशीन से पढ़ा जाने वाला कोड है, जो काले सफेद खानों से मिलकर बनता है। इसका इस्तेमाल मजबूत वेबसाइट लिंकों या अन्य सूचनाओं को स्मार्टफोन पर कैमरे से पढ़ने के लिए होता है। इंडिया क्यूआर को मास्टरकार्ड इंक, वीजा इंक और रुपे ने मिलकर तैयार किया है। इसे मुंबई में औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इंडिया क्यूआर किसी भी ग्राहक को अपने स्मार्टफोन के इस्तेमाल से रीटेल पेमेंट की इजाजत देता है, जिनके पास डेबिट कार्ड है।

11. जी-20 देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ेगी : मूडीज

प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संभावना जताई है कि 2017 में जी-20 देशों भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज होगी .जी-20, 20 देशों का समूह है .इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं.

GENERAL STUDIES HINDI

- मूडीज के मुताबिक 2016 की आखिरी तिमाही में हुए नोटबंदी के फैसले के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घट गयी है, फिर भी 2017 में यह 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी .पहले इस आंकड़े के 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था.
- इसके अलावा मूडीज का यह भी आकलन है कि 2017-2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भी बढ़ोतरी होगी .एजेंसी के मुताबिक 2016 में यह 2.6 प्रतिशत थी जिसके अब तीन फीसदी तक जाने का अनुमान है .हालांकि मूडीज ने यह भी आशंका जताई है कि अमेरिका की तेजी से बदलती हुई रणनीतियों के चलते ये अनुमान बदल सकते हैं

Effect of US policies:

- अमेरिका की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बड़े बदलावों के चलते विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़े पूर्वानुमानों में बड़ी अनिश्चितता दिख रही है .इन नीतियों में व्यापार और आप्रवासियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं .
- यदि अमेरिका की ब्याज दरों और डॉलर की कीमतों में कोई अप्रत्याशित बदलाव आता है तो विश्व की अर्थव्यवस्था निश्चित तौर पर प्रभावित होगी.
- अमेरिका के अलावा यूरोपीय संघ में आ रहे अलगाव और इसके सदस्य देशों की रणनीतियों में आ रहे बदलाव और चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से आ रही मंदी भी विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है .एक आंकड़े के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2016 के 6.7 प्रतिशत से घटकर 2017-2018 में 6.3 से लेकर 6 प्रतिशत तक नीचे आ जाएगी.

12. नीति आयोग की रिपोर्ट : सड़कों जैसा हो रेल लाइनों का विस्तार

- आजादी के बाद जिस तरह से देश में सड़कों का जाल फैला है, वैसा विस्तार रेलवे का नहीं हुआ। यह बात नीति आयोग की एक रिपोर्ट में मुख्यता से उठाई गयी है।
- नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में रेलवे से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तरह देश के कोने-कोने तक रेल लाइनों का जाल फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करे।
- आयोग ने कहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी पूर्वोत्तर तथा ओडिशा के अनेक इलाकों में रेल लाइन नहीं पहुंची है। लिहाजा हमें रेलवे में भी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम) एनएचडीपी (तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) पीएमजीएसवाई (जैसी योजनाओं की जरूरत है।
- उल्लेखनीय है कि एनएचडीपी तथा पीएमजीएसवाई की शुरुआत वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। आयोग ने कहा कि जब तक हम देश के सभी जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार की योजना नहीं बनाते और इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता में नहीं लाते तब तक देश के सभी लोगों को किफायती, सुगम और पर्यावरण अनुकूल यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता।
- नीति आयोग इस योजना को रेलवे की सामान्य योजना से एकदम अलग रखने के पक्ष में है। ठीक वैसे ही जैसे एनएचडीपी को पीडब्ल्यूडी और एनएचएआइ द्वारा बनाई जाने वाली सामान्य सड़क योजनाओं से एकदम अलग रखा गया है।
- - यही नहीं, आयोग रेलवे के यात्री यातायात में बढ़ोतरी किए जाने तथा एयरलाइनों के साथ मुकाबला किए जाने के पक्ष में भी है। ताकि संपन्न वर्ग के लोगों को प्रतिस्पर्द्धी दरों पर आरामदेह यात्रा की सुविधा दी जा सके। लंबे अरसे से रेलवे के यात्री यातायात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

क्या है एनएचडीपी और पीएमजीएसवाई

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम) एनएचडीपी (के तहत कुल चार, छह और आठ लेन के 46,635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना बनाई जा चुकी है। इसमें से 25,726 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो चुका है, जबकि 10767 किलोमीटर सड़कें निर्माणाधीन हैं।

इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना) पीएमजीएसवाई (के तहत शामिल 1,58,891 गांवों में से 84,414 गांवों को जोड़ने के लक्षित 3,67,693 किलोमीटर में से 2,09,570 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि 3,74,844 किलोमीटर पुरानी सड़कों में से 1,40,930 किलोमीटर

सड़कों का उच्चीकरण किया जा चुका है। इस समय पीमजीएसवाई के तहत रोजाना औसतन लगभग 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है।

13. किसान की समृद्धि की राह

 # Editorial_Tribune

सरकार पिछले दो वर्षों से किसान की आय को दोगुणा करने के वादे कर रही है। परन्तु किसान की हालत में तनिक भी सुधार नहीं दिखता है। सरकार का फार्मूला है कि किसान को सड़क एवं पानी उपलब्ध कराया जाए जिससे उत्पादन में वृद्धि हो। साथ-साथ फसल बीमा तथा सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर किसान की उत्पादन लागत को कम किया जाए जिससे उसकी आय में वृद्धि हो।

Not just input but output prices also matter

किसान की आय उत्पादन की मात्रा अथवा लागत से तय नहीं होती है। किसान की आय तय होती है उत्पादन लागत एवं बाजार के दाम के अन्तर से। जैसे 15 रुपये किलो की लागत से गेहूं का उत्पादन किया जाए और 17 रुपये किलो में बेचा जाए तो किसान को लाभ 2 रुपये प्रति किलो का लाभ होता है। मान लीजिए सरकार ने सड़क, सिंचाई, बीमा तथा ऋण की सुविधाएं किसान को उपलब्ध करा दीं। किसान ने उत्पादन अधिक मात्रा में किया। उसकी लागत 15 रुपये से घटकर 13 रुपये प्रति किलो हो गई। परन्तु इस सुधार से किसान की आय में वृद्धि होना जरूरी नहीं है। इन सुधारों के साथ-साथ यदि बाजार में गेहूं के दाम 17 रुपये से घट कर 12 रुपये रह गए तो किसान को प्रति किलो एक रुपये का घाटा लगेगा। जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना ही किसान का घाटा बढ़ेगा। कृषि उत्पादों के मूल्य की अनदेखी करने के कारण एनडीए सरकार के पिछले तीन वर्षों में किसान की हालत बिगड़ती गई है।

Export Import policy and farmers

- सरकार की आयात-निर्यात नीति भी किसान को कष्ट में डालती है। सरकार की प्राथमिकता देश में कृषि उत्पादों के दामों को नियंत्रण में रखना है। आज देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी शहर में रहती है। ये खाद्य पदार्थों को खरीद कर खाते हैं। गांव में रहने वाले खेत मज़दूर, बढ़ई, लोहार, चाय वाले इत्यादि भी खाद्य पदार्थ खरीद कर खाते हैं। देश की 80 प्रतिशत जनता इन्हें खरीद कर खाती है। इन वोटर को साधना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि खाद्य पदार्थों के दाम न्यून बने रहें।
- जब देश में किसी कृषि उत्पाद की फसल कम होती है और घरेलू बाजार में दाम बढ़ते हैं तो सरकार आयात करती है और दाम को बढ़ने से रोकती है। वर्तमान में दाल के आयात से ऐसा किया जा रहा है।
- इसके विपरीत जब देश में उत्पादन ज्यादा होता है और दाम न्यून होते हैं तो निर्यातों पर प्रतिबंध लगाकर इन्हें नीचा बनाए रखा जाता है। किसान दोनों तरह से मरता है। किसान की आय दोगुणा करने के लिए जरूरी है कि दाम में वृद्धि होने दी जाए। सरकार की पॉलिसी इसके ठीक विपरीत है। दाम न्यून रखकर सरकार किसान की आय में कटौती करती है।
- सिंचाई, सड़क, बीमा और ऋण के माध्यम से किसान भ्रमित हो जाता है और समझता है कि सरकार उसके हित में काम कर रही है। जैसे किचन में रोटी बनाई जा रही हो तो घर वाले प्रसन्न होते हैं। वास्तविकता उन्हें तब पता लगती है जब कोरी रोटी परोसी जाती है और दाल नदारद रहती है।

मान लिया जाए कि सरकार ने कृषि उत्पादों के दाम बढ़ने दिए। समर्थन मूल्य बढ़ाया। तब दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दाम ऊंचे होने से किसान उत्पादन बढ़ाता है। लेकिन उपभोक्ता की खपत तथा बाजार में मांग पूर्ववत् बनी रहती है। मजबूरन फूड कार्पोरेशन को अधिक मात्रा में माल को खरीद कर भंडारण करना पड़ता है। इस भंडार का निस्तारण नहीं हो पाता है, जैसे तीन साल पूर्व फूड कार्पोरेशन के गोदामों में गेहूं सड़ने लगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि गेहूं को सड़ने देने के स्थान पर लोगों को क्यों न बांट दिया जाए। परन्तु बांटना भी समस्या का हल नहीं है। लोग तीन-चार रोटी ही खाएंगे। बांटने से गेहूं की खपत में विशेष वृद्धि नहीं होगी। इसलिए दाम बढ़ने से बने विशाल भंडार का निस्तारण घरेलू अर्थव्यवस्था में नही हो सकता है।

विश्व बाजार में भी इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए सरकार ने गेहूं के दाम 17 रुपए किलो के ऊंचे स्तर पर निर्धारित कर दिए। लेकिन विश्व बाजार में आस्ट्रेलियाई गेहूं 12 रुपए में उपलब्ध हो तो भारतीय गेहूं को 17 रुपए में कोई क्योंकर खरीदेगा? निर्यात सब्सिडी देकर भी इसका निर्यात नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ का प्रतिबंध है कि निर्यातों पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अतः सच यह है कि समस्या का कोई हल उपलब्ध है ही नहीं। किसान की आय बढ़ाने के लिए दाम में वृद्धि जरूरी है। दाम बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। बढ़े उत्पादन का भंडारण करना पड़ता है। इस भंडार का निस्तारण वैश्विक बाजार में नहीं हो सकता है।

इस समस्या के फिर भी दो समाधान हैं।

- पहला समाधान है कि निर्यात सब्सिडी के स्थान पर किसान को भूमि‘ सब्सिडी ’दी जाए। जैसे छोटे किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष और बड़े किसान को 1,000 रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाए। यह न देखा जाए कि उसने किस माल का उत्पादन किया और उसे कहां बेचा। साथ-साथ दाम को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए। तब गेहूं का दाम 12 रुपए प्रति किलो हो जाए तो भी किसान मरेगा नहीं। सब्सिडी के भरोसे वह जीवित रहेगा। बल्कि दाम गिरने से वह उत्पादन कम करेगा और भंडारण करने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। किसान को निश्चित आय मिल जाएगी और शहरी उपभोक्ता को सस्ता माल मिल जाएगा। निर्यात करके हम विश्व बाजार में भी अपनी पैठ भी बना सकेंगे। वर्तमान में दी जा रही फर्टिलाइजर एवं फूड सब्सिडी का उपयोग किसान को निश्चित आय देने के लिए किया जा सकता है। फर्टिलाइजर एवं फूड सब्सिडी के लेन-देन में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से भी देश को मुक्ति मिल जाएगी। इन सब्सिडी देने पर डब्ल्यूटीओ का प्रतिबंध नहीं है।
- दूसरा समाधान है कि ऊंचे मूल्य के कृषि उत्पादन की तरफ किसान को बढ़ाया जाए। आज दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा विशेष कृषि उत्पादों को ऊंचे दाम में बेचा जा रहा है। जैसे फ्रांस में अंगूर की खेती करके उससे वाइन बनाकर निर्यात किया जाता है। इटली द्वारा जैतून, नीदरलैंड द्वारा ट्यूलिप के फूल, श्रीलंका द्वारा चाय, वियतनाम द्वारा काली मिर्च, ब्राजील द्वारा कॉफी इत्यादि के ऊंचे दाम वसूल किए जा रहे हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति में अप्रत्याशित विविधता है। कश्मीर से अंडमान के बीच हर प्रकार का वातावरण उपलब्ध है। सरकार को चाहिए कि उत्तम श्रेणी के विशेष उत्पादों पर रिसर्च कराए, किसानों को ट्रेनिंग दे और इनके निर्यात को एक सार्वजनिक इकाई बनाए। इन कदमों को उठाने से किसान की स्थिति में सुधार होगा। सिंचाई, सड़क, बीमा और ऋण की वर्तमान पॉलिसी निष्फल होगी जैसे बिना दाल के रोटी निष्फल होती है।

14. भारत बना अमेरिकी प्रतिभूतियों में 12वां सबसे बड़ा निवेशक

भारत अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने वाला 12वां सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। बीते साल के आखिर में अमेरिका की इन सरकारी प्रतिभूतियों में **भारत का निवेश 118.2 अरब डॉलर** था।

- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से जारी नवीनतम आंकड़ों से यह तथ्य सामने आया है।
- इस मामले में **जापान शीर्ष पर** है। इस देश ने अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों में 1,090 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है।
- अमेरिकी प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में चीन दूसरे पायदान पर है। भारत के इस पड़ोसी देश ने सरकारी प्रतिभूतियों में 1,060 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है।
- इसी तरह 288.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ आयरलैंड तीसरे स्थान पर है। केमैन आइलैंड 263.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ चौथे नंबर पर है। जबकि 259.2 अरब डॉलर निवेश कर ब्राजील सूची में पांचवें पायदान पर है।

Governance/Ethics

1. साल भीतर प्रमाणित करें मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान : SC

खबरों में

फर्जी मोबाइल उपभोक्ताओं पर लगाम कसने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक साल के भीतर ऐसा प्रभावी तंत्र बनाने के लिए कहा है जिससे सौ करोड़ से ज्यादा मौजूदा और भावी मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान प्रमाणित की जा सके।

- पीठ ने सुझाव दिया कि वर्तमान प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं को रीचार्ज कराने के दौरान पहचान का विवरण देने के लिए कहा जा सकता है, जैसा कि नए सिम कार्ड उपभोक्ताओं के मामले में होता है। वर्तमान में कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में से 90 फीसद प्रीपेड उपभोक्ता हैं।

Background

पीठ एक गैर सरकारी संगठन) एनजीओ लोक' (नीति फाउंडेशन 'की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की ओर से दी गई जानकारी की सत्यता जांचने के लिए केंद्र को एक प्रभावी तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि यह जांच पड़ताल इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल बैंकिंग कार्यो के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की फर्जी पहचान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है

GENERAL STUDIES HINDI

2. वक्त की जरूरत है लोक सेवा आयोगों में सुधार:

सन्दर्भ :

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जब तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चयन और नियुक्ति पर मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि विभिन्न सीमाओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग संस्था के गठन और उसकी निष्पक्षता एवं उच्च

गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्णय नहीं दिया। हैं। मौजूदा मामले में तमिलनाडु सरकार ने मनमाने ढंग से तमिलनाडु लोक सेवा आयोग के 11 सदस्यों की नियुक्ति एक ही दिन में कर दी थी। इसके खिलाफ दायर याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ही दिन में संपन्न इस प्रक्रिया को बिलकुल मनमाने और बिना किसी गंभीर विचारविमर्श के ही अंजाम दिया गया-

राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को ही बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए यह तक कहा कि इस व्यवस्था का क्या होगा जहां दसवीं कक्षा तक पढ़ा व्यक्ति भी इन लोक सेवा आयोगों का सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने के बाद वह शीर्ष अधिकारियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा।

नौकरशाही भारतीय राज्य व्यवस्था का अपरिहार्य अंग है। मगर नौकरशाही उतनी ही विवादास्पद भी है। बौद्धिक गलियारों में अक्सर नौकरशाही को लेकर मीनमेख निकाली जाती है, लेकिन कमियां निकालने वाले उसके लिए जिम्मेदार कारणों की तह तक नहीं जाते।

क्या लोक सेवा आयोग भी जिम्मेदार है

नौकरशाही को अक्षम बनाने में चयन, प्रोन्नति के अलावा उनके चयन का माध्यम बनने वाले लोक सेवा आयोग मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मगर इस पहलू को लेकर जाने अजनाने में एक अजीब सी चुप्पी छाई-रहती है।

क्या संवैधानिक शुन्यता इसके लिए जिम्मेदार है

लोक सेवा आयोग ही वह संस्था है जो देश में सरकार की रीढ़ यानी नौकरशाही का चयन करती है। केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है। उसी तरह विभिन्न राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग हैं जो राज्य स्तर के अधिकारियों का चयन करते हैं। अहम बात यह है कि ये संस्थाएं संवैधानिक निकाय भी हैं। भारतीय संविधान के 14वें भाग के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित प्रावधान हैं जिनमें इनके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तो आदि का उल्लेख है। मगर लोक सेवा आयोग से संबंधित कई बिंदुओं पर संविधान मौन है।

- इस बात पर संविधान चुप है कि इन आयोगों में किन लोगों की सदस्यों के रूप में नियुक्ति होगी और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
- संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों में कितने सदस्य होंगे। इसका भी जिक्र नहीं कि इनके सदस्यों की योग्यता और अर्हता क्या होगी।
- संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यह राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के परिप्रेक्ष्य में यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
- हकीकत में ये नियुक्तियां केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य मंत्रिमंडल की मर्जी पर निर्भर हैं।
- तमाम सरकारें इसी बात का नाजायज फायदा उठा रही

कुछ उदाहरण

तमिलनाडु लोक लोक सेवा आयोग मसला अपनी तरह का पहला मामला नहीं है। अतीत में भी विभिन्न राज्यों में लोक सेवा आयोग गाहे बगाहे ऐसे विवादों में फंसते रहे हैं। राज्य सरकारों ने अपने पसंदीदा-लोगों को इनका सदस्य बनाया। फिर उन सदस्यों ने अयोग्य और अवांछित लोगों की नियुक्तियां कीं।

- झारखंड लोक सेवा आयोग में ऐसे सदस्य मनोनीत किये गए जिन्होंने विभिन्न मंत्रियों, विधायकों और उच्च अधिकारियों के रिश्तेदारों की नियुक्तियां कीं। बाद में उन नियुक्तियों को अदालत ने रद किया।
- असम, हरियाणा या जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के लोक सेवा आयोग भी ऐसे मामलों को लेकर-विवादित रहे हैं।
- पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भी यह आरोप लगता रहा है कि इसमें ऐसे जाति विशेष के सदस्य और अध्यक्ष नियुक्त किये गए जिन्होंने एक जाति विशेष के लोगों को चयन में खासी वरीयता दी।

नियमो में परिवर्तन की जरुरत

संविधान बनाते समय संविधान सभा ने यह अपेक्षा की थी कि इन आयोगों में सुयोग्य और ईमानदार लोगों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि सिविल सेवकों के चयन में भी ये गुण परिलक्षित हों। शायद इसलिए ही इनके सदस्यों की कोई अर्हता और योग्यता निर्धारित नही की गई थी। सिर्फ एक पैमाना तय किया गया कि आधे सदस्य ऐसे होंगे जिनके पास केंद्र या राज्य सरकारों में दस साल के कार्य का अनुभव हो। सदस्यों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए संविधान में कुछ प्रावधान हैं, लेकिन ये आज नाकाफी साबित हो रहे हैं। समय आ गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था की रीढ़ नौकरशाही के सुयोग्य चयन के लिए इन लोक सेवा आयोगों में अविलंब कुछ परिवर्तन किए जाएं।

- इनके सदस्यों के लिए योग्यता और अर्हता निर्धारित की जाए।
- सदस्यों की संख्या भी निश्चित की जाए।
- केंद्र और राज्यों की मनमानी खत्म करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। उचित रूप से आवेदन मंगाकर चयन समिति सदस्यों का चयन करे।
- संघ लोक सेवा आयोग के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नेता प्रतिपक्ष और देश-के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए।
- इसी तरह राज्य लोक सेवा आयोगों के लिए चयन समिति में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जगह दी जाए। अं
- त में आयोग को समावेशी और ज्यादा वर्गों को प्रतिनिधित्व देने वाला बनाया जाए, ताकि सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के अलावा महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व हो।

इन सुधारों के लिए संविधान संशोधन की दरकार होगी। इसके लिए प्रमुख राजनीतिक दलों को दृढ़ इच्छाशक्ति दर्शानी होगी।

3. दिल्ली : 2016 में प्रत्येक दिन दुष्कर्म के छह और छेड़छाड़ के 12 मामले दर्ज

In news:

दिल्ली में अपराध से जुड़े आंकड़े अभी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं .2016 में अपराध के कुल 2,09,519 मामले दर्ज किए गए इनमें .73.29 फीसदी मामलों का समाधान नहीं हुआ है .2015 में यह आंकड़ा 72.78 फीसदी था ये बातें सोमवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जारी की गई वार्षिक रिपोर्ट में . .सामने आई हैं

- औसतन देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ हर दो घंटे में छेड़छाड़ और चार घंटे पर एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है

- हालांकि, 2016 में दुष्कर्म के कुल मामलों में इससे पिछले साल की तुलना में कमी आई है
- 2016 के 2155 की तुलना में 2015 में यह आंकड़ा 2199 दर्ज किया गया था
- दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा, 'महिलाओं द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत को तुरंत दर्ज कर इस पर जांच शुरू कर दी जाती है इसी वजह से इन आंकड़ों में बदलाव नहीं . .आया है

4. न्यूनतम शासन के लिए जरूरी है केंद्रीय कर्मियों की तादाद में कमी

अधिकतम प्रशासन न्यूनतम शासन का वादा किया था, ऐसे में उम्मीद तो यही थी कि कर्मचारियों की तादाद कम होगी। मोदी सरकार के कार्यकाल के पहले साल में इन कर्मचारियों की कुल तादाद में आधा फीसदी की मामूली ही सही लेकिन कमी तो आई। दूसरे वर्ष के आखिर में भी यह रुझान बरकरार रहा। इस वर्ष सरकारी कर्मचारियों की संख्या 0.63 फीसदी घटकर 32.8 लाख रह गई। अचरज की बात यह है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के तीसरे वर्ष इन कर्मचारियों की संख्या में इजाफा नजर आया। मार्च 2017 के आखिर तक केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 8 फीसदी बढ़कर 35.4 लाख होगी। इससे भी बुरी बात यह कि अगले वर्ष भी इसमें 0.83 फीसदी का इजाफा होने और इसके 35.7 लाख पहुंचने का अनुमान है। मोदी सरकार के नौकरशाही का आकार कम करने के वादे का क्या हुआ? उनका वादा था कि सरकार न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी और अधिकतम शासन सुनिश्चित किया जाएगा। यह सच है कि अधिकतम प्रशासन और न्यूनतम सरकार के मामले में प्रधानमंत्री की समझ थोड़ी अलग है। उनका कहना है कि इसका आकलन सरकारी मंजूरियों की संख्या में कमी से किया जाना चाहिए। यानी भिन्न-भिन्न विभागों के बीच सरकारी फाइलों का तेज निपटारा ताकि जल्दी निर्णय लिया जा सके। लेकिन नौकरशाही का आकार भी सरकार के कामकाज और उसके वादों को पूरा करने या न करने का एक मानक होना चाहिए।

अगर कर्मचारियों की तादाद पर करीबी नजर डाली जाए तो और दिलचस्प आंकड़े सामने आते हैं। भारतीय रेल जिसका सालाना बजट अब आम बजट में मिला दिया गया है, उसके कर्मचारियों की हिस्सेदारी कुल संख्या में करीब 37 फीसदी है। भारतीय रेल का निजीकरण होने पर कुल कर्मचारियों की तादाद घटकर 22.4 लाख रह जाएगी जिनका प्रबंधन अपेक्षाकृत आसान है। अकेले इस वजह से भी मोदी सरकार को देश की सबसे बड़ी माल एवं यात्री वाहक भारतीय रेल को पहले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में बदलना चाहिए और फिर धीरे-धीरे उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करनी चाहिए। ऐसा करने एक तीर से कई निशाने साधे जा सकेंगे। यानी सरकार के कर्मचारियों की संख्या भी कम होगी और भारतीय रेल की किफायत बढ़ेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार के लिए राजस्व के नए रास्ते खुलेंगे।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अगली सबसे बड़ी तादाद है पुलिसकर्मियों की। करीब 11 लाख की तादाद के साथ ये केंद्र के कर्मचारियों में दूसरे स्थान पर हैं और उनकी हिस्सेदारी कुल केंद्रीय कर्मियों में 31 फीसदी है। इस बारे में कुछ खास नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा डाक, राजस्व, अंकेक्षण आदि विभागों में कर्मचारियों की संख्या पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए। डाक विभाग जो इन दिनों भुगतान बैंक की शुरुआत में व्यस्त है, उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसके 47,000 मौजूदा कर्मचारियों (सालाना 5 फीसदी वृद्धि दर) को पुनर्गठन के जरिये बैंक में नई भूमिका सौंपी जाए।

ऐसे समय में जबकि तकनीक की मदद से कम से कम लोगों की मदद से अधिकाधिक लाभ हासिल किए जा रहे हैं और लागत कम की जा रही है, वैसे में डाक विभाग को भी अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा करके ही वह निजी क्षेत्र की कुरियर कंपनियों का मुकाबला कर पाएगा। दूसरी पहेली है राजस्व विभाग और अंकेक्षण एवं लेखा विभाग में कर्मचारियों की बढ़ती संख्या। दोनों वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। वर्ष 2015 में दोनों कर विभागों में कर्मचारियों की तादाद 123 फीसदी बढ़ी। इसमें लगातार इजाफा जारी है। गत वर्ष और इस वर्ष भी इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दर से देखा जाए तो राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संख्या अगले साल बढ़कर 1.8 लाख से अधिक हो जाएगी। ऐसे में इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए कि आखिरकार प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल बढ़ाने और उसे सुरक्षित बनाने की प्रक्रिया में अधिक लोगों की आवश्यकता होगी या कम? असहज करने वाला तथ्य यह है कि केंद्र सरकार के 88 फीसदी असैनिक कर्मचारी तो उसके पांच विभागों- रेलवे, पुलिस, अंकेक्षण एवं लेखा, राजस्व तथा डाक में ही हैं।

अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूनतम शासन के साथ अधिकतम प्रशासन के अपने वादे को थोड़ा और अधिक गंभीरता से तथा समग्रता से लें तो उनकी सरकार का न केवल खर्च कम होगा बल्कि उसकी प्रशासनिक क्षमता में भी बेहतरी आएगी। सरकारी कर्मचारियों के पास भी शिकायत करने के लिए कोई खास वजह नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का औसत वेतन वर्ष 2013-14 की तुलना में 2016-17 में 47 फीसदी बढ़ चुका है।

Miscellaneous

1. आर अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 250 विकेट लेने वाले गेंदबाज

- आर अश्विन ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है|
- अश्विन सबसे कम टेस्ट मैचों)45) में 250 विकेट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है|
- इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेनिस लिली के नाम था जिन्होंने 48 टेस्ट मैचों में यह कारनामा किया था.
- इसके अलावा अश्विन इंग्लैण्ड के ग्रीम स्वान के बाद सबसे कम समय में 250 विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं.